



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे 2023-24



हरियाणा सरकार

विनियोग लेखे

2023-24

हरियाणा सरकार

प्रस्तावना	i
विनियोग लेखे का सारांश	ii-ix
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xi-xiii
अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	
1. विधान सभा	1-4
2. राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	5-8
3. सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन	9-26
4. राजस्व/ आबकारी एवं कराधान	27-60
5. गृह/ कारागार/ गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ अभियोजन/ एजीओटी/ कानूनी सेवा प्राधिकरण)	61-85
6. वित्त/ आयोजना तथा सांख्यिकी	86-105
7. राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां	106-112
8. लोक ऋण	113-115
9. आकस्मिकता निधि	116
10. खान एवं भू-विज्ञान/ कृषि/ बागवानी/ पशुपालन तथा डेयरी विकास/ मछली पालन/ वन तथा वन्य प्राणी/ परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	117-155
11. खाद्य एवं पूर्ति/ सहकारिता	156-168
12. शिक्षा (उच्चतर/ माध्यमिक/ प्राथमिक)/ तकनीकी शिक्षा/ महिला एवं बाल विकास	169-206
13. खेलकूद तथा युवा कल्याण/ कला एवं संस्कृति/पर्यटन	207-219
14. स्वास्थ्य/ डीएमईआर/ आयुष/ ईएसआई/ एफडीए	220-250
15. श्रम/ रोजगार/ कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	251-265
16. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	266-282
17. भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन	283-313
18. सूचना तथा प्रचार/ इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/ मुद्रण तथा लेखन सामग्री	314-321
19. सिंचाई/ उद्योग और वाणिज्य/ एमएसएमई/ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी	322-375
20. शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/ अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/ विकास और पंचायत)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परिशिष्ट	376-406 407
अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है ।	

हरियाणा सरकार के वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इन लेखाओं में -

‘मूल’ शब्द का आशय मूल अनुदान या विनियोग से है।

‘पूरक’ शब्द का आशय पूरक अनुदान या विनियोग से है।

‘पुनर्वि.’ शब्द का आशय समर्थ प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और **व्यय** मोटे अक्षरों में दिखाए गये हैं।

हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपने पत्र संख्या पी.ए.सी.-10-89/12245 दिनांक 19 जुलाई 1989 द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड अनुमोदित किये हैं, जो विनियोग लेखे में टिप्पणी के लिए अपनाये गये हैं :-

बचत

क - जहाँ पर अनुदान/विनियोजन में कुल बचत है -

- (1) यदि अनुदान/विनियोजन में उसके अन्तर्गत किए गये कुल प्रावधान (मूल जमा पूरक) में 2 प्रतिशत से कम कुल बचत है तो व्यक्तिगत उपशीर्ष के अन्तर्गत कोई भी टिप्पणी अथवा टीकाएं आवश्यक नहीं है फिर भी बचत/आधिक्य के महत्वपूर्ण मामले जहाँ उप-शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्रावधान में बचत 10 प्रतिशत तथा ₹20 लाख से अधिक है, पर टिप्पणी देना आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु राजस्व एवं पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अलग अनुदान/विनियोजन मान्य होंगे।
- (2) ऐसे मामलों में भी जहाँ अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल बचत 2 प्रतिशत या अधिक हो।
 - (अ) उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम हो, बचत हेतु टिप्पणी शामिल नहीं की जायेगी।
 - (आ) यदि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक है तब विनियोग लेखा में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा -
 - (i) यदि राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹20 लाख से कम हो।
 - (ii) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से कम हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹10 लाख से कम हो।

आधिक्य

ख - जहाँ कहीं अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है -

- (अ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है तो आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है। फिर भी विनियोजन लेखा में आधिक्य का स्पष्टीकरण केवल अगर एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत तथा ₹5 लाख से अधिक है देना आवश्यक है। फिर भी निम्नलिखित मामलों में जहाँ आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम हो विनियोग लेखा में स्पष्टीकरण देना होता है:-
 - (आ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान:-
 - (i) ₹30 करोड़ से अधिक तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹20 लाख से अधिक हो।
 - (ii) ₹10 से ₹30 करोड़ के बीच में तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक हो।
 - (iii) ₹10 करोड़ से कम तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹5 लाख से अधिक हो।

यद्यपि ये सीमाएँ बिना किसी पूर्वाग्रह के इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधान महालेखाकार द्वारा टिप्पणी करने के अधिकार क्षेत्र में होगी।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
01 विधान सभा			
दत्तमत	94,57,41	50,00,00	80,91,18
प्रभारित	83,20	0	60,24
02 राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्			
दत्तमत	1,87,28,00	0	1,73,81,81
प्रभारित	22,95,30	0	19,42,83
03 सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन			
दत्तमत	12,98,55,38	39,58,41	7,23,24,23
प्रभारित	53,93,00	0	23,98,57
04 राजस्व/ आबकारी एवं कराधान			
दत्तमत	37,14,81,42	3,64,00,00	23,77,77,75
05 गृह/ कारागार/ गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ अभियोजन/ एजीओटी/ कानूनी सेवा प्राधिकरण)			
दत्तमत	78,20,14,29	5,79,52,00	72,49,91,45
प्रभारित	2,60,17,96	0	2,44,86,53
06 वित्त/ आयोजना तथा सांख्यिकी			
दत्तमत	1,49,40,68,29	4,67,32,00	1,41,01,62,43
प्रभारित	2,22,49,90,30	0	2,16,04,97,37
07 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां			
दत्तमत	0	14,64,92,60	0
08 लोक ऋण			
प्रभारित	0	5,78,59,37,18	0
09 आकस्मिकता निधि			
दत्तमत	0	0	0
10 खान एवं भू-विज्ञान/ कृषि/ बागवानी/ पशुपालन तथा डेयरी विकास/ मछली पालन/ वन तथा वन्य प्राणी/ परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
दत्तमत	62,03,82,95	20,29,35,30	33,71,25,58
प्रभारित	1,54,00	0	46,84

लेखे का सारांश

व्यय		बचत		अधिकता (वास्तविक अधिकता)	
पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
5	6	7	8	9	
(₹ हजार में)					
0	13,66,23	50,00,00	0	0	0
0	22,96	0	0	0	0
0	13,46,16	0	0	0	0
0	3,52,47	0	0	0	0
18,85,09	5,75,31,15	20,73,32	0	0	0
0	29,94,43	0	0	0	0
1,63,83,76	13,37,03,67	2,00,16,24	0	0	0
3,97,01,34	5,70,22,84	1,82,50,66	0	0	0
0	15,31,43	0	0	0	0
2,47,03,68	8,39,05,86	2,20,28,32	0	0	0
0	6,44,92,93	0	0	0	0
7,24,69,17	0	7,40,23,43	0	0	0
5,91,94,20,30	0	0	0	13,34,83,12	
				(13,34,83,11,643)	
0	0	0	0	0	0
8,64,26,57	28,32,57,37	11,65,08,73	0	0	0
0	1,07,16	0	0	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		विनियोग
	राजस्व	पूंजीगत	व्यय
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
11 खाद्य एवं पूर्ति/ सहकारिता			
दत्तमत	21,08,20,76	1,53,59,05,60	18,38,90,63
प्रभारित	31,00	0	2,21
12 शिक्षा (उच्चतर/ माध्यमिक/ प्राथमिक)/ तकनीकी शिक्षा/ महिला एवं बाल विकास			
दत्तमत	2,13,08,61,17	23,65,49,00	1,78,55,57,65
13 खेलकूद तथा युवा कल्याण/ कला एवं संस्कृति/ पर्यटन			
दत्तमत	5,70,85,20	2,99,50,00	4,04,17,12
14 स्वास्थ्य/ डीएमईआर/ आयुष/ ईएसआई/ एफडीए			
दत्तमत	67,04,92,17	27,59,76,00	60,86,29,14
प्रभारित	20,00	0	13,24
15 श्रम/ रोजगार/ कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण			
दत्तमत	16,64,01,26	3,31,93,10	8,67,94,28
16 अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण			
दत्तमत	1,19,02,16,99	57,31,17	1,09,22,64,08
17 भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन			
दत्तमत	60,14,07,00	56,46,77,00	46,72,34,79
प्रभारित	5,00	1,50,00,00	0
18 सूचना तथा प्रचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/ मुद्रण तथा लेखन सामग्री			
दत्तमत	4,73,49,12	1,92,03,00	3,64,77,65
प्रभारित	31,98	0	72,59

लेखे का सारांश - जारी

व्यय		बचत		अधिकता (वास्तविक अधिकता)	
पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
5	6	7	8	9	
(₹ हजार में)					
1,28,63,46,80	2,69,30,13	24,95,58,80	0	0	
0	28,79	0	0	0	
16,88,88,61	34,53,03,52	6,76,60,39	0	0	
1,50,71,50	1,66,68,08	1,48,78,50	0	0	
19,20,04,92	6,18,63,03	8,39,71,08	0	0	
0	6,76	0	0	0	
64,18,28	7,96,06,98	2,67,74,82	0	0	
6,22,82	9,79,52,91	51,08,35	0	0	
41,30,36,76	13,41,72,21	15,16,40,24	0	0	
1,33,55,13	5,00	16,44,87	0	0	
60,48,77	1,08,71,47	1,31,54,23	0	0	
0	0	0	40,61	0	
(40,61,283)					

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		विनियोग
	राजस्व	पूंजीगत	व्यय
1	2	3	4
	(₹ हजार में)		
19 सिंचाई/ उद्योग और वाणिज्य/ एमएसएमई/ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी			
दत्तमत	1,32,26,17,00	41,41,52,60	1,11,84,94,73
प्रभारित	0	30,00,00	0
20 शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/ अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/ विकास और पंचायत)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
दत्तमत	1,40,68,12,74	74,81,51,00	96,04,79,36
प्रभारित	40,00	0	0
जोड़			
दत्तमत	11,23,00,51,15	4,36,29,58,78	9,18,80,93,89
प्रभारित	2,25,90,61,74	5,80,39,37,18	2,18,95,20,42
कुल योग	13,48,91,12,89	10,16,68,95,96	11,37,76,14,31

लेखे का सारांश - जारी

व्यय		बचत		अधिकता (वास्तविक अधिकता)	
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
5	6	7	8	9	
(₹ हजार में)					
28,25,84,55	20,41,22,27	13,15,68,05	0	0	
16,45,42	0	13,54,58	0	0	
38,43,00,68	44,63,33,38	36,38,50,32	0	0	
0	40,00	0	0	0	
2,99,68,93,30	2,04,19,57,26	1,36,60,65,48	0	0	
5,93,44,20,85	6,95,81,93	29,99,45	40,61	13,34,83,12	
			(40,61,283)	(13,34,83,11,643)	
8,93,13,14,15	2,11,15,39,19	1,36,90,64,93	40,61	13,34,83,12	

विनियोग लेखे का सारांश-जारी

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप से प्राप्त की गई ₹545.95 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जिसे वर्ष की समाप्ति से पहले निधि में वापिस नहीं किया गया था।

हरियाणा राज्य की आकस्मिक निधि में ₹1,000 करोड़ का कोष है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹545.95 करोड़ की राशि निकाली। 2023-24 के अंत में, ₹545.95 करोड़ की पूरी राशि बिना वापिस किए रह गई, जो निम्नलिखित है:-

अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	राशि (₹करोड़ में)
12	2202-सामान्य शिक्षा	266.95
20	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	279.00

31 मार्च 2024 को आकस्मिकता निधि में ₹454.05 करोड़ शेष है।

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में अधिकता के नियमन की आवश्यकता है:-

पूंजीगत भाग

08- लोक ऋण

		कुल विनियोग (₹हजार में)	कुल व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	5,52,20,37,18	5,78,59,37,18	5,91,94,20,30	(+)13,34,83,12
पूरक	26,39,00,00			(13,34,83,11,643)

राजस्व भाग

18-सूचना तथा प्रचार/इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण तथा लेखन सामग्री

		कुल विनियोग (₹हजार में)	कुल व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	31,98	31,98	72,59	(+)40,61
पूरक	0			(40,61,283)

विनियोग लेखे का सारांश-समाप्त

चूंकि अनुदान और विनियोग, व्यय के लिए आवश्यक सकल राशियों के लिए हैं, उनके सामने दिखाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित किया जाता है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाए जाते हैं।

2023-24 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और इस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गये व्यय के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,18,95,20,42	5,93,44,20,85	9,18,80,93,89	2,99,68,93,30
घटाएं-				
कुल वसूलियां	0	0	5,80,44,41	1,01,42,78,46
वित्त लेखे की विवरणी संख्या 11 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	2,18,95,20,42	5,93,44,20,85	9,13,00,49,48	1,98,26,14,84

उपरोक्त संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हरियाणा सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हरियाणा सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हरियाणा सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हरियाणा सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

दिनांक: 19 नवम्बर 2024
स्थान: नई दिल्ली


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1-विधान सभा

(मुख्य शीर्ष-2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	93,60,41	94,57,41	80,91,18	(-)13,66,23
पूरक	97,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि
(मार्च 2024)

13,64,98

प्रभारित

मूल	83,20	83,20	60,24	(-)22,96
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि
(मार्च 2024)

22,96

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50,00,00	50,00,00	0	(-)50,00,00
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि
(मार्च 2024)

50,00,00

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,366.23 लाख की अन्तिम बचत में से ₹1.25 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रही ।
- (2) ₹1,366.23 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, सितम्बर 2023 में प्राप्त किया गया ₹97 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।

(3) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101-98- राष्ट्रीय ई-विधान सभा आवेदन (एनइवीए)	मूल	341.41	26.03	26.03	..	एनआईसीएसआई (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.) द्वारा देर से प्रोफार्मा चालान उपलब्ध कराने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-315.38				
2011-02-103-97- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ (पी.एल.ओ.) एचवीएस.- हरियाणा विधान सभा (एचवीएस.- पीएलओ.- आरईवी)	मूल	50.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-50.00				

(4) निम्नलिखित मामले में जहां अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया । अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था । इसके बाद अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है ।

अनुदान संख्या 1-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02-103- 99- स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	6,558.00	5,637.67	5,637.67	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे, कार्यालय वस्तुओं/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता, कार्यक्रमों का कम आयोजन, बिजली की कम खपत, कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद, मानदेय के लिए कम योग्य व्यक्ति तथा नए वाहन की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की किश्त/बकाया के भुगतान तथा कर्मचारियों को नई सुविधा देने पर अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पूरक	97.00				
	पुनर्वि.	-1,017.33				

प्रभारित विनियोग

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101- 99- स्थापना	मूल	83.20	60.24	60.24	..	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-22.96				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(6) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-57-हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि की खरीद/भवन का निर्माण	मूल	5,000.00	भूमि का निर्धारण नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,000.00				

अनुदान संख्या-2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, 2013- मंत्री परिषद्)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,86,78,00	1,87,28,00	1,73,81,84	(-)13,46,16
पूरक	50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

13,59,70

प्रभारित

मूल	22,62,80	22,95,30	19,42,83	(-)3,52,47
पूरक	32,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

3,69,79

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,346.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को ₹1,359.70 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹1,346.16 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, सितम्बर 2023 में प्राप्त किया गया ₹50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-101- मन्त्रियों और उपमन्त्रियों का वेतन (51-एन. ए.)	मूल	251.00	223.41	223.41	..	मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-27.59				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-108- दौरा खर्च (51-एन. ए.)	मूल	110.00	70.89	70.89	..	यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-39.11				
2013-51-800- 97-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) सीएसई- मुख्य सचिवालय स्थापना (सीएसई- पीएलओ-आरईवी)	मूल	50.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				

- (4) निम्नलिखित मामले में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी चूंकि वास्तविक व्यय मूल बजट के काफी कम था। बाद में अनुपूरक अनुदान तथा मूल बजट अनुमान का कुछ हिस्सा पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-800- 98- मंत्री कार सैक्शन को चलाने तथा वाहनों का रख-रखाव	मूल	2,224.00	1,386.21	1,386.21	..	मुख्यतः वाहनों की कम खरीद/ मरम्मत, रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, दैनिक मजदूरों की नियुक्ति न करने, मानदेय के लिए कम व्यक्तियों की उपलब्धता तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि.	-887.79				

प्रभारित विनियोग

- (5) ₹352.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹369.79 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (6) ₹352.47 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, सितम्बर 2023 में प्राप्त किया गया ₹32.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा ।
- (7) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-090-97-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) आरजेबी-हरियाणा राजभवन(आरजेबी-पीएलओ-आरईबी)	मूल	10.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-10.00				
2012-03-103-99-सैनिक सचिव तथा उनका अमला	मूल	386.00	297.88	297.88	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, यात्रा व्यय के दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को न करने तथा कार्यालय मदों/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-88.12				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-105- 99-राज्यपाल तथा उनके परिवार तथा अमले को चिकित्सा सुविधायें	मूल	101.30	66.89	66.89	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मर्दों/सहायक उपकरणों की कम खरीद तथा छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-34.41				

- (8) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-090- 99- राज्यपाल का सचिवालय अमला (98- स्थापना व्यय)	मूल	1,076.50	870.01	887.33	(+) 17.32	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम्प्यूटर/ सामानों की कम खरीद, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कम मरम्मत कार्य/नवीकरण और वाहनों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो लंबित विविध बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण समायोजित हुआ। ₹17.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	25.00				
	पुनर्वि.	-231.49				

अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/निर्वाचन

(मुख्य शीर्ष-2015 निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2062-चौकसी, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2852-उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4047-अन्य वित्तीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,45,35,38	12,98,55,38	7,23,24,23	(-)5,75,31,15
पूरक	53,20,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि
(मार्च 2024)

5,75,37,15

प्रभारित

मूल	53,93,00	53,93,00	23,98,57	(-)29,94,43
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि
(मार्च 2024)

29,94,43

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,19,00	39,58,41	18,85,09	(-)20,73,32
पूरक	6,39,41			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

25,72,71

टिप्पणियां एवं टीकाएं-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹57,531.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹57,537.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹57,531.15 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, सितम्बर 2023 और जनवरी 2024 में प्राप्त किया गया ₹5,320 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-51-101-98- पंचायत चुनाव कराने हेतु क्षेत्रिय अमला	मूल	970.00	651.89	651.89	..	मुख्यतः चुनाव न कराने, रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि, अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, अधिकारियों द्वारा कम दौरे और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-318.11				
2015-51-101-99-पंचायत चुनाव कराने हेतु मुख्यालय अमला	मूल	3,307.00	1,020.04	1,020.04	..	मुख्यतः चुनाव न कराने, रिक्त पदों का न भरने, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति और कर्मचारियों के कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएन नीति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-2,286.96				
2015-51-102-98-जिला अमला	मूल	1,760.00	1,548.19	1,548.19	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, बिजली की कम खपत और छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए प्रशिक्षु की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएन नीति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-211.81				

अनुदान संख्या 3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-51-102- 99-मुख्यालय अमला	मूल	750.50	490.10	490.10	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं/ सामानों की कम आवश्यकता, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत और कम समारोह आयोजित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-260.40				
2015-51-103- 98- मतदाता सूचियों का मुद्रण	मूल	200.00	77.46	77.46	..	योजना के अंतर्गत कम मांग प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-122.54				
2015-51-103- 99-मतदाता सूचियों की तैयारी	मूल	4,070.00	1,588.60	1,588.60	..	मुख्यतः मानदेय के लिए कम पात्र व्यक्तियों की पहचान, जिलों से बजट की कम मांग की प्राप्ति, पेशेवर कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,481.40				
2015-51-105- 98- उप-चुनाव	मूल	147.00	50.84	50.84	..	जिलों एवं मुख्यालयों से बजट की कम मांग प्राप्त होने तथा यात्रा व्यय का दावा प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-96.16				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-51-105- 99- आम चुनाव	मूल	2,414.00	159.72	159.72	..	मुख्यतः जिलों एवं मुख्यालयों से बजट की कम मांग प्राप्त होने तथा यात्रा व्यय का दावा प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,254.28				
2015-51-106- 98- उप-चुनाव	मूल	600.00	47.29	47.29	..	मुख्यतः वर्ष के दौरान चुनाव न कराने, यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-552.71				
2015-51-106- 99- आम चुनाव	मूल	247.00	56.48	56.48	..	मुख्यतः जिलों से बजट की मांग न मिलने, मानदेय के लिए कम पात्र व्यक्तियों की पहचान करने और अधिकारियों द्वारा कम भ्रमण करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-190.52				
2015-51-111- 99-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रखरखाव	मूल	50.00	जिलों तथा मुख्यालय से बजट की मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2015-51-103- 99-स्थापना	मूल	18,068.50	14,242.79	14,242.79	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	5,068.00				
	पुनर्वि.	-8,893.71				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-87-राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण	मूल	333.00	230.30	230.30	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता, जागरूकता के लिए कम विज्ञापन, छुट्टी यात्रा रियायत और यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-102.70				
2052-51-090-89-विदेश सहयोग विभाग की स्थापना	मूल	947.00	275.96	275.96	..	मुख्यतः कम्प्यूटर/ एसेसरीज/ वाहनों की कम खरीद/ मरम्मत, कम विज्ञापन, कार्यालय वस्तुओं/एसेसरीज की कम आवश्यकता, किराए पर भवन न लेना, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अधिकारियों द्वारा कम दौरे करना और अधिकारियों/कर्मचारियों से यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-671.04				
2052-51-090-90-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ (पीएलओ) मुख्य सचिव कार्यालय/ स्थापना (सीएसई-पीएलओ-आरईवी)	मूल	1,000.00	अतिरिक्त आवश्यकता के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-91-मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण की सिफारिश का कार्यान्वयन (एचजीआरए)	मूल	20.00	पुनर्विनियोजन के माध्यम से समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 03/पुनर्वि./24-25 /346-47 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-20.00				
2052-51-090-96-वी.आई.पी. वायुयान का संधारण	मूल	1,972.50	1,003.50	1,003.50	..	मुख्यतः स्टोर उपकरणों की कम खरीद, हेलीकॉप्टर एच145 डी3 के अनुबंध में देरी के कारण निधियों का उपयोग न होने, रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कम कार्यालय व्यय, अधिकारियों द्वारा कम दौरे, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और किराए की मांग न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-969.00				
2052-51-090-97-गृह विभाग	मूल	1,058.00	593.10	593.10	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-464.90				
2052-51-090-98- वित्त विभाग	मूल	1,694.00	1,026.04	1,026.04	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं/ सामानों की कम आवश्यकता और अधिकारियों/कर्मचारियों से यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-667.96				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-99- मुख्य सचिव (97- हरियाणा भवन, नई दिल्ली के स्थापना व्यय)	मूल	404.50	336.27	336.27	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और छुट्टी यात्रा रियायत और यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर अधिक व्यय, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अधिक दौरे, मानदेय के लिए अधिक पात्र व्यक्तियों की पहचान तथा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-68.23				
2052-51-190-95-गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना	मूल	..	90.00	90.00	..	₹110 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 03/ पुनर्वि./24-25 /346-47 दिनांक 27.05.2024)।
	पूरक	200.00				
	पुनर्वि.	-110.00				
2052-51-190-96-हरियाणा लिमिटेड का ड्रोन इमेजिंग और सूचना प्रणाली (डीआर एचएसएचवाईए)	मूल	500.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 03/ पुनर्वि./24-25 /346-47 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-500.00				
2052-51-190-99-नागरिक संसाधन सूचना निक्षेपागार प्राधिकरण (एसीआरआईडी) नाम बदलकर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए)	मूल	3,000.00	2,137.00	2,137.00	..	₹863 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 03/ पुनर्वि./24-25 /346-47 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-863.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-792- अप्रतिलभ्य ऋण बट्टे खाते में (51-एनए)	मूल	200.00	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण ऋण/नुकसान के बट्टे खाते में डाले गए दावों की प्राप्ति न होने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
2062-51-104- 98-जाँच अधिकारी, चौकसी	मूल	343.52	165.70	165.70	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने और अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-177.82				
2062-51-104- 99-योजना मशीनरी को सुदृढ़ करना (98-स्थापना खर्च)	मूल	6,562.00	5,646.96	5,646.96	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे, बिजली की कम खपत, भवन की कम मरम्मत और सामग्री तथा आपूर्ति की कम मांग की प्राप्ति निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-915.04				
2062-51-797- 99-राज्य सतर्कता परिक्रामी निधि	मूल	100.00	13.92	13.92	..	परिक्रामी निधि के कम योगदान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-86.08				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-003-96-हरियाणा राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	मूल	95.00	2.27	2.27	..	मुख्यतः कम प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन, कम्प्यूटर/सहायक उपकरण की कम खरीद, फर्नीचर की गैर-खरीद और दैनिक वेतन भोगियों की गैर-नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-92.73				
2070-51-003-98- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (98-स्थापना खर्च)	मूल	6,001.00	4,200.00	4,200.00	..	₹1,801 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 03/ पुनर्वि./24-25 /346-47 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-1,801.00				
2070-51-105-93- हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण	मूल	151.00	13.13	13.13	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और वाहनों की गैर-खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-137.87				
2070-51-105-98- हरियाणा राज्य में लोकायुक्त	मूल	814.50	474.12	474.12	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-340.38				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115-79-पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विश्राम गृह पंचकूला	मूल	265.50	125.95	125.95	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दौरा नहीं करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-139.55				
2070-51-115-80-पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विश्राम गृह गुरुग्राम	मूल	346.50	152.55	152.55	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम समारोह आयोजित करने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं की आवश्यकता न होने और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-193.95				
2070-51-115-81-स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्य पुरी नई दिल्ली	मूल	157.00	94.73	94.73	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-62.27				
2070-51-115-82-नई सचिवालय कैटीन सेक्टर-17, चण्डीगढ़	मूल	408.30	223.30	223.30	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम समारोह का आयोजन करने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, अनुग्रह दावों की गैर-प्राप्ति और दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-185.00				

अनुदान संख्या 3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115-92-विधान सभा कैन्टीन चलाने का खर्च	मूल	193.10	136.44	136.44	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम बैठकों के आयोजन और छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-56.66				
2070-51-115-93-सिविल सचिवालय कैन्टीन चलाने का खर्च	मूल	432.50	350.43	350.43	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मानदेय के लिए कम पात्र व्यक्तियों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-82.07				
2070-51-115-94-आतिथ्य संगठन (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,104.00	730.22	730.22	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा बिजली की खपत कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-373.78				
2070-51-115-95-विभिन्न समिति की बैठकों पर व्यय	मूल	200.00	समिति की बैठक नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115-96- हरियाणा भवन, दिल्ली में कैफेटेरिया के संचालन पर व्यय	मूल	740.00	420.12	420.12	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-319.88				
2070-51-115-97-एम.एल.ए. छात्रावास में कैटीन	मूल	339.50	274.65	274.65	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-64.85				
2070-51-115-99- हरियाणा निवास सैक्टर-3, चंडीगढ़	मूल	1,007.00	689.49	689.49	..	मुख्यतः कम समारोहों के आयोजन/कम बैठकों के संचालन, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-317.51				
2070-51-800-93- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग	मूल	239.80	184.01	184.01	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, पेशेवर और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, यात्रा व्यय, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कम्प्यूटर/सहायक उपकरण की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कार्यालय वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-55.79				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-800-96- राज्य सूचना आयोग हरियाणा (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,899.40	930.84	930.84	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत और यात्रा व्यय के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-968.56				
2852-07-190-98-विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवा के लिए कॉल सेंटर की स्थापना	मूल	800.00	400.00	400.00	..	ई-गवर्नेंस मॉड्यूल के कम कार्यान्वयन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-400.00				
2852-07-202-91-हरियाणा के लिए आई.टी. योजना	मूल	30,000.00	7,500.00	7,500.00	..	आईटी योजना के कम कार्यान्वयन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-22,500.00				
2852-07-202-93-राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सैमिनार कार्यशाला प्रदर्शनी का आयोजन	मूल	50.00	1.00	1.00	..	योजना के तहत कम अनुदान की आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-49.00				
2852-07-202-95-इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का संगठन एवं प्रशासन (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,005.08	755.01	755.01	..	मुख्यतः पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, किराए का कम भुगतान और अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-250.07				

अनुदान संख्या 3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-07-202- 96-कम्प्यूटर नटर्वक	मूल	3,000.00	600.00	600.00	..	राज्य में एलएएन/ डब्ल्यूएएन के कम कार्यान्वयन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,400.00				
3451-51-090- 99- नागरिक सचिवालय	मूल	811.00	414.75	414.75	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं की आवश्यकता न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-396.25				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2251-51-792- कर्ज/हानियों को बट्टे खाते डालना (51-एनए)	मूल	50.00	2.29	2.16	(-)0.13	ऋण/नुकसान के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-47.71				

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित किए जाने के फलस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-99-मुख्य सचिव (98-स्थापना व्यय)	मूल	14,733.00	13,177.71	13,178.38	(+)0.67	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, बिजली की कम खपत, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन और कम्प्यूटर/सामानों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो वाहनों की अधिक खरीद/मरम्मत, राज्य में युक्तिकरण आयोग का कार्यान्वयन, न्यायालय शुल्क का अधिक भुगतान और अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित समायोजित किया गया । ₹0.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-1,555.29				
2070-51-115-88-शक्ति भवन कैंटीन पंचकुला चलाने पर व्यय	मूल	217.50	95.75	101.07	(+)5.32	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम समारोह आयोजित करने और अनुग्रह राशि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹5.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-121.75				

अनुदान संख्या 3-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2251-51-090- 99- नागरिक सचिवालय	मूल	1,303.00	895.64	895.76	(+)0.12	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और अधिकारियों/कर्मचारियों से यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-407.36				

(6) अधिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090- 88- नागरिक संसाधन सूचना विभाग	मूल	3,406.00	4,009.54	4,009.54	..	उद्देश्य परिवार पहचान पत्र डेटा के सत्यापन, प्रशिक्षु की नियुक्ति और रिक्त पदों को भरने के लिए स्थानीय समितियों और सैक्टर समितियों की टीम लीड के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे, पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	603.54				

प्रभारित विनियोग

(7) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2051-51-102-99-स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	5,193.00	2,398.57	2,398.57	..	मुख्यतः दक्षता/पेशेवर और विशेष सेवाओं के तहत पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹900 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 03/ पुनर्वि./24-25 /346-47 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-2,794.43				
2052-51-090-90- कार्य प्रगति से जुड़ा किया गया परिव्यय (पीएलओ) मुख्य सचिव कार्यालय/ स्थापना (सीएसई-पीएलओ-आरईवी)	मूल	200.00	अतिरिक्त आवश्यकता के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

(8) ₹2,073.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को ₹2,572.71 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(9) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-59-सेवा का अधिकार आयोग के लिए भूमि की खरीद	मूल	200.00	जमीन की खरीद नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
4059-01-051-61-चुनाव विभाग हरियाणा के लिए भवन का निर्माण	मूल	1,100.00	101.94	101.94	..	भवन निर्माण कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-998.06				
4059-01-051-62-भूमि की खरीद और लोकायुक्त के लिए भवन का निर्माण	मूल	500.00	1.51	1.51	..	निर्माणधीन भवन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-498.49				
4059-01-051-69-राज्य चौकसी ब्यूरो हेतु कार्यालय भवन का निर्माण	मूल	850.00	552.13	552.13	..	भवन निर्माण कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-297.87				

(10) निम्नलिखित मामले में, अत्याधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-72-राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु योजना (98-कार्यालय भवन का निर्माण)	मूल	20.00	91.12	590.51	(+)499.39	भवन निर्माण कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹499.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	639.41				
	पुनर्वि.	-568.29				

अनुदान संख्या-4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान

मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043-राज्य माल और सेवा कर पृष्ठ के तहत संग्रह शुल्क, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2217-शहरी विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत, 2506-भूमि सुधार, 2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	29,40,51,42	37,14,81,42	23,77,77,75	(-)13,37,03,67
पूरक	7,74,30,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

18,72,06,78

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,34,00,00	3,64,00,00	1,63,83,76	(-)2,00,16,24
पूरक	30,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

3,04,83,40

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,33,703.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹1,87,206.78 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹1,33,703.67 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, सितंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्राप्त ₹77,430 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं आया ।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-51-001-99-भू-राजस्व तथा तकावी की लेखा परीक्षा	मूल	69.44	45.90	45.90	..	मुख्यतः कार्यालय वस्तुओं/ सामानों की कम आवश्यकता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹17.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/ अनु. सं. 04/ पुनर्वि./ 2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-23.54				
2029-51-800-97- नए पटवार खानों का निर्माण	मूल	4,000.00	2,060.30	2,060.30		योजना के अंतर्गत भवन के कम रख-रखाव/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,939.70				
2039-51-001-99-मुख्यालय अमला (आबकारी ब्यूरो सहित)	मूल	263.70	11.02	11.02	..	मुख्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन, कम कार्यालय सामग्री की खरीद और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-252.68				
2040-51-001-96-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) एक्साइज एंड टैक्सेशन (पीईटी-पीएलओ-आरईवी)	मूल	100.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2040-51-001- 98-जिला अमला	मूल	11,280.40	10,005.75	10,005.75	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने, कम नए वाहनों की खरीद और मरम्मत कार्य, कम बिजली की खपत, कम पेशेवर और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, कम प्रशिक्षुओं की तैनाती, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और व्यय के दावों की कम प्राप्ति तथा किराया विलेख को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कार्यालय वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,274.65				
2040-51-001- 99- मुख्यालय अमला (96- कर अनुसंधान इकाई (टी आर यू))	मूल	200.00	69.70	69.70	..	अनुसंधान एवं विकास दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-130.30				
2040-51-001- 99- मुख्यालय अमला (97-अपना बिल अपना विकास)	मूल	100.00	पुरस्कार के दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2040-51-001-99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना खर्चा)	मूल	14,936.00	5,821.48	5,821.48	..	मुख्यतः कम्प्यूटर/सामानों की कम खरीद, कार्यालय वस्तुओं/उपसंधानों की कम आवश्यकता, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करना, रिक्त पदों को न भरना, यात्रा व्यय, ऊर्जा शुल्क, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा प्रशिक्षु की गैर-नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पेशेवर और विशेष सेवाओं के दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-9,114.52				
2043-51-800-99-एचजीएसटी के तहत राज्य उपभोक्ता कल्याण (97-कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति)	मूल	1,000.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-1,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2045-51-103- 99-विद्युत निरीक्षणलय	मूल	930.50	731.98	731.98	..	मुख्यतः कम्प्यूटर की खरीद को अंतिम रूप न देने, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, नए वाहनों की कम खरीद और मरम्मत कार्य, प्रशिक्षुओं की कम तैनाती और किरायानामा को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-198.52				
2052-51-099- 94-राजस्व आयोग की स्थापना	मूल	93.00	3.67	3.67	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, नए वाहनों की कम खरीद और मरम्मत कार्य और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-89.33				
2052-51-099- 96- हरियाणा कर न्यायाधिकरण की स्थापना	मूल	265.76	163.61	163.61	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-102.15				
2235-01-202- 98-भूमि अभिलेख अमला तथा आबंटन निर्देशिका	मूल	98.25	46.60	46.60	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-51.65				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-01-202-99-स्थापना प्रभार तथा पुनर्वास स्कीमें जिला तथा राजस्व अमला	मूल	394.50	167.60	167.60	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-226.90				
2245-01-101-98-बीजों, खादों तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति	मूल	300.00	राज्य में सूखे जैसी स्थिति नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-300.00				
2245-01-102-पेयजल पूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	100.00	राज्य में सूखे जैसी स्थिति नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2245-01-104-चारे की पूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	100.00	चारे की कम आपूर्ति के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2245-01-105-पशु चिकित्सा (51- एन. ए.)	मूल	100.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-01-282- जन स्वास्थ्य (51- एन. ए.)	मूल	100.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				
2245-02-105- पशु चिकित्सा देखभाल (51- एन. ए.)	मूल	50.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2245-02-106- क्षतिग्रस्त सड़कों पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (51- एन. ए.)	मूल	50.00	क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2245-02-110- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, ड्रेनेज और सीवेज कार्यों की मरम्मत और बहाली के लिए सहायता (51- एन. ए.)	मूल	50.00	वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति की मरम्मत के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2245-02-114- कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	300.00	वर्ष 2023-24 के दौरान कृषि उपकरणों की खरीद के लिए मांग/आवश्यकता प्राप्त नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-300.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-116- खराब ट्यूबलों पंप सेटों की मरम्मत के लिए किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	50.00	वर्ष 2023-24 के दौरान कृषि उपकरणों की खरीद के लिए मांग/आवश्यकता प्राप्त नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2245-02-193- स्थानीय निकासों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	50.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेख/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2245-08-797- 99-राज्य और केन्द्र का योगदान	मूल	योजना के अंतर्गत अंशदान दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	41,300.00				
	पुनर्वि.	-41,300.00				
2245-80-001- 95-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) राजस्व (एफसीआर- पीओएल- आरईवी)	मूल	1,000.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2245-80-001- 99- मुख्यालय अमला	मूल	101.75	72.94	72.94	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-28.81				
2506-51-012- 99-राजस्व विभाग में भू-अभिलेख मुख्यालय स्तर पर सांख्यिकीय स्थापना का सुदृढीकरण	मूल	44.10	20.77	20.77	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी रियायत दावों की प्राप्ति न होने और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-23.33				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2506-51-102-98- चकबन्दी	मूल	2,614.40	1,696.08	1,696.08	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति, छुट्टी यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, खरीद को अंतिम रूप न देने और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पिलर लगाने और अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-918.32				
2506-51-103-98- हरियाणा भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (99-सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण और सर्वेक्षण तथा निपटान अभिलेखों का अद्यतनीकरण)	मूल	3,008.35	1,735.77	1,735.77	..	मुख्यतः पेशेवर, संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों की गैर-नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, वाहनों की गैर-खरीद/मरम्मत और अधिकारियों द्वारा कोई दौरा नहीं करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,272.58				
2506-51-103-99- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (97-कंप्यूटरीकरण पंजीकरण)	मूल	67.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-67.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2506-51-103- 99- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (98-सर्वेक्षण/ पुनर्सर्वेक्षण और आधुनिक अभिलेख शाखा)	मूल	200.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
2506-51-103- 99- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (99-भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण)	मूल	50.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2705-51-101- 99-मेवात क्षेत्र के समेकित विकास के लिए योजना	मूल	1,770.00	1,770.00	442.50	(-)1,327.50	₹1,327.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2705-51-102- 99- शिवालिक क्षेत्र के विकास हेतु सहायतानुदान	मूल	1,200.00	1,200.00	900.00	(-)300.00	₹300 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2705-51-789- 99- मेवात क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के समेकित विकास हेतु अनुदान	मूल	180.00	180.00	45.00	(-)135.00	₹135 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3451-51-091- 99-राजस्व विभाग	मूल	918.61	789.29	789.29	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और कार्यालय वस्तुओं/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-129.32				
3454-02-110- 99-गजेटियर	मूल	430.50	219.39	219.39	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-211.11				

(4) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया जिसके परिणामस्वरूप राशियाँ अनाभ्यर्पित रह गईं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103- 96-मुख्यालय अमला कृषि संगणना	मूल	90.00	43.36	40.51	(-)2.85	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-46.64				
2029-51-103- 97-लघु सिंचाई सांख्यिकी का सुधार मुख्यालय (98-स्थापना खर्च)	मूल	60.00	10.64	4.01	(-)6.63	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹6.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-49.36				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-02-001- 99-जांच करने वाला अमला	मूल	313.60	294.98	275.20	(-)19.78	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹14.41 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹19.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-18.62				

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103- 98-जिला अमला (98-स्थापना खर्चा)	मूल	34,883.60	20,341.23	20,348.76	(+)7.53	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत के दावों की कम प्राप्ति, मानदेय के लिए कम पात्र व्यक्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, प्रशिक्षु की नियुक्ति न होना, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता और कम्प्यूटर /सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/ एचकेआरएन नीति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया । ₹7.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-14,542.37				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103- 99- मुख्यालय अमला	मूल	319.47	179.86	187.65	(+)7.79	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षुओं की गैर-नियुक्ति, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹7.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-139.61				
2039-51-001- 97- आबकारी एवं कराधान विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए प्रावधान	मूल	520.00	146.26	150.77	(+)4.51	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹4.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-373.74				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-51-001- 98-संग्रह प्रभाव	मूल	7,562.00	5,525.91	5,526.18	(+)0.27	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने, पेशेवर और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति करने, नए वाहनों की खरीद और मरम्मत कार्य न करने, किराया विलेख को अंतिम रूप न देने, प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,036.09				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2040-51-101- 99-क्षेत्रीय अमला	मूल	10,927.00	8,981.63	8,983.02	(+)1.39	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराया विलेख को अंतिम रूप न देने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने, नए वाहनों की कम खरीद और कम मरम्मत कार्य, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति करने तथा बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,945.37				
2045-51-104- 99- कर तथा शुल्क	मूल	290.10	167.52	168.05	(+)0.53	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-122.58				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-099- 99-राजस्व विभाग (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,812.50	3,874.43	3,874.56	(+)0.13	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराए, दरों और करों और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, बिजली की कम खपत, कार्यालय वस्तुओं/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता और कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएन नीति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-938.07				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-093- 99-स्थापना	मूल	38,973.87	21,204.04	26,717.54	(+)5,513.50	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, ऊर्जा शुल्क बिलों का कम भुगतान, संविदा कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति/तैनाती, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, खरीद को अंतिम रूप न देना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5,513.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-17,769.83				
2053-51-094- 97-कचहरी अहातों का संरक्षण	मूल	31.90	8.02	8.99	(+0.97	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और ऊर्जा शुल्क बिलों का कम भुगतान होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-23.88				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-094- 98-नकल अभिकरण स्थापना	मूल	400.67	161.04	173.50	(+)12.46	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹12.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-239.63				
2053-51-094- 99-उपमंडल स्थापना	मूल	5,240.20	2,127.37	3,268.06	(+)1,140.69	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, बिजली की कम खपत, नए वाहनों की कम खरीद और कम मरम्मत कार्य और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,140.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,112.83				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-101- 99-स्थापना	मूल	2,178.50	1,575.05	1,850.31	(+)275.26	मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, नए वाहनों की कम खरीद और कम मरम्मत कार्य और बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹275.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-603.45				
2070-51-800- 99-फालतू ग्रामीण निष्क्रान्त संपत्तियों पर व्यय (98-स्थापना व्यय)	मूल	491.20	381.94	382.34	(+)0.40	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-109.26				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-01-200-99- ग्रामीण क्षेत्रों में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों हेतु वित्तीय सहायता/ अनुग्रह/मुआवजा	मूल	100.00	4.86	53.61	(+)48.75	ग्रामीण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त संपत्ति के मुआवजे के कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹48.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-95.14				
2245-02-282-98-लोक स्वास्थ्य	मूल	100.00	20.23	29.35	(+)9.12	अन्य प्रभार के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹9.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-79.77				
2245-05-101-98-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर. एफ) के तहत क्षमता निर्माण की योजना	मूल	180.00	10.50	13.14	(+)2.64	योजना के तहत कम प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-169.50				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-111- शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी (51- एन. ए.)	मूल	200.00	100.00	268.00	(+)168.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹168 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				
2245-80-001- 98-जिला अमला	मूल	248.86	66.36	135.43	(+)69.07	मुख्यतः संविदात्मक सेवाओं, अनुग्रह राशि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹69.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-182.50				
2245-80-800- 96- कीट हमला/भू-स्खलन/ बादल फटने आदि के लिए नकद सहायता	मूल	24,000.00	6,735.35	12,442.15	(+)5,706.80	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./ 2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹5,706.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-17,264.65				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3475-51-201-99- भूमि सुधार राजस्व	मूल	609.49	216.58	239.24	(+)22.66	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनुग्रह राशि और यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं/सामानों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹22.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-392.91				

- (6) निम्नलिखित मामलों में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है, अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहा । इसके बाद, वित्त विभाग द्वारा एक पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया जिसमें अनुपूरक अनुदान और बजट प्रावधान को वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-108-99-निदेशन तथा प्रशासन (98-जिला कर्मचारी स्थापना (फील्ड स्टाफ))	मूल	10,618.00	9,575.26	9,577.09	(+)1.83	मुख्यतः सेवा अनुबंध का नवीनीकरण न होने के कारण संविदात्मक सेवा पर कम राशि खर्च होने, पेट्रोल, तेल और स्नेहक और अन्य शुल्कों की मांग की कम प्राप्ति, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹948.61 लाख के अभ्यर्पण और ₹92.89 लाख की अधिकता के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./ 2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹1.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	115.00				
	पुनर्वि.	-1,157.74				
2245-05-101-99- राज्य और केन्द्र का योगदान	मूल	72,200.00	25,673.60	57,760.00	(+)32,086.40	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 04/ पुनर्वि./ 2024-25/ 444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹32,086.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	29,600.00				
	पुनर्वि.	-76,126.40				

- (7) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित प्रकरणों में, जिसमें सम्पूर्ण मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना ही व्यय कर दिया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01-101- स्टाम्पों की लागत (51-एन.ए.)	मूल	1.00	..	7,098.10	(+)7,098.10	₹7,098.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1.00				
2030-02-102- 99-जांच करने वाला अमला	मूल	10.00	..	4,255.58	(+)4,255.58	₹4,255.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-10.00				
2053-51-093- 98- राज्य में उपायुक्तों के लिए कानून व्यवस्था के लिए प्रावधान	मूल	100.00	..	86.18	(+)86.18	अन्य प्रभार के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹86.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				
2075-51-101- पुनः गृहीत जागीरों, भूमि क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन (51-एनए)	मूल	66.75	..	36.88	(+)36.88	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹36.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-66.75				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-101-98-दवाओं की आपूर्ति	मूल	7,000.00	..	81.38	(+)81.38	योजना के तहत कम दवाओं की आपूर्ति के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹81.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-7,000.00				
2245-02-101-99-भोजन और वस्त्र	मूल	20.00	..	10.14	(+)10.14	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹10.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-20.00				
2245-02-102-दवाओं की आपूर्ति	मूल	50.00	..	3.65	(+)3.65	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹3.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-104- चारे की पूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	9.82	(+)9.82	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹9.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2245-02-122- खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	48.00	(+)48.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2245-02-282- 99- जल निकास ऑपरेशन	मूल	800.00	..	171.76	(+)171.76	योजना के तहत योगदान के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹171.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-800.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-06-101-99- भूकम्प योजना के लिए नकद सहायता	मूल	200.00	..	0.60	(+)0.60	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹0.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
2245-80-800-97- सिरकी तथा टैंट की खरीद	मूल	230.00	..	0.25	(+)0.25	अन्य प्रभार के तहत दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-230.00				
2245-80-800-98- अग्नि पीड़ितों को सहायता	मूल	300.00	..	34.23	(+)34.23	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/पुनर्वि./2024-25/444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹34.23 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-300.00				

(8) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2043-51-001-99-मेरा बिल मेरा अधिकार	मूल	..	28.95	28.95	..	अधिक पुरस्कार दावों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	27.95				

(9) इस मामले में, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधियों का आवर्धन हुआ, लेकिन व्यय बहुत कम था, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अप्रयुक्त और अनाभ्यर्पित रह गईं, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-98-अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण	मूल	2,000.00	7,000.00	2,775.33	(-)4,224.67	₹4,224.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	5,000.00				

(10) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें अविवेकपूर्ण तरीके से पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों का आवर्धन हुआ, जो अप्रयुक्त रह गईं, उसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2043-51-101-संग्रह शुल्क (51-एन.ए.)	मूल	20.00	8,172.68	..	(-)8,172.68	अधिक रिफंड दावों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹8,172.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	8,152.68				

- (11) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के चार मामले, जिसमें अविवेकपूर्ण तरीके से पुनर्विनियोजन के माध्यम से अपर्याप्त निधियों का आवर्धन किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ। इससे पता चलता है कि मूल बजट और पुनर्विनियोजन को ठीक से तैयार नहीं किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-101-97- बीजों, खादों तथा कृषि औजारों की आपूर्ति	मूल	16,010.00	20,677.16	27,549.49	(+)6,872.33	योजना के तहत अधिक बीजों, कृषि उपकरणों की आपूर्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹11,716.74 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/ 444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹6,872.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	4,667.16				
2245-02-113-घरों की मरम्मत/ पुनः निर्माण के लिए सहायता (51-एन.ए.)	मूल	50.00	514.85	516.38	(+)1.53	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि./2024-25/ 444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹1.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	464.85				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-800- अन्य व्यय (51-एन.ए.)	मूल	70.00	103.85	692.47	(+)588.62	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि. /2024-25/ 444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹588.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	33.85				
2245-80-800- 99- ओलावृष्टि/ कोहरा/पाला/ शीत लहर में राहत	मूल	4,000.00	11,145.83	14,451.70	(+)3,305.87	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन के कारण सही और ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 04/ पुनर्वि. /2024-25/ 444-45 दिनांक 04.06.2024)। ₹3,305.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	7,145.83				

पूँजीगत

- (12) ₹20,016.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹30,483.40 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (13) ₹20,016.24 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, सितंबर 2023 में प्राप्त ₹3,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं आया।

(14) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-64-निदेशालय अग्नि शमक सेवाएं हरियाणा पंचकूला के कार्यालय हेतु जमीन की खरीद व निर्माण कार्य	मूल	3,000.00	भवन के कम निर्माण कार्य/मरम्मत के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,000.00				

(15) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निधियां अनाभ्यर्पित रह गईं।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4216-01-106-98- जिला प्रशासन	मूल	5,000.00	1,864.53	1,566.37	(-)298.16	कम निर्माण कार्य/भवन की मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹298.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,135.47				

(16) एक मामले में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण ढंग से प्राप्त किया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा वास्तविक बचत से अधिक पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051- 99-जिला प्रशासन	मूल	14,000.00	1,774.17	12,518.46	(+)10,744.29	कम निर्माण कार्य/भवन की मरम्मत और मुआवजे के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹10,744.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	3,000.00				
	पुनर्वि.	-15,225.83				

- (17) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक निधियाँ अभ्यर्पित की गईं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051- 97-आबकारी एवं कराधान	मूल	11,400.00	2,277.90	2,298.92	(+)21.02	कम निर्माण कार्य/भवन की मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹21.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-9,122.10				

(18) राज्य आपदा राहत निधि:-

राज्य आपदा राहत निधि का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग आदि से राहत प्रदान करना है। यह आपदा राहत निधि योजना वर्ष 1990-91 से लागू है। राज्य आपदा राहत निधि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में योगदान किया जाता है।

निधि से व्यय को शुरू में अनुदान संख्या 04- "राजस्व/आबकारी एवं कराधान" में मुख्य शीर्ष- "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" के तहत रखा जाता है और बाद में वार्षिक खातों के बंद होने से पहले इसे राज्य आपदा राहत निधि में स्थानांतरित किया जाता है।

1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार ₹4,99,667.71 लाख प्रारंभिक शेष राशि तथा ₹1,11,810.76 लाख के ऋण (भारत सरकार तथा राज्य की हिस्सेदारी : ₹57,760 लाख, : ₹13,250.76 लाख के अव्ययित शेष की जमा राशि एवं निवेश पर उपार्जित ब्याज ₹40,800 लाख) को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा राहत निधि से ₹37,756.03 लाख व्यय किया गया, 31 मार्च 2024 को निधि में ₹5,73,722.44 लाख राशि शेष है।

एसडीआरएफ गाईड लाईन के पैरा 23 के अनुसार, निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि, भारत सरकार द्वारा इसके लिए जब तक कोई निर्देश जारी नहीं किए जाने तक, निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाएगा:-

- (i) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां
 - (ii) नीलामी किए गए राजकोषीय बिल,
 - (iii) निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज अर्जित जमा और जमा प्रमाण पत्र,
- निधि के लेन-देन का लेखा-जोखा वित्त लेखा वर्ष 2023-24 के विवरण संख्या 21 और 22 में शामिल है।

अनुदान संख्या-5-गृह/कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन
(उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)

(मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनयोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	78,20,13,29	78,20,14,29	72,49,91,45	(-)5,70,22,84
पूरक	1,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

5,63,27,43

प्रभारित

मूल	2,37,95,96	2,60,17,96	2,44,86,53	(-)15,31,43
पूरक	22,22,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

36,86,10

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,79,50,00	5,79,52,00	3,97,01,34	(-)1,82,50,66
पूरक	2,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

3,16,83,06

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹57,022.84 लाख की अंतिम बचत में से ₹695.41 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।
 (2) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105-92-केन्द्रीय वित्त आयोग आदि जघन्य अपराधों के मामले में त्वरित न्याय वितरण	मूल	6,000.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-6,000.00				
2014-51-105-95-जिला एवं सत्र न्यायालय तीव्र ट्रैक न्यायालय	मूल	1,400.00	906.90	906.90	..	निधियों के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-493.10				
2014-51-105-98- आदेश वाहक स्थापना जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय	मूल	278.05	213.12	213.12	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते और बकाया की वृद्धि दर के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-64.93				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-110- 99-महाप्रशासक और शासकीय न्यासी (98-स्थापना खर्च)	मूल	100.45	76.34	76.34	..	रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, किराया विलेख के अनुसार किराए का कम भुगतान और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-24.11				
2014-51-114- 94- राज्य कानूनी सहायता कोष	मूल	150.00	129.80	129.80	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था,
	पुनर्वि.	-20.20				
2014-51-114- 98- अभियोजन निदेशक (97-लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण)	मूल	204.00	10.27	10.27	..	प्रशिक्षण के कम संचालन और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम भ्रमण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था,
	पुनर्वि.	-193.73				
2055-51-001- 97-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) पुलिस (पीओएल- पीएलओ-आरईवी)	मूल	20,000.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि. /24- 25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-20,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-003- 97- भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र सुनारिया (रोहतक)	मूल	1,185.80	1,044.38	1,044.38	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संपत्ति कर का भुगतान न करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और स्टोर वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्यतः बिजली का अधिक बिल आना और महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-141.42				
2055-51-003- 98-पुलिस अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	मूल	1,381.00	1,138.29	1,138.29	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावे और ऊर्जा शुल्क के बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से महंगाई भत्ते दर की बढ़ोतरी के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-242.71				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-003- 99-भर्ती अग्रिम प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	3,994.00	2,995.51	2,995.51	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, ऊर्जा शुल्क के कम बिलों की प्राप्ति और सरकारी भवनों की कम मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो भर्ती प्रशिक्षुओं के लिए का भंडारण वस्तुओं की खरीद पर आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-998.49				
2055-51-101- 93-अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस)	मूल	987.00	190.32	190.32	..	कम्प्यूटरीकरण के तहत खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था,
	पुनर्वि.	-796.68				
2055-51-101- 94-हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	मूल	2,542.50	2,148.06	2,148.06	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, भवन की कम मरम्मत कार्य, स्टोर, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, ऊर्जा शुल्क बिलों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो हरियाणा राज्य नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो के वाहनों के ईंधन बिलों के भुगतान पर हुए आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-394.44				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-101-96-साइबर अपराध पुलिस स्टेशन/प्रकोष्ठ	मूल	578.80	495.93	495.93	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, नए वाहनों की कम खरीद और कम मरम्मत कार्य और ऊर्जा शुल्क बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्यतः कार्यालय वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-82.87				
2055-51-104-97-एचएपी दुर्गा-1	मूल	5,205.00	3,332.03	3,332.03	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि दावों की कम प्राप्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति न करने, सरकारी भवन की मरम्मत न करने और स्टोर वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बिजली बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,872.97				
2055-51-109-93-गवाह संरक्षण	मूल	100.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं(वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 517 दिनांक 20.06.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-109-94-सामुदायिक पुलिस	मूल	70.00	38.00	38.00	..	योजना के तहत राहगीरी कार्यक्रम का कम संचालन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-32.00				
2055-51-109-95-हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	मूल	1,000.00	कम्प्यूटरीकरण के तहत खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2055-51-109-96-हरियाणा कैडेट कोर	मूल	250.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 517 दिनांक 20.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-250.00				
2055-51-109-97-विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवक	मूल	200.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 517 दिनांक 20.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-200.00				
2055-51-113-99-पुलिस कल्याण	मूल	600.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-600.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-114-96-अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) नाम बदल कर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ निर्भया/साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यू सी)/ नारकोटिक्स के लिए राज्य को सहायता	मूल	1,000.00	कम्प्यूटरीकरण के तहत खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2055-51-115-99- उपकरणों की खरीद नाम बदलकर सीसीटीएनएस	मूल	2,100.00	54.40	54.40	..	स्टोर और उपकरणों के तहत कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,045.60				
2055-51-116-98-क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टाफ	मूल	400.00	253.17	253.17	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों को काम पर न रखने, बिजली बिलों की कम प्राप्ति, छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और परीक्षण किटों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-146.83				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-116- 99-फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टाफ	मूल	2,479.00	2,113.84	2,113.84	..	मुख्यतः स्टोर वस्तुओं की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने, अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों को काम पर न रखने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, सरकारी भवन की कम मरम्मत कार्य और सहायता अनुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी के कारण हुए आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-365.16				
2055-51-118- 99-कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य आपातकालीन सहायता विवेकाधीन योजना	मूल	50.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2055-51-792- 99-अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालना	मूल	70.00	40.68	40.68	..	ऋण माफी के मामले कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-29.32				
2055-51-797- 99-गवाह संरक्षण कोष	मूल	100.00	10.00	10.00	..	योजना के तहत गवाह संरक्षण के कम बिल प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-90.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-800-98-एचपीएचसी को ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए सहायता अनुदान	मूल	14,500.00	10,538.98	10,538.98	..	निधियों के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-3,961.02				
2056-51-101-96-जेल भवनों का रखरखाव	मूल	75.00	34.83	34.83	..	लघु मरम्मत कार्य के मामलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-40.17				
2056-51-102-98-जिला जेलें	मूल	258.70	215.77	215.77	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, नई मशीनरी की कम खरीद और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-42.93				
2056-51-102-99-केन्द्रीय जेलें	मूल	175.90	88.55	88.55	..	मुख्यतः सामग्री एवं आपूर्ति तथा किराया, दरों और कर आदेशों की कम प्राप्ति तथा और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-87.35				
2056-51-800-99-जेलों का आधुनिकीकरण	मूल	3,000.00	229.37	229.37	..	जैमर, टॉवर-हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम (टी-एचसीबीएस) आदि की स्थापना को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,770.63				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-106-99-निदेशन और प्रशासन	मूल	390.90	246.51	246.51	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम आयोजन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो स्थायी कर्मचारियों की कमी के कारण होम-गाईस की पोस्टिंग पर आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-144.39				
2070-51-107-99- निदेशन और प्रशासन	मूल	5,543.00	4,450.49	4,450.49	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, 01.04.2023 से ई-बिलिंग पोर्टल में आकस्मिकता मॉड्यूल में 'वेतन' विकल्प को हटाने के कारण स्वयंसेवकों के चिकित्सा बिलों के उत्पन्न न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत के दावों की कम प्राप्ति तथा वाहनों की निंदा की भरपाई के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्यतः कार्यालय भवन के लंबित किराए के बिलों के दावे के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,092.51				

- (3) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114- 95-मेडिएशन और कौंसिलेशन प्रोग्राम	मूल	120.00	67.22	63.47	(-)3.75	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./ 24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024)। ₹3.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-52.78				

- (4) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-98- अभियोजन निदेशक (98-स्थापना व्यय)	मूल	13,464.50	11,105.18	11,105.55	(+)0.37	मुख्यतः, नए फर्नीचर, कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर आदि की कम खरीद, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कानूनी शुल्क की कम प्राप्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों और प्रशिक्षुओं के कम पंजीकरण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से एडीए और डीए के लिए नए वाहनों की खरीद और अधिक चिकित्वा दावों की प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया । ₹2,140.09 लाख के अभ्यर्पण और ₹291.12 लाख के आधिक्य के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./ 24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024) । ₹0.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-2,359.32				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-99-महाधिवक्ता (98-स्थापना व्यय)	मूल	8,501.50	5,964.17	5,975.66	(+)11.49	मुख्यतः संविदा और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, नए कम्प्यूटर, स्कैनर और प्रिंटर आदि और नए वाहनों की कम खरीद, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण का संचालन न करना और छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से कार्यालय व्यय के लंबित बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹1,531.53 लाख के अभ्यर्पण और ₹18.37 लाख के आधिक्य के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./ 24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024)। ₹11.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,537.33				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-001- 99-केन्द्रीय पुलिस कार्यालय और रेंज	मूल	4,499.00	4,008.73	4,008.87	(+)0.14	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम प्रशिक्षुओं और संविदा कर्मचारियों को काम पर रखने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और सरकारी भवनों की कम मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से आईपीएस अधिकारियों के लिए लैपटॉप और प्रिंटर की खरीद तथा वाहनों की मरम्मत और बीमा पर अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-490.27				
2055-51-101- 99-सीआईडी और एससीआरबी	मूल	22,688.20	20,160.31	20,160.36	(+)0.05	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, स्टोर और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे और ऊर्जा शुल्क बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,527.89				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-104- 99-हरियाणा सशस्त्र पुलिस	मूल	27,968.25	24,995.82	24,998.38	(+)2.56	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, स्टोर वस्तुओं की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्वा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, मजदूरी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति न करने, भवन की कम मरम्मत कार्य और ऊर्जा शुल्क बिलों के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो सरकारी भवन के संपत्ति कर के भुगतान, महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी और कानून और व्यवस्था कर्तव्यों के लिए एचएपी बीएन की गतिशीलता पर अधिक व्यय के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया । ₹2.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-2,972.43				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-111-99-रेलवे तथा कमान्डो बल	मूल	17,877.50	16,862.59	16,896.79	(+)34.20	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, एचकेआरएनएल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शिफ्टिंग, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों को अधिक भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹34.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,014.91				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-114-99- बेतार तथा कम्प्युटर (98-स्थापना खर्चा)	मूल	14,115.60	11,696.11	11,696.58	(+)0.47	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह दावों की प्राप्ति न होने, कम्प्यूटरीकरण के तहत खरीद को अंतिम रूप न देने, स्टोर वस्तुओं की कम खरीद और बिजली बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,419.49				
2056-51-001-99-मुख्यालय स्टाफ-जेलें	मूल	748.00	656.86	660.30	(+)3.44	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की खरीद को अंतिम रूप न देने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरे और ऊर्जा शुल्क बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अधिक स्थानीय यात्रा करने के कारण ₹3.44 लाख की अंतिम अधिकता हुई।
	पुनर्वि.	-91.14				

- (5) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले में, जिसमें समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था और परिणामस्वरूप पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102-96-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) पीएचसी उच्च न्यायालय (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी)	मूल	10,000.00	..	10.89	(+)10.89	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेख/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./24-25/446-47 दिनांक 04.06.2024)। ₹10.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-10,000.00				

- (6) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से राशि बढ़ाई गई, जबकि वास्तविक व्यय मूल बजट से कम था, जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई, उसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-96-हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (98-स्थापना व्यय)	मूल	3,463.20	4,319.37	3,295.56	(-)1,023.81	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः नए वाहनों और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण का कम संचालन और छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,023.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	856.17				

- (7) अधिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-
- (8) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के प्रकरण, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से बढ़ाई गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105- 97-अधीनस्थ न्यायाधीश	मूल	29,500.00	36,525.77	36,528.22	(+)2.45	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः न्यायिक अधिकारियों के भत्तों में संशोधन, ऊर्जा शुल्क के लंबित बिलों के भुगतान और अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की प्राप्ति के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से महंगाई भत्ते, किराया विलेख के अनुसार किराया और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति पर कम भुगतान के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया। ₹2.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	7,025.77				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105- 99-जिला तथा सत्र न्यायधीश	मूल	34,842.30	41,859.40	41,873.27	(+)13.87	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः न्यायिक अधिकारियों के भत्तों में संशोधन, वेतन और विविध बिलों के लंबित बिलों के भुगतान और अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से महंगाई भत्ते पर कम भुगतान, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और बिजली की कम खपत के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया। ₹13.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	7,017.10				

प्रभारित विनियोग

- (9) ₹1,531.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹3,686.10 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (10) ₹1,531.43 लाख की अंतिम बचत में से, मार्च 2024 में प्राप्त ₹2,222 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पण की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102- 98-स्थापना (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,484.65	2,059.31	4,025.91	(+)1,966.60	मुख्यतः अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम प्रशिक्षण का संचालन किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹1,221.44 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./ 24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024)। ₹1,966.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,425.34				

- (12) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर लिया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अनुपूरक अनुदान का अभ्यर्पण कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गए थे:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102- 99-न्यायाधीश	मूल	19,241.31	20,208.17	20,396.24	(+)188.07	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./ 24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024)। ₹188.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	2,222.00				
	पुनर्वि.	-1,255.14				

पूंजीगत

दत्तमत अनुदान

- (13) ₹18,250.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹31,683.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (14) बचत मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4055-51-207- 95-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) पुलिस (पीएलओ- पीएलओ-सीएपी)	मूल	20,850.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 05/ पुनर्वि./ 24-25/ 446-47 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-20,850.00				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-201-99-कार्यालय भवन (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि का क्रय	मूल	3,500.00	1,334.01	1,334.01	..	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड द्वारा संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान, हसनपुर जिला करनाल के भवन निर्माण के लिए अंतिम अनुमान उपलब्ध न कराने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,165.99				

(15) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेशों के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-96-जेल	मूल	11,000.00	48.50	10,828.22	(+)10,779.72	निर्माण एजेंसी से बिल नहीं मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹10,779.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-10,951.50				
4216-01-106-97-जेल	मूल	3,000.00	38.34	2,691.03	(+)2,652.69	निर्माण एजेंसी से बिल नहीं मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,652.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,961.66				

(16) अधिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4055-51-207- 99- कार्यालय भवन	मूल	5,000.00	11,246.13	11,246.13	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और इमारतों की अधिक मरम्मत कार्यों के कारण किया गया था, जो मुख्यतः योजना के तहत भूमि की कम खरीद के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	6,246.13				

(मुख्य शीर्ष-2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049- ब्याज अदायगियाँ, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2057-राजकोष एवं लेखा प्रशासन, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,36,76,89,14	1,49,40,68,29	1,41,01,62,43	(-)8,39,05,86
पूरक	12,63,79,15			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

1,43,35,80,76

प्रभारित

मूल	2,12,49,90,30	2,22,49,90,30	2,16,04,97,37	(-)6,44,92,93
पूरक	10,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

22,33,23,15

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,17,32,00	4,67,32,00	2,47,03,68	(-)2,20,28,32
पूरक	1,50,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

2,20,28,32

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ

राजस्व
दत्तमत अनुदान

- (1) ₹83,905.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹14,33,580.76 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹83,905.86 लाख की अंतिम बचत में से, सितंबर 2023, जनवरी 2024 और मार्च 2024 में प्राप्त ₹1,26,379.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2047-51-103- 99-लघु बचत और लॉटरी के मुख्यालय कर्मचारी (98-स्थापना व्यय छोटे बचत और लॉटरी)	मूल	208.20	150.72	150.72	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, अंशकालिक कर्मचारियों की गैर-नियुक्ति और मानदंडों के अनुसार कम पात्र व्यक्तियों की पहचान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-57.48				
2054-51-095- 94-प्रधान महालेखाकार, हरियाणा द्वारा पेंशन और सम्बन्धित गतिविधि के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	मूल	30.00	8.71	8.71	..	निधियों का अभ्यर्पण कम्प्यूटर/सहायक उपकरण की कम खरीद के कारण हुआ ।
	पुनर्वि.	-21.29				
2054-51-095- 96- एकीकृत वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली	मूल	320.00	250.78	250.78	..	मुख्यतः पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति और कम्प्यूटर/सहायक उपकरण की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-69.22				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-51-800-99-राज्य के बजट बनाने तथा नियंत्रणीकरण हेतु व्यवस्था (98-स्थापना व्यय)	मूल	78.00	3.80	3.80	..	मुख्यतः क्रय मद में वस्तुओं की खरीद न होने तथा मानदेय के लिए कम पात्र व्यक्तियों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-74.20				
2057-51-101-99-खरीद संगठन	मूल	552.00	457.69	457.69	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति को स्थगित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-94.31				
2075-51-800-93-वित्त विभाग के पास गैर अनुमानित खर्च हेतु आरक्षित	मूल	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पूरक	249.83				
	पुनर्वि.	-249.83				
3451-51-101-99-मुख्यालय अमला	मूल	357.00	189.67	189.67	..	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुआ ।
	पुनर्वि.	-167.33				
3451-51-102-94-स्वर्ण जयंती वित्तीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा	मूल	600.00	324.14	324.14	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही एवं टोस नहीं थे । टोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 06/पुनर्वि./24-25 /327-28 दिनांक 22.05.2024) ।
	पुनर्वि.	-275.86				

अनुदान संख्या-6-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3451-51-102- 97-राज्य स्तर योजना मशीनरी का सुदृढीकरण करना (98-स्थापना व्यय)	मूल	235.00	146.77	146.77	..	पेशेवर और विशेष सेवाओं के तहत कर्मचारियों की कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-88.23				
3451-51-102- 98-जिलों का सुदृढीकरण	मूल	90.00	55.03	55.03	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-34.97				
3454-02-001- 80-राजीव आवास योजना क्षमता भवनों/प्रारंभिक गतिविधियों/ आइस क्रियाएँ	मूल	20.00	भारत सरकार को वापसी के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-20.00				
3454-02-001- 90-ग्यारहें वित्त आयोग के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण हेतु सहायता (98-स्थापना व्यय)	मूल	600.00	भारत सरकार से निधियां न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-600.00				
3454-02-001- 92-हरियाणा में सातवीं आर्थिक जनगणना	मूल	30.00	भारत सरकार से निधियां न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-30.00				

- (4) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2075-51-800-88- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएस वाई)	मूल	20,058.00	50.29	50.65	(+)0.36	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना के अंतर्गत ई-सैलरी पोर्टल का काम न करना था। ₹20,006.52 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही एवं ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेख/ अनु.सं. 06 /पुनर्वि./24-25/ 327-28 दिनांक 22.05.2024)। ₹0.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-20,007.71				
3454-02-001-99-आर्थिक तथा सांख्यिकीय संगठन (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,325.50	2,035.27	2,035.54	(+)0.27	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और मानदेय के लिए निर्धारण सीमा के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-290.23				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3475-51-800- 99-संस्थागत वित्त एवं साख निदेशालय मुख्यालय अमला	मूल	125.00	43.44	43.57	(+)0.13	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने और कम्प्यूटर/सहायक उपकरण की कम खरीद के कारण किया गया था। ₹0.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-81.56				

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में, जिसमें समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना ही व्यय कर दिया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01-102- पेंशन का संराशिकृत मूल्य (51-एनए)	मूल	1,20,000.00	..	1,11,521.04	(+)1,11,521.04	लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,11,521.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,20,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01-104- उपदान (51-एनए)	मूल	1,30,000.00	..	1,36,193.56	(+)1,36,193.56	ग्रेज्युटी दावों की कम प्राप्ति के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,36,193.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,30,000.00				
2071-01-105- पारिवार पेंशन (51-एनए)	मूल	1,27,500.00	..	1,48,939.72	(+)1,48,939.72	लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,48,939.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,27,500.00				
2071-01-106- उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार (51-एनए)	मूल	29,999.00	..	2,103.35	(+)2,103.35	लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,103.35 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-29,999.00				
2071-01-111- 99-राज्य विधान सभा के सदस्य	मूल	20,000.00	..	2,424.48	(+)2,424.48	लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,424.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-20,000.00				

- (6) निम्नलिखित मामलों में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में अनुपूरक बजट सहित समस्त बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया और बजट प्रावधान की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया, जो इंगित करता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01-101- अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते (51-एनए)	मूल	7,50,000.00	..	7,82,043.41	(+)7,82,043.41	लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹7,82,043.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	78,503.32				
	पुनर्वि.	-8,28,503.32				
2071-01-117- 99- हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (99-सरकार का परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु अंशदान)	मूल	1,22,500.00	..	1,66,444.42	(+)1,66,444.42	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही एवं ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 06/पुनर्वि./24-25/ 327-28 दिनांक 22.05.2024)। ₹1,66,444.42 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	32,500.00				
	पुनर्वि.	-1,55,000.00				

- (7) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया है। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-51-098- 99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	4,061.50	3,658.55	3,659.15	(+)0.60	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत और यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति, पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति और कम्प्यूटर/ सहायक उपकरण की खरीद न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्यतः बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने से समायोजित हुआ। ₹0.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	95.00				
	पुनर्वि.	-497.95				

प्रभासित विनियोग

- (8) ₹64,492.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹2,23,323.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹64,492.93 लाख की अन्तिम बचत में से, मार्च 2024 में प्राप्त ₹1,00,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(10) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01-200-87-एचबीए/वाहन/कंप्यूटर/विवाह के लिए पंजाब नेशनल बैंक से ऋण पर ब्याज का भुगतान	मूल	3,000.00	2,656.17	2,656.17	..	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-343.83				
2049-01-200-92-एन.सी.आर.पी. बी. से लिए नये कर्जे पर ब्याज	मूल	6,800.00	5,570.38	5,570.38	..	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से कम ऋण मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,229.62				
2049-01-200-95- भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंक से ऋण	मूल	10,000.00	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10,000.00				
2049-01-200-96-नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण उधार निधि से कर्जे	मूल	31,906.00	23,398.65	23,398.65	..	नाबार्ड से कम ऋण मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-8,507.35				
2049-03-104-98- ए आई एस पर ब्याज	मूल	355.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही एवं ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 06/पुनर्वि./24-25 /327-28 दिनांक 22.05.2024)।
	पुनर्वि.	-355.00				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-60-701-98-सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज की छूट के अन्य दायित्व पर ब्याज	मूल	1,500.00	562.32	562.32	..	सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऋण की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-937.68				

(11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित प्रकरण, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित किये जाने के फलस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01-200-89-वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजना के कारण ब्याज का भुगतान	मूल	1,34,676.20	92,066.30	1,34,676.20	(+) 42,609.90	वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजना से ऋण की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹42,609.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-42,609.90				
2049-01-200-97-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्जे	मूल	60,000.00	33,835.52	36,480.59	(+) 2,645.07	मुख्य रूप से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कम ऋण प्राप्त करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,645.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-26,164.48				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-04-101- 99-ब्लॉक कर्ज	मूल	4,000.00	7.67	9,834.33	(+)9,826.66	ब्लॉक ऋण से कम ऋण प्राप्त करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹9,826.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,992.33				

- (12) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में, जिसमें समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना ही व्यय कर दिया गया।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01-115- 99-भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम अर्थोपाय	मूल	1,000.00	..	903.22	(+)903.22	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹903.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,000.00				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01-200- 86-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण (एस.आई.डी. बी.आई.)	मूल	100.00	..	43.01	(+)43.01	एससीडीएफ के तहत एसआईडीबीआई से ब्याज भुगतान चालान प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹43.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				
2049-01-305- 99-नये कर्ज आदि पर खर्च	मूल	5,000.00	..	6,508.86	(+)6,508.86	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही एवं ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 06/पुनर्वि./24-25/327-28 दिनांक 22.05.2024)। ₹6,508.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-5,000.00				
2049-03-108- 99-जी.आई.एस. पर ब्याज	मूल	2,500.00	..	2,500.00	(+)2,500.00	योजना के तहत दावा प्राप्त नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,500 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,500.00				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-04-104- 95-पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल	80.00	..	71.65	(+)71.65	विभाग से मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹71.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-80.00				
2049-04-109- 99- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना ऋण पर ब्याज	मूल	2,500.00	..	986.06	(+)986.06	12वें वित्त आयोग से ऋण नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹986.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,500.00				
2049-05-101- 97-मूल्य हास आरक्षित निधि (राजकीय प्रैस)	मूल	200.00	..	225.93	(+)225.93	योजना के तहत ब्याज का दावा प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹225.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
2049-05-101- 98- मूल्य हास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	मूल	6,000.00	..	6,239.17	(+)6,239.17	योजना के तहत ब्याज का दावा प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹6,239.17 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-6,000.00				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-05-101-99-मोटर परिवहन आरक्षित निधि	मूल	48.00	..	56.71	(+)56.71	योजना के तहत दावा प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹56.71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-48.00				
2049-60-101-97-एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित भूमि की ओर जमा पर ब्याज	मूल	100.00	..	82.94	(+)82.94	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही एवं ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 06/पुनर्वि./24-25 /327-28 दिनांक 22.05.2024)। ₹82.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				
2049-60-101-98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि की ओर जमा पर ब्याज	मूल	1,600.00	..	1,683.72	(+)1,683.72	योजना के तहत दावा प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ₹1,683.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,600.00				

- (13) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में समस्त बजट प्रावधान और अनुपूरक अनुदान को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया और बजट प्रावधान की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया, जो इंगित करता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-03-104- 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	1,35,000.00	..	1,27,056.53	(+) 1,27,056.53	योजना के तहत दावा प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,27,056.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	11,000.00				
	पुनर्वि.	-1,46,000.00				

- (14) अधिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-05-105- 98-प्रतिपूरक वनीकरण कोष पर ब्याज	मूल	2,958.00	3,726.00	3,726.00	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन के कारण सही एवं ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 06 / पुनर्वि./24-25/ 327-28 दिनांक 22.05.2024)।
	पुनर्वि.	768.00				
2049-60-701- 96-पेंशनरी लाभ इत्यादि के देरी भुगतान पर ब्याज	मूल	300.00	1,244.96	1,244.96	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन विभागों द्वारा विलंबित भुगतान की अधिक मांग प्राप्त होने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	944.96				

- (15) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें अविवेकपूर्ण तरीके से पुनर्विनियोजन के माध्यम से राशि बढ़ाई गई, जो अप्रयुक्त रह गई, उसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01-101- 99-ब्याज सहित बाजारी कर्ज पर ब्याज	मूल	16,10,200.00	17,34,010.80	16,91,390.03	(-)42,620.77	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन बाजार ऋणों से अधिक ऋणों की प्राप्ति के कारण किया गया था। ₹42,620.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	89,000.00				
	पुनर्वि.	34,810.80				

पूजीगत

दत्तमत अनुदान

- (16) ₹22,028.32 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, सितंबर 2023 में प्राप्त ₹15,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया।
- (17) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051- 60-वित्त भवन का निर्माण	मूल	10,700.00	योजना के तहत निर्माण कार्य नहीं होने और जमीन नहीं खरीदने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10,700.00				
4059-60-051- 72-खजाना तथा लेखा प्रशासन	मूल	32.00	योजना के तहत निर्माण कार्य नहीं होने और जमीन नहीं खरीदने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-32.00				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4885-01-190-79-हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को शेयर पूंजी	मूल	..	10,500.00	10,500.00	..	योजना के तहत पूंजी शेयर के कम निवेश के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पूरक	15,000.00				
	पुनर्वि.	-4,500.00				
5475-51-115-99-जिला योजना का सुदृढीकरण	मूल	12,000.00	8,065.01	8,063.15	(-)1.86	योजना के तहत कम निर्माण कार्य होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹1.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-3,934.99				
5475-51-789-99-जिला योजना स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण	मूल	8,000.00	5,138.67	5,140.53	(+)1.86	योजना के तहत कम निर्माण कार्य होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹1.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-2,861.33				

(18) राज्य आपदा शमन कोष:-

राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाता है । यह फंड विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है । राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्रमुख शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि, 130-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत एसडीएमएफ नहीं बनाया है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की ।

(19) समेकित ऋणशोधन निधि:-

निधि एक परिशोधन कोष है जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2002-03 से आरम्भ होने वाले बाजार ऋणों के मोचन के लिए है। हरियाणा राज्य सरकार ने आंतरिक ऋण और लोक खाते की बकाया देनदारी के मोचन के लिए 08 जून, 2020 को इस योजना को प्रतिस्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को पिछले वर्ष के अंत तक बकाया देनदारियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत का योगदान करना आवश्यक है। कोष में अंशदान बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इस प्रकार, सरकार किसी भी समय सामान्य राजस्व या अन्य संसाधनों से निधि में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निवेश की आय के रूप में निधि में होने वाली आय को राज्य सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जाएगा।

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/ निर्देशों के अधीन इस निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा प्रशासित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को निधि के खाते में प्रारंभिक शेष के रूप में ₹1,69,447.19 लाख की शेष राशि थी। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने निधि में केवल ₹30,000 लाख का अंशदान किया। निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज के लिए ₹12,994.21 लाख की राशि निधि में जोड़ी गई। वर्ष के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष की समाप्ति पर, निधि में ₹2,12,441.40 लाख की शेष राशि थी।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, निधि में वृद्धि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/इस तरह की परिपक्वता के नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों में निवेश किया जाना है, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर बैंक से परामर्श करके निर्धारित करती है।

रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹2,12,228.44 लाख की राशि का निवेश किया गया है। विवरणी संख्या 22 अनुसार निवेश का अंकित मूल्य ₹2,20,551.98 लाख है।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे की वर्ष 2023-24 के विवरणी संख्या 21 और 22 में शामिल है।

(20) गारंटी मोचन कोष:-

यह निधि राज्य स्तरीय उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बॉण्ड्स और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न होने वाली सरकार के दायित्वों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है और लाभार्थियों द्वारा लागू की गई है और उन संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा 2002-03 के दौरान किया गया था और इसे 08 जून 2020 को प्रतिस्थापित किया गया था। निधि के प्रावधान के अनुसार, राज्य को न्यूनतम 0.5 प्रतिशत के वार्षिक या आवधिक योगदान के साथ एकत्रित गारंटी शुल्क को निधि में अगले पाँच वर्ष तक न्यूनतम 3 प्रतिशत का स्थानांतरण करना आवश्यक है। राज्य स्तर के निकायों के सभी उधारों पर राज्य गारंटी के एवज में लिए जाने वाले सभी उधारों पर गारंटी शुल्क लगाने से निधि के कोष को मजबूत किया जाना है। इस प्रकार एकत्र किया गया गारंटी शुल्क मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं-108-गारंटी शुल्क के तहत जमा किया जाता है। निधि में अंशदान समय-समय पर '2075-विविध सेवाएं' शीर्ष को डेबिट करके किया जाना है जहाँ राज्य सरकार द्वारा आवश्यक बजट प्रावधान किया जाता है और निधि में किए गए निवेश पर आय होती है। निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा ऐसे निर्देशों के अधीन किया जाएगा जो सरकार समय-समय पर जारी कर सकती है।

वर्ष 2023-24 की शुरुआत में, सरकार की बकाया गारंटी ₹23,05,806.89 लाख थी। 1 अप्रैल 2023 को निधि के खाते में प्रारंभिक शेष के रूप में ₹1,54,086.31 लाख की शेष राशि थी। राज्य सरकार ने निधि में कोई अंशदान नहीं किया है। निधि में निवेश पर उपार्जित ब्याज के रूप में ₹12,193.86 लाख की राशि को निधि में जोड़ा गया था। वर्ष के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था। वर्ष की समाप्ति पर, निधि में ₹1,66,280.17 लाख की शेष राशि पड़ी थी।

31 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹1,66,280.17 लाख की समस्त शेष राशि का निवेश किया गया है। निवेश (प्रतिभूतियों) का अंकित मूल्य ₹1,60,845.13 लाख है।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधि में वृद्धि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/इस तरह की परिपक्वता के नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों में निवेश किया जाना है, जैसा कि राज्य सरकार बैंक के साथ समय-समय परामर्श करके निर्धारित करती है।

लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर भुगतान किए जाने वाले दावों के कारण देयता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित क्रम में परिसमापन की जाने वाली राशि के लिए निवेश साधनों का बेचा जाना है:

- (i) नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल
 - (ii) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां
 - (iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां
- निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे की वर्ष 2023-24 के विवरणी संख्या 21 और 22 में शामिल है।

(मुख्य शीर्ष- 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज, 6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज, 6408-खाद्य भण्डारण तथा भंडारग्रह के लिए कर्ज, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज, 6501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋण, 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज, 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज, 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

पूँजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,04,92,60	14,64,92,60	7,24,69,17	(-)7,40,23,43
पूरक	1,60,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि
(मार्च 2024)

7,03,99,97

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं
पूँजीगत
दत्तमत अनुदान

- (1) ₹74,023.43 लाख की अंतिम बचत में से, ₹3,623.46 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।
- (2) ₹74,023.43 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, सितम्बर 2023 में प्राप्त ₹16,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6408-02-190-99-वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज के लिए ऋण	मूल	2,872.00	2,475.62	2,475.62	..	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कम निधियां जारी किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-396.38				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6425-51-108-84-सहकारी आवास प्रसंग के लिए ऋण	मूल	50.00	सरकार द्वारा हाउसफेड की लोडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
6425-51-108-86-किसानों के लिए हरियाणा राज्य सहयोग कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए सरकार के ऋण के लिए योजना	मूल	4,000.00	3,200.00	3,200.00	..	ऋण दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-800.00				
6425-51-108-99-समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम	मूल	2,000.00	परियोजना के बंद होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,000.00				
6425-51-789-98-अनुसूचित जाति को सहकारी आवास प्रसंग के लिए ऋण	मूल	50.00	सरकार द्वारा हाउसफेड की लोडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
6501-51-190-99-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को ऋण (एच एस ए एम बी)	मूल	9,900.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 07 /पुनर्वि. आदेश 2024-25/442-43 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-9,900.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6515-51-102- 99-राजस्व अर्जित करने हेतु ग्राम पंचायत को ऋण	मूल	200.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 07 /पुनर्वि. आदेश 2024-25/442-43 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
6851-51-102- 90-अस्थगित बिक्री कर/ वैट के एवज में ब्याज मुक्त ऋण	मूल	4,000.00	4,000.00	333.00	(-)3,667.00	₹3,667 लाख की अंतिम बचत का कारण वित्त विभाग, हरियाणा के साथ ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) देने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी से सम्बन्धित मुद्दे पर विचाराधीन होना था।
6860-04-101- 95-बिजली सह उत्पादन और सहकारी चीनी मिलों में इथोनॉल संयंत्र की स्थापना करना	मूल	30,000.00	ऋण दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-30,000.00				
6860-04-101- 99-सभी सरकारी चीनी मिलों को ऋण	मूल	39,000.00	21,600.00	21,600.00	..	ऋण दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-17,400.00				
7610-51-201- 99-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अलावा अन्य सहकारी कर्मचारियों को भवन कर्जे (98-विवेकाधीन कोटे के तहत अग्रिम)	मूल	4,300.00	सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,300.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-201-99-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अलावा अन्य सहकारी कर्मचारियों को भवन कर्जे (99-विवेकाधीन कोटे के अलावा अन्य अग्रिम)	मूल	500.00	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की ओर से मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-500.00				
7610-51-202-98- मंत्रियों उप मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों और राज्य विधायकों को मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	मूल	500.00	99.99	99.99	..	विधान सभा सदस्यों/ मंत्रियों से ऋण की मांग कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-400.01				

(4) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-800-99-खाद्यान्न की खरीद हेतु पेशगियाँ	मूल	8,000.00	4,787.19	2,581.24	(-)2,205.95	सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांग कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹2,205.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,212.81				

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-201-98-गृह निर्माण के लिए मन्त्रियों, उपमन्त्रियों, राज्य मंत्रियों अधिष्ठाता अधिकारियों व राज्य विद्यायकों को भवन कर्जे	मूल	1,000.00	180.00	203.62	(+)23.62	विधान सभा सदस्यों/ मंत्रियों से ऋण की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण हुआ। ₹23.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-820.00				
7610-51-800-96-डिफॉल्ट राशि के लिए भुगतान/रिकवरी	मूल	4,800.00	3,030.96	3,852.90	(+)821.94	सरकारी कर्मचारियों से डिफॉल्ट राशि की अधिक वसूली के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹821.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,769.04				
7610-51-800-98-उत्सव पेशगियाँ	मूल	2,000.00	1,575.37	2,971.98	(+)1,396.61	सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांग कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,396.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-424.64				

- (6) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित प्रकरणों में, जिसमें समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना ही व्यय कर दिया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-202-97-अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को कर्ज वाहन सुविधा	मूल	200.00	..	0.07	(+)0.07	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की ओर से मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹0.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-200.00				
7610-51-202-99-मोटर वाहन की खरीद के लिए पेशगियां (मन्त्रियों तथा राज्य विधायकों को छोड़कर) (99-विवेकाधीन कोटे के अलावा अन्य अग्रिम)	मूल	400.00	..	0.07	(+)0.07	सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹0.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-400.00				
7610-51-800-97-विवाहोत्सव के लिए पेशगियां	मूल	590.00	..	1.03	(+)1.03	सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹1.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-590.00				

(7) अधिकता मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6401-51-190-99-हरियाणा कृषि उद्योग नियम को ऋण के लिए योजना	मूल	3,100.00	6,138.00	6,138.00	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से अधिक निधियां जारी होने के कारण किया गया था ।
	पुनर्वि.	3,038.00				

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम)

पूँजीगत
प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,52,20,37,18	5,78,59,37,18	5,91,94,20,30	(+)13,34,83,12
पूरक	26,39,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-
पूँजीगत
प्रभारित विनियोग

- (1) व्यय अनुदान से ₹13,34,83,11,643 बढ़ गया, आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है।
- (2) पुनर्विनियोजन आदेश नियमानुसार नहीं थे, इसलिए लेखे में शामिल नहीं किया जा सका। अतः पुनर्विनियोजन आदेशों की बचत/आधिक्य के कारणों को भी लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (3) ₹1,33,483.12 लाख की कुल बचत को देखते हुए, ₹2,63,900 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (4) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-51-105-99- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से कर्जे	मूल	63,812.05	63,812.05	69,706.68	(+)5,894.63	₹5,894.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-51-109-96-एनसीआरपीबी से कर्जे (लोक स्वास्थ्य)	मूल	1,676.11	1,676.11	2,088.07	(+)411.96	₹411.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
6003-51-109-97-सड़कों के उत्थान हेतु एनसीआरपीबी से कर्जे (बीएण्डआर)	मूल	12,653.07	12,653.07	14,324.53	(+)1,671.46	₹1,671.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

- (5) एक मामला, जिसमें वास्तविक व्यय से कम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से बजट प्रावधान बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि अनुपूरक अनुदान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-51-110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (51-एनए)	मूल	20,00,000.00	22,63,900.00	25,99,412.00	(+)3,35,512.00	₹3,35,512 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	2,63,900.00				

- (6) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-51-108-99-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	मूल	14,04,645.07	14,04,645.07	11,98,831.82	(-)2,05,813.25	₹2,05,813.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6004-01-203-99-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल	214.43	214.43	157.15	(-)57.28	₹57.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
6004-02-101-एक मुक्त कर्ज (51-एनए)	मूल	15,318.04	15,318.04	11,181.65	(-)4,136.39	₹4,136.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

(मुख्य शीर्ष-7999 आकस्मिकता निधि का विनियोग)

पूँजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि
(मार्च 2024)

शून्य

अनुदान संख्या-10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन तथा डेयरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य प्राणी/परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

(मुख्यतः शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशुपालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई, 2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, 3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 4853-अलौह खनन और धातु कर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज, 6403-पशुपालन के लिये कर्ज, 6416-कृषि वित्तीय संस्थाओं को ऋण)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	59,17,20,30	62,03,82,95	33,71,25,58	(-)28,32,57,37
पूरक	2,86,62,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

28,50,21,56

प्रभारित

मूल	1,54,00	1,54,00	46,84	(-)1,07,16
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

1,07,16

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,29,35,30	20,29,35,30	8,64,26,57	(-)11,65,08,73
पूरक	4,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

11,94,58,47

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹2,83,257.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को ₹2,85,021.56 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ ।
- (2) ₹2,83,257.37 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्राप्त ₹28,662.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-001-96-कृषि (एनइजीपीए) के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना	मूल	500.00	भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-500.00				
2401-51-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	969.00	857.05	857.05	..	मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनुग्रह दावों और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते के अधिक भुगतान द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-111.95				
2401-51-105-84- मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन पर योजना	मूल	4,565.00	2,223.25	2,223.25	..	मुख्यतः सामग्री और आपूर्ति कार्यों को अंतिम रूप न देने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यों की लेआउट योजना को अंतिम रूप न देने और प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-2,341.75				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-105-96- कृषि सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण योजना	मूल	500.00	219.70	219.70	..	निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-280.30				
2401-51-107-99-पौधा संरक्षण प्रक्रिया	मूल	2,042.00	1,602.13	1,602.13	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग निति के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-439.87				
2401-51-108-80- हरियाणा में कपास की खेती के विकास हेतु योजना	मूल	5,500.00	2,856.09	2,856.09	..	कपास की फसल पर सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-2,643.91				
2401-51-108-83-फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने की योजना	मूल	35,000.00	21,499.51	21,499.51	..	फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के तहत सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-13,500.49				
2401-51-108-94-हरियाणा में गन्ने का विकास	मूल	1,458.00	हरियाणा में उच्च उपज वाली किस्त कार्यक्रम एचवाईवीपी के साथ योजना को समायोजित करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,458.00				
2401-51-109-76- हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढीकरण की योजना	मूल	300.00	100.00	100.00	..	सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-200.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-77-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	3,600.00	755.81	755.81	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-2,844.19				
2401-51-109-78- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	मूल	20,000.00	16,400.00	16,400.00	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया गया था ।
	पुनर्वि.	-3,600.00				
2401-51-109-80- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना	मूल	20,000.00	5,817.00	5,817.00	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया गया था ।
	पुनर्वि.	-14,183.00				
2401-51-109-81-निरन्तर कृषि सामरिक महत्व को बढ़ावा देते हेतु पहला कदम तथा किसान कल्याण कोष	मूल	7,000.00	4,731.00	4,731.00	..	मुख्यतः सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति और कम प्रकाशन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-2,269.00				
2401-51-109-85-एक्सटेंशन सुधार कार्यक्रम के विस्तार हेतु केन्द्रीय समर्थन के लिए योजना	मूल	4,000.00	1,700.01	1,700.01	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-2,299.99				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-93-कृषि का सुदृढीकरण तथा सरंचना विस्तार योजना	मूल	2,500.00	1,466.77	1,466.77	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने, वाहनों की कम खरीद, लघु कार्यों को अंतिम रूप न देने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावे न मिलने और ऊर्जा बिलों के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पेशेवर कर्मचारियों की अधिक व्यवस्था, अन्य शुल्कों की अधिक प्राप्ति, कम्प्यूटरों की खरीद, बिलों का अधिक भुगतान और कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अधिक दौरे के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,033.23				
2401-51-111-90-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल	65,000.00	24,712.41	24,712.41	..	मुख्यतः सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन के कारण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था, जो आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-40,287.59				
2401-51-111-96-फसल सांख्यिकी विकास योजना	मूल	95.00	58.12	58.12	..	रिक्त पदों का न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-36.88				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-111-97-हरियाणा में प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र के अनुमानों की समय पर रिपोर्ट	मूल	80.00	50.25	50.25	..	रिक्त पदों का न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-29.75				
2401-51-113-82- फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना	मूल	10,000.00	8,999.99	8,999.99	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.01				
2401-51-113-96-कृषि इंजीनियरिंग सेवा योजना	मूल	800.00	35.77	35.77	..	निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने और सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-764.23				
2401-51-119-50-सिल्क समग्र सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना (आईएसडीएस आई)	मूल	50.00	योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2401-51-119-54-बागवानी किसानों के लिए खेत पर मदद व विपणन प्रोत्साहन	मूल	9,000.00	479.82	479.82	..	मुख्यतः पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के तहत काम पूरा न होने, सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति और गैर-आवर्ती व्यय के कारण कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-8,520.18				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-58-बागवानी क्षेत्र में आधुनिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों के प्रोत्साहन हेतु योजना	मूल	5,600.00	2,893.36	2,893.36	..	मुख्यतः निविदा को अंतिम रूप न देने, छोटे कार्यों को पूरा न करने, सब्सिडी के दावों की कम प्राप्ति, खेतों के विकास के तहत काम पूरा न करने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अधिकारियों द्वारा कम दौरे और फर्नीचर की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो लंबित ऊर्जा बिलों के अतिरिक्त भुगतान द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-2,706.64				
2401-51-119-63-हरियाणा में उद्यान फसलों की बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री बीमा योजना	मूल	1,000.00	योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2401-51-119-69-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मूल	11,000.00	7,809.16	7,809.16	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,190.84				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-71- बागवानी में राष्ट्रीय निर्धारण और सतत पहल	मूल	500.00	70.06	70.06	..	मुख्यतः सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति, अन्य शुल्कों के तहत बिलों का कम भुगतान, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति/ हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-429.94				
2401-51-789-84-सिल्क समग्र सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना (आईएसडीएसआई) अनुसूचित जाति के किसान हेतु	मूल	60.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-60.00				
2401-51-789-88-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मूल	3,000.00	1,290.84	1,290.84	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,709.16				
2401-51-789-89- किसानों तथा अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर औजार तथा मशीनरी प्रदान करने हेतु स्कीम	मूल	2,005.00	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत दावों की कम प्राप्ति के कारण समस्त निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,005.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-789-90-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राज्य के विकास कार्यों हेतु सुधार कार्यों में विकास के लिए समर्थन	मूल	1,000.00	33.75	33.75	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-966.25				
2401-51-789-97-अनुसूचित जातियों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सहायता	मूल	3,000.00	1,397.00	1,397.00	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,603.00				
2401-51-789-98-अनुसूचित जाति वर्ग के लिए समेकित बागवानी विकास हेतु योजना	मूल	1,000.00	650.83	650.83	..	अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था
	पुनर्वि.	-349.17				
2402-51-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	2,404.75	1,686.49	1,686.49	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कम आयोजन, अनुग्रह राशि की कम प्राप्ति और कम अवकाश यात्रा रियायात दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-718.26				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2402-51-101-95- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	1,000.00	413.34	413.34	..	मुख्यतः भारत सरकार से सामग्री एवं आपूर्ति तथा कार्यालय व्यय के लिए निधियों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-586.66				
2402-51-102-77-स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	मूल	500.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-500.00				
2402-51-102-86-प्रदेश में लवणीय भूमि एवं जल भराव वाली भूमि के पुनरुद्धार हेतु पायलट परियोजना	मूल	2,000.00	1,242.49	1,242.49	..	लघु कार्यों के भुगतान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-757.51				
2402-51-102-91-विशेष स्थानों पर मरुस्थल नियंत्रण हेतु वन रोपण	मूल	231.52	189.65	189.65	..	लघु कार्यों के भुगतान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । जो रखरखाव कार्यों के दावों की अधिक प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-41.87				
2402-51-789-98-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	330.00	93.33	93.33	..	भारत सरकार से सामग्री एवं आपूर्ति तथा कार्यालय व्यय के लिए निधियों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-236.67				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-001-99- निदेशालय पशुपालन और डेयरी की स्थापना का नाम बदलकर पशुपालन और डेयरी के निदेशालय और जिला अमला की स्थापना	मूल	3,955.80	2,607.38	2,607.38		मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति और विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,348.42				
2403-51-101-58-पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम आदि के लिए योजना (100 प्रतिशत)	मूल	100.00	7.50	7.50	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-92.50				
2403-51-101-59-पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए योजना (60:40)	मूल	900.00	86.66	86.66	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-813.34				
2403-51-101-60-अधिसूचित रोगों से पशुओं के मारे जाने पर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के तहत मुआवजे के भुगतान हेतु योजना (50:50)	मूल	200.00	64.46	64.46	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-135.54				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-61- क्रूरता निवारण के लिए समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	मूल	500.00	120.00	120.00	..	सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-380.00				
2403-51-101-63- पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुरोग नियंत्रण नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के तहत पशुओं के टीकारण हेतु अनुदान	मूल	600.00	180.47	180.47	..	अन्य शुल्कों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-419.53				
2403-51-102-66- संरक्षण और स्वदेशी पशुओं ओर मुर्दा के विकास के लिए योजना	मूल	700.00	490.32	490.32	..	अन्य शुल्कों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-209.68				
2403-51-102-67-राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	मूल	1,600.00	679.50	679.50	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-920.50				
2403-51-102-69- गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना	मूल	42,500.00	96.52	96.52	..	मुख्यतः सहायता अनुदान दावों और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-42,403.48				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-102-70-हाईटेक डेयरी यूनिट्स की स्थापना की योजना	मूल	2,500.00	2,001.69	2,001.69	..	योजना के तहत सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-498.31				
2403-51-102-76- पशुधन गणना हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	मूल	120.00	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-120.00				
2403-51-103-97- पोल्ट्री कुक्कुट हैचरी और फीड विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए योजना	मूल	204.00	143.43	143.43	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-60.57				
2403-51-104-87- बकरी और भेड़ इकाईयों की स्थापना हेतु योजना	मूल	100.00	39.97	39.97	..	मुख्यतः अन्य शुल्कों के कम दावों के कारण निधियों के अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-60.03				
2403-51-104-94- भेड़, बकरी प्रजनन फार्म और ऊन ग्रेडिंग केंद्र की स्थापना	मूल	704.40	487.44	487.44	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो विभाग द्वारा अधिक अवकाश नकदीकरण भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित बिलों की मंजूरी द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-216.96				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-105-97- सुअर प्रजनन की स्थापना	मूल	250.50	153.17	153.17	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-97.33				
2403-51-106-95- जिला/राज्य/अखिल भारतीय स्तर पर पशुधन तथा मुर्ग फार्म की स्कीम	मूल	100.00	75.10	75.10	..	मुख्यतः अन्य शुल्कों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-24.90				
2403-51-113-94-दूध, ऊँ, अंडे और मांस, चारा और घास के उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण अनुमान/विकास परियोजना का आकलन (100 प्रतिशत सीएसएस) के लिए योजना	मूल	28.00	कम्प्यूटरीकरण दावों की कम प्राप्ति के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-28.00				
2403-51-113-97- हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधन के लिए योजना	मूल	282.00	180.46	180.46	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति पर अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-101.54				
2403-51-789-89-राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	मूल	400.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-400.00				
2403-51-789-92- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण	मूल	200.00	60.80	60.80	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-139.20				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-789-94- अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्तकर्ताओं को पशुधन ईकाईयों की स्थापना से रोजगार के अवसर प्रदान करने की स्कीम	मूल	3,500.00	2,982.94	2,982.94	..	अनुसूचित जाति (अनुसूचित जनजाति) के लिए विशेष घटक योजना के तहत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-517.06				
2403-51-789-96-अनुसूचित जाति को विशेष पशुधन बीमा कार्यक्रम	मूल	300.00	₹300 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 10/पुनर्वि./24-25 /456-57 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-300.00				
2403-51-792-51-एन.ए.	मूल	20.00	1.00	1.00	..	वसूली योग्य ऋणों को कम बट्टे खाते में डालने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-19.00				
2404-51-102-99- दूध एवं दूध से बने पदार्थों की जांच करने के लिए सरकारी प्रयोगशाला स्थापित करना	मूल	74.80	38.64	38.64	..	रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-36.16				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2405-51-001-99-मुख्यालय अमला नाम बदलकर स्थापना व्यय	मूल	1,232.00	924.33	924.33	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो जल शुल्क और मोटर वाहन के लंबित बिलों की मंजूरी, छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए पात्र उम्मीदवारों की अधिक उपलब्धता और कार्यालय वस्तुओं की अधिक खरीद द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-307.67				
2405-51-101-72- ताजे पानी में एक्वाकल्चर का विकास नाम बदल कर प्रधान मंत्री मत्स्य, सम्पदा योजना (पी एम एस एस वाई)	मूल	16,606.00	7,859.67	7,859.67	..	सब्सिडी के लिए धन की कम प्राप्ति और भारत सरकार से ताजे पानी के जलीय कृषि के विकास के लिए अन्य शुल्कों के तहत धन प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जिसका नाम बदलकर प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना कर दिया गया।
	पुनर्वि.	-8,746.33				
2405-51-101-81- मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग को मजबूत करना	मूल	40.00	योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-40.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2405-51-101-91-राष्ट्रीय मछली बीज कार्यक्रम की योजना	मूल	1,818.00	1,312.33	1,312.33	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की अधिक व्यस्तता और मोटर वाहनों और दुकानों के तहत लंबित बिलों की मंजूरी के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-505.67				
2405-51-101-92-सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम की योजना	मूल	3,701.00	1,873.19	1,873.19	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,827.81				
2405-51-109-99- कृषि मानव स्रोत के विकास हेतु योजना	मूल	726.50	490.26	490.26	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-236.24				
2405-51-789-99- मछली पालन के तहत अनुसूचित जाति परिवार हेतु योजना	मूल	366.00	301.31	301.31	..	अनुसूचित जाति (अनुसूचित जनजाति) के लिए विशेष घटक योजना के तहत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-64.69				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-001-94- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) वन (एफआरटी-पीएलओ-आरईवी)	मूल	4,000.00	₹4,000 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 10/पुनर्वि. /24-25 /456-57 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-4,000.00				
2406-01-001-99-मुख्यालय अमला	मूल	2,502.00	1,953.21	1,953.21	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं की कम खरीद, वकीलों को कानूनी शुल्क के दावों की प्राप्ति, पेट्रोल, तेल और स्नहेक (पीओएल) बिलों की कम प्राप्ति और छुट्टियों के रियायत दावे की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-548.79				
2406-01-003-97-वन प्रचार, लोक सम्पर्क एवं विस्तार	मूल	220.00	55.83	55.83	..	मुख्यतः कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन, प्रकाशन दावों की कम प्राप्ति और लघु कार्य दावों की न प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-164.17				
2406-01-005-98- जैव विविधता और परिस्थितिकीय उत्थान की स्थापना	मूल	1,000.00	300.00	300.00	..	सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-700.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-070-97- भवन	मूल	700.00	305.47	305.47	..	₹394.53 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 10/पुनर्वि. /24-25 /782 दिनांक 17.07.2024)।
	पुनर्वि.	-394.53				
2406-01-101-96- स्थाई कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कृषि वानिकी (एन एम एस ए)	मूल	100.00	भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2406-01-101-99-बनों का संगठन सुधार तथा विकास	मूल	1,000.00	250.00	250.00	..	लघु कार्य दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-750.00				
2406-01-102-64-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (हरित भारत के लिये राष्ट्रीय योजना)	मूल	6,000.00	1,328.97	1,328.97	..	भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,671.03				
2406-01-102-68-अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुर्नउत्थान	मूल	1,500.00	257.44	257.44	..	लघु एवं अनुरक्षक कार्यों के भुगतान के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,242.56				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-102-71-जड़ी-बूटी प्राकृतिक पार्क	मूल	1,600.00	797.34	797.34	..	लघु एवं अनुरक्षक कार्यों के भुगतान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-802.66				
2406-01-102-88- वनीकरण बंजर भूमि और कृषि वानिकी परियोजना	मूल	6,525.00	4,343.38	4,343.38	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन, दैनिक कर्मचारियों की कम तैनाती और स्टोर की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,181.62				
2406-01-102-90-शहरी क्षेत्र में हरी पट्टी	मूल	800.00	385.90	385.90	..	लघु एवं अनुरक्षक कार्यों के भुगतान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-414.10				
2406-01-102-94-वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण हदवन्दी एवं निपटारा	मूल	75.00	20.19	20.19	..	लघु एवं अनुरक्षक कार्यों के भुगतान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-54.81				
2406-01-102-97- किनारा वन विस्तार (नहरों, सड़कों तथा रेलवे पथ के साथ -साथ खाली भूमि पर पौधा रोपण)	मूल	1,144.68	419.78	419.78	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-724.90				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-105-99-सरकारी एजेंसी द्वारा वनों से लकड़ी तथा अन्य पदार्थ ले जाना	मूल	45.00	17.35	17.35	..	मुख्यतः लघु कार्यो के दावों और वाहन मरम्मत के दावों की कम प्राप्ति और सरकारी वाहनों की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-27.65				
2406-02-110-87-एक्वाटिक इको-सिस्टम संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत हरियाणा में वेटलैंड का संरक्षण और प्रबंधन	मूल	500.00	भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-500.00				
2406-02-110-88-वन्य जीवन के लिए समेकित विकास	मूल	600.00	183.24	183.24	..	भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-416.76				
2406-02-110-91-वन्य प्राणी विहारों का सुधार विस्तार तथा सुदृढीकरण	मूल	60.00	43.50	43.50	..	भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-16.50				
2406-02-110-95- बहुउद्देशीय क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण	मूल	143.33	82.85	82.85	..	रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-60.48				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-04-103-92- ब्याज से भुगतान प्रतिपूरक वनीकरण कोष पर उपार्जित किया गया	मूल	500.00	51.99	51.99	..	लघु कार्यों के भुगतान दावों की कम प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-448.01				
2406-04-103-99-मुआवजा वनीकरण	मूल	7,200.00	3,244.67	3,244.67	..	लघु कार्यों के भुगतान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुरक्षक कार्यों के दावों की अधिक प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-3,955.33				
2435-01-101-99-कृषि उत्पाद का वर्गीकरण तथा विकास	मूल	236.00	159.25	159.25	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-76.75				
2853-02-001-98-राज्य में खनिज अन्वेषण और खनिजों के रियायत के लिए खानों और खनिजों का विकास	मूल	1,620.22	876.34	876.34	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कंप्यूटरों की कम खरीद, संविदात्मक, पेशेवर और विशेष सेवाओं के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का संचालन न करने, जिला कार्यालयों में वाहनों को किराए पर लेने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी दावों की प्राप्ति न होने और पीएलओ (पेट्रोल, तेल, स्नेहक) की कम प्राप्ति और यात्रा रियायत के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-743.88				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2853-02-797-98-जिला खनिज फाउंडेशन निधि में स्थानांतरण	मूल	1,725.00	848.81	848.81	..	जिला खनिज फाउंडेशन फंड की और धनराशि के हस्तांतरण होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-876.19				
2853-02-797-99-पुनर्स्थापना और पुनर्वास निधि में स्थानांतरण	मूल	6,900.00	5,720.59	5,720.59	..	पुनरुद्धार और पुनर्वास निधि के लिए निधियों के हस्तांतरण होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,179.41				
3435-03-001-99-संदर्भित प्रयोगशाला ममेत निदेशन तथा प्रशासन	मूल	396.88	254.85	254.85	..	मुख्यतः पर्यटन विभाग के साथ किराया समझौते को अंतिम रूप न देना और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पुल वाहन की खरीद और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन के भुगतान द्वारा अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-142.03				
3435-03-003-98-पर्यावरण प्रशिक्षण शिक्षा जागरूक कार्यक्रम	मूल	50.00	0.58	0.58	..	जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-49.42				
3435-03-003-99-गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल	810.00	लोक निर्माण विभाग(बी एण्ड आर) से संशोधित अनुमान प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-810.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3435-03-102-98-ईको क्लब की स्थापना	मूल	250.00	पिछले वित्तीय वर्षों के लिए इको क्लब स्कूलों और कॉलेजों को वितरित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-250.00				
3435-03-102-99-विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना (99-स्थापना व्यय)	मूल	338.05	267.55	267.55	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, किराए का कम भुगतान और बिजली बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-70.50				
3435-03-104-99-जलवायु परिवर्तन प्रभाग	मूल	59.50	3.05	3.05	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-56.45				
3435-03-188-99-अपीलीय प्राधिकरण	मूल	50.00	17.33	17.33	..	अपीलीय प्राधिकरण की अवधि 25.10.2023 को समाप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-32.67				
3435-03-190-99-राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण हरियाणा	मूल	850.00	752.43	752.43	..	₹97.57 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 10/पुनर्वि./23-24 /782 दिनांक18.07.2024)।
	पुनर्वि.	-97.57				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के दो मामले, जिनमें वास्तविक बचत से कम बजट प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-102-74-वन प्रबन्धन की एकीकरण	मूल	170.00	134.94	67.47	(-)67.47	भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹67.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-35.06				
3435-03-001-95-राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण	मूल	220.00	57.90	49.15	(-)8.75	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और अनुसंधान का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹8.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-162.10				

- (5) 31 मार्च 2024 वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिसमें अभ्यर्पित किया गया प्रावधान वास्तविक बचत से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-105-98-रासायनिक खाद की खरीद तथा वितरण-कृषि विभाग के अमले को जारी रखना	मूल	4,491.00	2,495.67	2,500.15	(+)4.48	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो ऊर्जा बिलों के अधिक भुगतान के कारण समायोजित किया गया। ₹4.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,995.33				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-108-98-हरियाणा में अधिक उत्पाद किस्मों सम्बंधी कार्यक्रम	मूल	5,025.00	3,844.40	3,845.16	(+)0.76	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति और अनुग्रह राशि के तहत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो ऊर्जा बिलों के अधिक भुगतान के कारण समायोजित किया गया। ₹0.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,180.60				
2401-51-111-99- सांख्यिकीय सेल	मूल	3,870.00	2,350.33	2,350.47	(+)0.14	मुख्यतः आउसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह दावों की अधिक प्राप्ति और महंगाई भत्ते की किस्तों के अधिक भुगतान द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,519.67				
2401-51-113-99- कृषि इंजीनियरी	मूल	2,381.50	1,999.99	2,000.19	(+)0.20	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के कारण अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-381.51				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-97-हरियाणा में विभिन्न बागवानी गतिविधियों की स्कीम	मूल	8,587.00	6,363.75	6,364.55	(+)0.80	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छोटे कार्यों को पूरा न करने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो महंगाई भत्ते के बकाया/किस्त के भुगतान और आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,223.25				
2401-51-789-85- अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	1,400.00	191.30	214.87	(+)23.57	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹23.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,208.70				
2403-51-001-95-मानव संसाधन और आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण के लिए योजना	मूल	1,700.00	1,083.54	1,083.89	(+)0.35	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम्प्यूटरीकरण की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पीएलओ (पेट्रोल, तेल और स्नेहक) दावों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.35 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-616.46				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-62-पशु चिकित्सा संस्थाएँ खोलने अपग्रेड व सुदृढ़ करना	मूल	12,995.00	8,489.26	8,586.84	(+)97.58	मुख्यतः सामग्री और आपूर्ति की कम प्राप्ति, लघु कार्यों, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने और दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम व्यस्तता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹97.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-4,505.74				
2403-51-101-88-हरियाणा पशु चिकित्सा वैक्सीन की स्थापना के लिए योजना	मूल	63,135.00	52,207.01	52,279.28	(+)72.27	अन्य शुल्क के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹72.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-10,927.99				
2403-51-102-99-सरकार पशुधन फार्म की स्थापना	मूल	4,158.50	2,784.02	2,788.54	(+)4.52	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹4.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,374.48				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-001-98-परिमंडल/मंडलीय अमला	मूल	11,952.03	10,254.37	10,254.57	(+)0.20	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अनुग्रह राशि की कम प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेट्रोल/डीजल और बिजली बिल दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, कर्मचारियों के लिए वर्दी का वितरण न होने, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। जो महंगाई भत्ते में अधिक मांग तथा कार्यालय के विविध मदों में अधिक भुगतान द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,697.66				
2406-02-110-93-बहुउद्देशीय क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण	मूल	1,000.00	519.96	639.47	(+)119.51	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अन्य शुल्कों के दावों की कम प्राप्ति, दैनिक कर्मचारियों की कम तैनाती और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹119.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-480.04				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-02-110- 99-मुख्यालय अमला	मूल	1,790.10	1,284.38	1,291.94	(+)7.56	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छोटे कार्यों की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि के राशि के दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो नगर निगम, रोहतक को तिलयार मिनी चिड़ियाघर, रोहतक के संपत्ति कर के अधिक भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया। ₹7.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-505.72				
2406-02-800- 98-चिड़िया घरों और हिरण पार्कों का विस्तार	मूल	800.00	345.68	628.71	(+)283.03	मुख्यतः लघु और रखरखाव कार्य के दावों की कम प्राप्ति, पेशेवर संविदा कर्मचारियों की गैर-तैनाती और पीओएल (पेट्रोल, तेल और स्नेहक) दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹283.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-454.32				
2406-04-103- 96-वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	मूल	14,800.00	1,247.09	2,624.31	(+)1,377.22	मुख्यतः लघु और रखरखाव कार्य के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,377.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-13,552.91				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2853-02-001-99-क्षेत्रीय अमला खानों तथा खनिजों का विकास	मूल	2,939.28	1,383.92	1,384.61	(+)0.69	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा सेवा के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, दैनिक वेतनभोगी और पेशेवर और विशेष सेवा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करना, जिला कार्यालयों में वाहनों को किराए पर लेने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के दावों की गैर-प्राप्ति और पीएलओ (पेट्रोल, तेल और स्नेहक) दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,555.36				
2853-02-102-99- खनन के पश्चात बहाली के काम के लिए व्यय	मूल	9,767.00	16.74	17.73	(+)0.99	खनन अनुबंध समाप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-9,750.26				

- (6) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में संपूर्ण बजट प्रावधान और अनुपूरक अनुदान को वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस मामले में कोई व्यय नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-001-94-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) कृषि और किसान कल्याण विभाग (एजीआर-पीएलओ-आरईवी)	मूल	7,600.00	योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	15,000.00				
	पुनर्वि.	-22,600.00				

- (7) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में मूल बजट प्रावधान और अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रभावित कर दिया गया है। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-108-81-गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना	मूल	20,000.00	19,599.94	19,599.94	..	गन्ने पर प्रौद्योगिकी मिशन के तहत सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	13,660.65				
	पुनर्वि.	-14,060.71				

- (8) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-75- मूल हरित क्रांति (ओजीआर) राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) (60:40)	मूल	..	1,763.00	1,763.00	..	भारत सरकार द्वारा अधिक धनराशि जारी करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	1,762.00				
2401-51-109-77-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (98-तिलहन और तेल पाम)	मूल	0.50	232.75	232.75	..	भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	232.25				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-190-96-राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)	मूल	1,000.00	1,356.27	1,356.27	..	आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की अधिक भागीदारी और अन्य शुल्कों के तहत बिलों के अधिक भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो सामान्य सहायता अनुदान की कम प्राप्ति के कारण बचत द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	356.27				
2401-51-190-99-हरियाणा राज्य में भावंतर भरपाई योजना	मूल	1,000.00	3,000.00	3,000.00	..	पात्र किसानों के लिए अधिक धनराशि जारी करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	2,000.00				
2402-51-102-87-सड़कों पर लगे वृक्षों की गणना एवं टहनीयों की कटाई	मूल	511.80	820.11	820.11	..	पेड़ों की गणना और पेड़ों की शाखाओं को काटने के लिए अधिक लघु कार्य दावों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	308.31				
2403-51-102-91- गौशालाओं और गौसदनों का विकास	मूल	3,100.30	8,137.66	8,137.66	..	लंबित बिलों की मंजूरी के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो रिक्त पदों को न भरने और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण बचत द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	5,037.36				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-101-98-परिभ्रष्ट वनों का पुर्नवास	मूल	2,487.95	3,027.29	3,027.29	..	₹539.34 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 10/पुनर्वि./ 23-24 /524 दिनांक 24.07.2024) ।
	पुनर्वि.	539.34				

- (9) वित्त विभाग द्वारा जारी 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन के दो मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक व्यय से अधिक आवर्धन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:-

2401-51-789-85- अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	0.50	58.92	35.35	(-)23.57	मुख्यतः भारत सरकार द्वारा अधिक धनराशि जारी करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था । ₹23.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	58.42				
2403-51-113-96-दूध अंडे, ऊत और मांस/चारा /घास के उत्पाद के अनुमान हेतु सर्वेक्षण के लिए योजना	मूल	152.00	280.00	140.16	(-)139.84	मुख्यतः वेतन का कम प्रावधान और महंगाई भत्ते की किस्तों में वृद्धि के कारण के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था । ₹139.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	128.00				

प्रभारित विनियोग

- (10) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-88-हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान की स्थापना के लिए योजना	मूल	25.00	0.58	0.58	..	अन्य शुल्कों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-24.42				

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-800-99- नहरी पानी के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभार की अदायगी	मूल	120.00	44.76	44.76	..	₹75.24 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 10/पुनर्वि./ 23-24 /782 दिनांक 18.07.2024) ।
	पुनर्वि.	-75.24				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (11) ₹1,16,508.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹1,19,458.47 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (12) ₹1,16,508.73 लाख की समस्त बचत को देखते हुए सितंबर 2023 में प्राप्त ₹40,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था ।
- (13) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-58-खान एवं भूविज्ञान के लिए भूमि क्रय एवं भवन निर्माण निदेशालय	मूल	1,000.00	कार्यालय भवन के निर्माण को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
4401-51-113-95-बुनियादी सुविधायों और कृषि विकास संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार	मूल	42,400.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-42,400.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-51-113-97-पूंजीगत आस्तियों के सृजन/खरीद की योजना	मूल	3,200.00	1,732.20	1,732.20	..	विकास कार्यों के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,467.80				
4401-51-190-97-इक्विटी कैपिटल टू इंडिया इंटरनेशनल हॉटिकल्चर मार्केट (आईआईएचएम) गनौर सोनीपत	मूल	1.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	40,000.00				
	पुनर्वि.	-40,001.00				
4403-51-101-99- राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण (98-नाबार्ड सहायता)	मूल	1,000.00	200.00	200.00	..	शीर्ष कार्यों के अंतर्गत दावे कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-800.00				
4405-51-001-99-मतस्य विभाग के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन/क्रय की योजना	मूल	200.00	17.85	17.85	..	मुख्यतः शीर्ष कार्यों के अंतर्गत दावे कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो शीर्ष कार्यों, मशीनरी के लिए लंबित बिलों और देनदारियों के भुगतान द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-182.15				
6401-51-800-90-बागवानी विश्वविद्यालय को ऋण	मूल	9,900.00	3,169.00	3,169.00	..	निधियों का अभ्यर्पण अव्ययित शेष के समायोजन और योजना के तहत कम धनराशि जारी करने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	-6,731.00				
6403-51-190-98- लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (नाबार्ड)	मूल	10,000.00	795.89	795.89	..	निधियों का अभ्यर्पण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	-9,204.11				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6403-51-190-99-लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (राज्य)	मूल	16,200.00	13,000.00	13,000.00	..	ऋण दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,200.00				

- (14) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिनमें अभ्यर्पित प्रावधान वास्तविक बचत से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-51-113-97-पूंजीगत आस्तियों के सृजन/खरीद की योजना (99-कृषि विभाग के लिए पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन/खरीद की योजना)	मूल	6,300.00	57.94	2,768.97	(+)2,711.03	मुख्यतः विकास कार्यों के लिए कम भुगतान और मशीनरी की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,711.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-6,242.06				
4403-51-101-99- राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण (98-नाबार्ड सहायता)	मूल	10,000.00	3,668.41	3,877.99	(+)209.58	शीर्ष कार्यों के दावे कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹209.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-6,331.59				

(15) अधिकता मुख्यतः निम्न शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-51-113-97-पूंजीगत आस्तियों के सृजन/खरीद की योजना	मूल	29.12	(+)29.12	₹29.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

(16) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष:-

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के सार्वजनिक खाते में ब्याज वाले अनुभाग के तहत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करना आवश्यक है ।

क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हरियाणा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विशेष कोष स्थापित करने में प्रशन्न हैं, जिसे राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष हरियाणा (एससीएफ) कहा जाएगा (इसके बाद इसे राज्य कोष के रूप में संदर्भित किया गया है) जो मुख्य शीर्ष : 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष-129-हरियाणा क्षतिपूरक वनीकरण कोष (एससीएफ) के तहत हरियाणा राज्य के सार्वजनिक खाते के ब्याज वाले अनुभाग के तहत, आधिकारिक राज पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है ।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष हरियाणा राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी और राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित की जाएगी । वित्तीय निगम और प्रक्रियाएँ, विशेष रूप से राज्य प्राधिकरण के बजट को तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होगी ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अलग लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है । राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली समय-समय पर क्षतिपूरक वनीकरण कोष का 90 प्रतिशत राज्य हिस्सा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि के तहत जमा) राज्य सरकार को हस्तांतरित करता है, राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से ₹615.38 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) प्राप्त हुए ।

सरकार ने कोष से ₹59.21 करोड़ का व्यय किया, हालांकि वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गई । 31 मार्च 2024 तक राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष में कुल शेष ₹1,559.84 करोड़ था ।

(17) खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन और पुनर्वास निधि (एमएमडीआरआरएफ):-

इस कोष की स्थापना हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2015 के तहत खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय रूप से स्थाई विकास, राज्य में खनन स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और बहाली और संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्य करने और क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्य करने के लिए की गई थी। इस फंड को रिजर्व फंड के तहत खोला गया है, जिसमें ब्याज नहीं है, हालांकि इस पर सालाना 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लग रहा है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान किए गए डेड रेंट/रॉयल्टी/कॉन्ट्रैक्ट मनी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि खनिज रियायत धारकों से बहाली और पुनर्वास के लिए अन्य शुल्क के रूप में लिया जाता है और निधि में जमा किया जाता है। इसके अलावा, एक वित्तीय वर्ष में डेड रेंट/रॉयल्टी/कॉन्ट्रैक्ट मनी के मद में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि को फंड में सरकारी योगदान के रूप में जमा/स्थानांतरित किया जाना है। दिनांक 03.05.2021 की अधिसूचना के माध्यम से 03.05.2021 से रियायत धारकों द्वारा योगदान की राशि को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

1 अप्रैल 2023 को निधि में ₹46,346.62 लाख की शेष राशि थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान निधि में ₹5,720.59 लाख (रियायत धारक का योगदान ₹4,280.30 लाख और ₹1,440.30 लाख और ₹1,440.30 लाख राज्य का योगदान) की राशि जमा की। निधि में शेष राशि पर ब्याज ₹2,780.80 लाख है।

31.03.2024 को निधि में से ₹865.55 लाख का व्यय (₹848.81 लाख जिला खनिज निधि में स्थानांतरित किया गया और ₹16.74 लाख प्रशासनिक व्यय थे) ₹53982.46 लाख शेष छोड़कर निधि से पूरा किया गया।

वर्ष 2023-24 के लिए खान एवं खनिज निधि का लेन-देन इस प्रकार है:-

(₹ लाख में)

01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में हस्तांतरण	ब्याज	वर्ष के दौरान निधि से किया गया व्यय	31.03.2023 को अंतिम शेष
46,346.62	5,720.59 (4,280.30+1,440.30)	2,780.80	865.55	53,982.46

निधि में लेनदेन का विवरण वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 और 22 में दिया गया है।

(मुख्य शीर्ष-2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, 2425-सहकारिता, 3456-सिविल पूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	21,07,89,76	21,08,20,76	18,38,90,63	(-)2,69,30,13
पूरक	31,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

2,69,45,13

प्रभारित

मूल	31,00	31,00	2,21	(-)28,79
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

28,79

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,53,59,05,60	1,53,59,05,60	1,28,63,46,80	(-)24,95,58,80
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

24,94,28,80

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹26,930.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹26,945.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ।
- (2) ₹26,930.13 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023 में प्राप्त ₹31 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-94-पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन स्कीम	मूल	1,200.00	10.20	10.20	..	कंप्यूटर और उसके सामान की कम खरीददारी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,189.80				
2408-01-001-97-राज्य आयोग	मूल	562.66	384.81	384.81	..	मुख्यतः राज्य आयोग के सदस्यों के वेतन में वृद्धि माननीय हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था और अनुदान को गलत तरीके से वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में दिखाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-177.85				
2408-01-792-99-अप्रतिलभ्य कर्ज को बट्टे खाते में डालना	मूल	15.00	1.95	1.95	..	मुख्यतः ऋण/हानि को बट्टे खाते में डालने के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-13.05				
2425-51-001-99-आरसीएस, कार्यालय हरियाणा में मुख्यालय स्टाफ की स्थापना के लिए योजना	मूल	1,659.50	936.58	936.58	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की कम मरम्मत, दैनिक भुगतान वाले श्रमिकों की कम तैनाती और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-722.92				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-003-99- प्रशिक्षण	मूल	145.00	99.24	99.24	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम तैनाती, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं को आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते के अधिक भुगतान द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-45.76				
2425-51-004-98-जिला अमला	मूल	93.00	63.24	63.24	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-29.76				
2425-51-004-99-आर.सी.एस. आफिस में मोनिटरिंग सेल का सुदृढीकरण	मूल	53.50	16.20	16.20	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आईटी नीति के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति न करने, दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की तैनाती न करने और कार्यालय वस्तुओं की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-37.30				
2425-51-101-99-क्षेत्रीय अमला मुख्य लेखा परीक्षण मुख्यालय को सुदृढ करना	मूल	455.80	235.46	235.46	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति के तहत कर्मचारियों की गैर-नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-220.34				
2425-51-105-98-सहकारी विकास फेडरेशन हरियाणा द्वारा प्रचार तथा प्रोपेगंडा (हरकोफैड)	मूल	150.00	105.00	105.00	..	सहायतानुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-45.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-105-99-पुस्तकालयों की दुबारा सम्पूर्ति	मूल	38.00	27.22	27.22	..	मुख्यतः कार्यालय मदों की कम आवश्यकता, रिक्त पदों का न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अतिरिक्त व्यय सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-10.78				
2425-51-107-74-केन्द्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के तहत सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता	मूल	16.00	सब्सिडी परियोजना के बंद होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-16.00				
2425-51-107-78-हरियाणा राज्य समितियां कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता प्रदान करना	मूल	4,000.00	सहायतानुदान दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,000.00				
2425-51-107-89-सरकारी बैंकों की अल्पविधि कर्जे फसल पर व्याज दर में छूट हेतु का नाम बदलकर अनुसूचित बैंकों की अल्पविधि कर्जे फसल पर व्याज दर में छूट हेतु	मूल	21,500.00	15,300.00	15,300.00	..	सहायतानुदान दावे प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-6,200.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-107-97-समेकित सहकारिता विकास कार्यक्रम	मूल	356.00	सहायतानुदान परियोजना के बंद होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-356.00				
2425-51-108-93-डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) योजना के तहत दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए ब्याज सबवेंशन	मूल	75.00	24.23	24.23	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-50.77				
2425-51-108-94-डबवाली में मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना का नाम बदलकर मिल्क चिलिंग सेंटर का सुदृढीकरण करना	मूल	995.00	107.40	107.40	..	कार्य पूरा न होने अर्थात् पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-887.60				
2425-51-108-95-दूध सहकारी समितियाँ	मूल	1000.00	648.66	648.66	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-351.34				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-277- 99-शिक्षा	मूल	76.00	25.23	25.23	..	मुख्यतः दैनिक भुगतान वाले मजूदरों और पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.77				
3475-51-106- 98-स्थापना खर्च	मूल	586.00	486.37	486.37	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगी मजदूरी की कम नियुक्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और किराया दरों और करों में वृद्धि द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-99.63				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के दो मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001- 93-अंत्योदय आहार योजना	मूल	66,300.00	57,813.50	57,808.89	(-) 4.61	मुख्यतः संबंधित एजेंसी से दावे कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹4.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-8,486.50				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-96-जिला फोरम	मूल	4,625.00	2,960.33	2,946.38	(-)13.95	मुख्यतः हरियाणा राज्य के जिला आयुक्तों के अध्यक्ष के वेतन संशोधन के कारण 200% से अधिक के बदले 46% की दर से कम डीए आहरण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो जिला आयोगों के अध्यक्ष के बकाया वेतन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की भरपाई द्वारा समायोजित किया गया क्योंकि वेतन को 01.01.2016 से संशोधित किया गया। ₹13.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,664.67				

- (5) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के तीन मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई जिसके जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, उसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-88-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) खादय आपूर्ति (एफएएस-पीएलओ-आरईबी)	मूल	30,000.00	..	8.44	(+) 8.44	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही और ठोस नहीं थे। सही और ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/ अनु.सं.11/पुनर्वि. आदेश/ 23-24/335-36 दिनांक 12.06.2024)। ₹8.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-30,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-001-98-जिला स्तर पर आर.सी.एस आफिस का सुदृढीकरण	मूल	9,193.00	5,974.40	5,980.28	(+) 5.88	मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 3,218.60				
2425-51-101-98-रजिस्ट्रार सहकारी समीति में ऑडिट स्टाफ का सुदृढीकरण	मूल	2,782.00	2,140.85	2,141.12	(+) 0.27	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति और कमचारियों के कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-641.15				

(6) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-91-टीपीडीएस ऑपरेशन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण का पुननिर्धारण	मूल	2,500.00	4,920.98	4,920.98	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। सही और ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/ अनु. सं. 11/पुनवि. आदेश / 23-24/448-49 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	2,420.98				
2408-01-001-92-राज्य खाद्य आयोग	मूल	..	18.51	18.51	..	एनएफएसए के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	18.51				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001- 99-निदेशालय अमला	मूल	2,134.50	4,338.37	4,338.37	..	मुख्यतः पेंशन के बदले भुगतान किए गए मानदेय पर व्यय के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो रिक्त पद न भरने और पेट्रोल, तेल और स्नेहक के दावों प्रार्यत द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	2,203.87				
2425-51-106- 99-पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40)	मूल	..	808.33	808.33	..	हरियाणा में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	807.33				
24251-51-107- 85-हरियाणा कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक एवं हरको बैंक को रिकवरी लिंकड इंसेटिव हेतु एक मुश्त योजना	मूल	24,000.00	40,000.00	40,000.00	..	हरको बैंक के लंबित दावों की प्रतिपूर्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	16,000.00				
2425-51-792- 99-अप्रतिलभ्य कर्ज को बट्टे खाते में डालना	मूल	5.00	18.75	18.75	..	बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की अतिरिक्त मांग के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	13.75				

- (7) निम्नलिखित मामले में, अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक व्यय से कम था जिसके परिणामस्वरूप व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001- 98-क्षेत्रीय अमला	मूल	31,624.00	41,538.65	41,556.80	(+18.15	सब्सिडी लाभार्थियों में वृद्धि और संविदात्मक सेवा के तहत कर्मचारियों की अधिक भागीदारी के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो पेशेवर और विशेष कर्मचारियों की कम भागीदारी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनुग्रह राशि तथा छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करने के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया। ₹18.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	30.00				
	पुनर्वि.	9,884.65				

प्रभारित विनियोग

- (8) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001- 98-क्षेत्रीय अमला	मूल	25.00	2.21	2.21	..	₹22.79 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। सही और ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 11/पुनर्वि. आदेश 2023 - 24/448-49 दिनांक 04.06.2024)
	पुनर्वि.	-22.79				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (9) ₹2,49,558.80 लाख की अंतिम बचत में से, ₹130 लाख की राशि अनाभ्यर्पित हुई।

(10) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101- 89-बाजरा की खरीद	मूल	47,460.00			..	बाजरे की खरीद न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-47,460.00				
4408-02-101- 99-गोदामों का निर्माण	मूल	1,000.00	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। सही और ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 11/पुनर्वि. आदेश 2023-24/448-49 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
4408-02-101- 99-गोदामों का निर्माण (98-राज्य अंशदान)	मूल	100.00	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। सही और ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 11/पुनर्वि. आदेश 2023-24/448-49 दिनांक 04.06.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				
4408-02-101- 99- गोदामों का निर्माण (99-नाबार्ड अंशदान)	मूल	1,900.00	हरियाणा भण्डारण निगम से अनुमान प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,900.00				
4425-51-107- 85-शहरी सहकारी बैंक हिस्सा पूंजी	मूल	100.00	निवेश योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-51-107-93-हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक चण्डीगढ़	मूल	100.00	निवेश योजना के कार्यान्वयन नही होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
4425-51-107-96-हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	मूल	100.00	निवेश योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
4425-51-107-97-हरको बैंक को शेयर पूंजी के लिए योगदान	मूल	5,000.00	निवेश योजना के कार्यान्वयन नही होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,000.00				
4425-51-107-99-केन्द्रीय सहकारी बैंक में पूंजी लागाना	मूल	5,000.00	2,600.00	2,600.00	..	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में कम निवेश होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,400.00				
4425-51-108-74-प्राथमिक कृषि समितियों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा हिस्सा पूंजी का अंशदान	मूल	200.00	निवेश योजना के कार्यान्वयन नही होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
4425-51-108-88-विपणन सहकारिताओं की हिस्सा पूंजी में सरकारी अंशदान	मूल	50.00	निवेश योजना के कार्यान्वयन नही होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-51-108-94-समेकित विकास कार्यक्रम	मूल	2,500.00	निवेश परियोजना के बन्द होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,500.00				

- (11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम होने के कारण राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-98-स्थापना खर्च का प्रभार	मूल	37,500.00	13,603.00	13,476.00	(-)127.00	₹23,897 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। सही और ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 11/पुनर्वि. आदेश 2023 - 24/528 दिनांक 24.06.2024)। ₹127 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-23,897.00				

- (12) वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-97-पूँजी पर ब्याज	मूल	60,000.00	31,592.00	31,592.16	(+) 0.16	गेहूं और धान की खरीद अनुमानित से कम होने कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-28,408.00				

(मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2236-पोषण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,11,11,62,97	2,13,08,61,17	1,78,55,57,65*	(-)34,53,03,52
पूरक	1,96,98,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

32,26,85,97

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,98,40,00	23,65,49,00	16,88,88,61	(-)6,76,60,39
पूरक	9,67,09,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

6,81,52,29

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹3,45,303.52 लाख की अंतिम बचत में से, ₹12,617.55 लाख बिना समर्पण के रह गए।
- (2) ₹3,45,303.52 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023, जनवरी 2024 और मार्च 2024 में प्राप्त ₹19,698.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

*इसमें वर्ष 2023-24 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया ₹26,695.17 लाख का व्यय शामिल नहीं है।

(3) बचत मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-001-93-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) मौलिक शिक्षा (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी)	मूल	10,000.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10,000.00				
2202-01-053-96-सरकारी प्राइमरी स्कूलों के भवनों का रखरखाव	मूल	7,000.00	5,175.05	5,175.05	..	₹1,824.95 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	-1,824.95				
2202-01-101-87-11 और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	मूल	400.00	82.70	82.70	..	मुख्यतः फील्ड कार्यालयों से सामग्री एवं आपूर्ति और अन्य शुल्कों के तहत मांग की कम प्राप्ति और ट्रेजरी कार्यालय से बिलों की मंजूरी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-317.30				
2202-01-101-95-कक्षा छठी से आठवीं तक सुविधायें बढ़ाना (पूर्ण कालिका)	मूल	9,500.00	5,494.73	5,494.73	..	मुख्यतः सामग्री और आपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 4,005.27				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-101-97- कक्षा पहली से पाँचवीं तक सुविधाएं बढ़ाना (पूर्णकालिक)	मूल	1,000.00	109.44	109.44	..	निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 890.56				
2202-01-102-92-अराजकीय प्राथमिक सरकारी स्कूलों को सहायता अनुदान देने बारे	मूल	50.00	3.81	3.81	..	₹46.19 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	- 46.19				
2202-01-102-99-गूंगे तथा बहरों की कल्याण संस्था को सहायता अनुदान	मूल	300.00	योजना को सहायतानुदान से समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-300.00				
2202-01-108-99-पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन एवं पठन सामग्री तैयार करना	मूल	107.00	75.82	75.82	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की गैर-प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-31.18				
2202-01-109-83-मुख्यमंत्री सक्षम मेरिट आधारित सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना	मूल	160.00	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से वाउचरों की मंजूरी न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-160.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-109-84-कक्षा प्रथम से आठवीं तक के पिछड़े वर्ग श्रेणी-ए के विद्यार्थियों के लिए मासिक प्रोत्साहन	मूल	4,000.00	2,900.77	2,900.77	..	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से वाउचरों की मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,099.23				
2202-01-109-85-कक्षा पहली से आठवीं के गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों को मासिक प्रोत्साहन	मूल	400.00	117.98	117.98	..	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से वाउचरों की मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-282.02				
2202-01-109-89-छात्रवृत्ति (मिडल)	मूल	150.00	17.50	17.50	..	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से वाउचरों की मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-132.50				
2202-01-111-99-सर्व शिक्षा अभियान	मूल	55,000.00	31,890.10	31,890.10	..	मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रांश की गैर-प्राप्ति, भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 लंबित राज्यांश के जारी करने द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-23,109.90				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-199-99-पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना	मूल	7,150.00	1,447.02	1,447.02	..	भारत सरकार से केंद्रांश की कम प्राप्ति, भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय के बुनियादी ढाँचे के नवीनीकरण के लिए जारी अतिरिक्त राशि वित्त विभाग के यू ओ संख्या 7057/4 जीएफ।।/2023 दिनांक 29/03/2023 के द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	- 5,702.98				
2202-01-789-97-अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8वीं के सभी विद्यार्थियों को मासिक वजीफा देना	मूल	15,500.00	7,598.44	7,598.44	..	योजना के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए पाँच विद्यार्थियों को साइकिल का कम भुगतान होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	- 7,901.56				
2202-01-789-98- अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 वीं के विद्यार्थियों के लिए नकद ईनाम योजना	मूल	6,500.00	4,764.49	4,764.49	..	क्षेत्रीय कार्यालयों से पात्र छात्रों का डेटा कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,735.51				
2202-01-793-99-सर्व-शिक्षा अभियान	मूल	14,050.00	7,827.68	7,827.68	..	भारत सरकार से कम धनराशि जारी होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,787.88 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024) ।
	पुनर्वि.	- 6,222.32				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96-छात्रों का संस्कृति कार्यक्रम)	मूल	400.00	299.91	299.91	..	बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.09				
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (98- सुगम शिक्षा-सभी स्कूलों के शिक्षकों की सेवा)	मूल	1,000.00	359.78	359.78	..	क्षेत्रीय कार्यालयों से संविदा सेवा के अंतर्गत मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-640.22				
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (99-स्वच्छ प्रांगण)	मूल	1,000.00	453.77	453.77	..	क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग की कम प्राप्ति और अन्य शुल्कों के तहत बिलों की मंजूरी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-546.23				
2202-01-800-93-शिक्षा का अधिकार अधिनियम	मूल	21,200.00	8,004.99	8,004.99	..	पूर्व प्राथमिक/प्रथम कक्षा के लिए अधिनियम की धारा 12(1) और नियम 134 ए/मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान (चिराग) के तहत छात्र निधि और शुल्क की प्रतिपूर्ति के कारण अतिरिक्त बजट के प्रावधान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-13,195.01				
2202-02-001-92-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) माध्यमिक शिक्षा (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी)	मूल	30,000.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-30,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-001-99-प्रशासनिक अमला (99-मुख्यालय स्थापना)	मूल	6,458.00	5,377.31	5,377.31		मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एचआईपीए) में स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बड़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर अधिक व्यय और पेट्रोल, तेल और स्नेहक की अधिक खपत द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,080.69				
2202-02-053-99-सरकारी स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव	मूल	9,500.00	6,298.07	6,298.07	..	छोटे कार्यों और स्टोर तथा उपकरणों के तहत बिलों की मंजूरी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,201.93				
2202-02-105-90-गुडगाँव में एससीईआरटी हरियाणा का सुदृढीकरण	मूल	250.00	139.63	139.63	..	मुख्यतः ट्रेजरी कार्यालय से बिलों की मंजूरी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), गुरुग्राम से अधिक मांग के व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-110.37				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-105-98-जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थाएं	मूल	7,135.00	5,292.52	5,292.52	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत और ऊर्जा शुल्क दावों का कर्मचारियों से कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह दावों की अधिक प्राप्ति के व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,842.48				
2202-02-107-80-स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी में पिछड़ा वर्ग छात्रों की परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति	मूल	1,000.00	500.00	500.00	..	छात्रवृत्ति और वजीफे के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-500.00				
2202-02-107-81-छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना	मूल	400.00	316.29	316.29	..	क्षेत्रीय कार्यालयों से यात्रा व्यय के अंतर्गत मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 83.71				
2202-02-107-83-बैंक पुस्तिका/ पुस्तकालय	मूल	10,000.00	6,971.35	6,971.35	..	योजना के तहत बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 3,028.65				
2202-02-107-84-माध्यमिक स्तर पर हरियाणा राज्य के छात्रों को मैरिट छात्रवृत्ति देने बारे	मूल	240.00	34.79	34.79	..	योजना के तहत विभागीय प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 205.21				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-107-86-कक्षा 1 से 12 तक के पिछड़े वर्ग श्रेणी- ए के विद्यार्थियों के लिए मासिक प्रोत्साहन	मूल	3,000.00	1,424.04	1,424.04	..	छात्रवृत्ति और वजीफे के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,575.96				
2202-02-107-89-राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति	मूल	20.00	राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद से मांग न मिलने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20.00				
2202-02-107-90-छात्र सुरक्षा बीमा नीति	मूल	100.00	योजना के तहत विभागीय प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 100.00				
2202-02-107-99-छात्रवृत्तिया (माध्यमिक स्कूल)	मूल	160.00	99.99	99.99	..	छात्रवृत्ति और वजीफे के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-60.01				
2202-02-108-99-राष्ट्रीय प्रतिभा अनवेषण छात्रवृत्ति	मूल	20.00	योजना के तहत विभागीय प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20.00				
2202-02-109-80-प्रतिभा खोज योजना	मूल	..	605.83	605.83	..	वस्तु शीर्ष के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण बिलों के न बनने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अन्य शुल्कों के दावों की अधिक प्राप्ति पर व्यय के द्वारा समायोजित किया गया ।
	पूरक	1,707.00				
	पुनर्वि.	-1,101.17				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-109-83-स्तत् और व्यापक मूल्यांकन	मूल	500.00	359.75	359.75	..	जिला स्तर पर बजट का उपयोग न हो पाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-140.25				
2202-02-109-85-शिक्षा में पिछड़े खण्डों में मोडल स्कूल खोलने बारे	मूल	10,000.00	2,500.00	2,500.00	..	रिक्त अमलों को न भरने में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-7,500.00				
2202-02-109-86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	मूल	60,000.00	26,131.69	26,131.69	..	मुख्यतः भारत सरकार से केंद्रांश की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो योजना के अंतर्गत भारत सरकार से केंद्रांश की अधिक प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	- 33,868.31				
2202-02-110-94-समान शिक्षा राहत के लिए मुख्यमंत्री नीति	मूल	500.00	93.31	93.31	..	योजना के तहत दावों कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-406.69				
2202-02-110-95-गुरुकुल/संस्कृत पाठशाला को सहायता अनुदान	मूल	60.00	42.00	42.00	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-18.00				
2202-02-110-96-अराजकीय सहायता प्राप्त सैकेंडरी स्कूलों के लिए पेंशन लागू करना	मूल	10,000.00	8,051.36	8,051.36	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,948.64				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-110-98-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान)	मूल	1000.00	200.50	200.50	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-799.50				
2202-02-199-99-पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना	मूल	7,150.00	1,447.02	1447.02	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान की अधिक अंशदान की प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	- 5,702.98				
2202-02-789-95-स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी में अनुसूचित जाति के छात्रों की परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति	मूल	2,000.00	850.97	850.97	..	योजना के अंतर्गत बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 1,149.03				
2202-02-789-97-अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों को नगद ईनाम योजना	मूल	2500.00	2,036.32	2,036.32	..	योजना के अंतर्गत स्कूलों से मांग कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-463.68				
2202-02-789-99- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	मूल	400.00	योजना के अंतर्गत स्कूलों से मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-400.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-792-99-अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना	मूल	500.00	46.59	46.59	..	ऋण/हानि को बट्टे खाते में डालने के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-453.41				
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (97-सु-संस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) (बी बी बी पी)	मूल	1,000.00	574.43	574.43	..	योजना के अंतर्गत बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-425.57				
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (98-सभी स्कूलों में शिक्षकों के सुगम शिक्षा प्रदान	मूल	790.00	62.29	62.29	..	जिला स्तर पर धनराशि का उपयोग न हो पाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-727.71				
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (99-स्वच्छ प्रांगण)	मूल	400.00	226.44	226.44	..	जिला स्तर पर धनराशि का उपयोग न हो पाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-173.56				
2202-03-001-96-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) शिक्षा उच्च (ईडीएच-पीएलओ-आर ईवी)	मूल	5,000.00	योजना के तहत विभाग से मांग न मिलने के कारण समस्त निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 5,000.00				
2202-03-001-99-प्रशासकीय अमला (96-हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद्)	मूल	200.00	90.00	90.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 110.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03-103-97-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)	मूल	100.00	भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2202-03-105-87-विद्यार्थियों (लड़कों) के लिए शैक्षिक और सरसपाटा यात्रा	मूल	35.00	19.97	19.97	..	योजना के अंतर्गत बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 15.03				
2202-03-105-90-राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद क्रिया कलाप	मूल	150.00	29.99	29.99	..	योजना के अंतर्गत बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 120.01				
2202-03-105-92-राजकीय महाविद्यालयों तथा मुख्यालयों पर शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए मानव संसाधन विकास	मूल	350.00	91.10	91.10	..	योजना के अंतर्गत बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-258.90				
2202-03-105-93-राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार सैल की स्थापना	मूल	50.00	26.87	26.87	..	योजना के तहत बिलो का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-23.13				
2202-03-105-99-निदेशालय स्तर तथा महाविद्यालय स्तर पर महिला सैल की स्थापना	मूल	100.00	42.31	42.31	..	योजना के तहत बिलो का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 57.69				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-792-99-अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना	मूल	2,000.00	ऋण/हानि को बट्टे खाते में डालने के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,000.00				
2202-04-200-97- साक्षर भारत स्कीम/नाम बदलकर पढ़ना लिखना अभियान नाम बदलकर नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	मूल	1,000.00	283.77	283.77	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 716.23				
2202-04-200-98-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	मूल	55.00	20.47	20.47	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 34.53				
2203-51-001-89-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) तकनीकी शिक्षा (टीईडी-पीएलओ-आरईवी)	मूल	500.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-500.00				
2203-51-104-77-सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों का विकास	मूल	1,800.00	1,527.48	1,527.48	..	सेवानिवृत्त लोगों से सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-272.52				
2203-51-105-55- बहुतकनीकियों का सामुदायिक विकास	मूल	120.00	भारत सरकार से अनुदान न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 120.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-51-105-82-वर्तमान बहुतकनीकियों का आधुनिकीकरण	मूल	100.00	भारत सरकार से निधि न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2203-51-105-89-राज्य में नए राजकीय बहुतकनीकी की स्थापना	मूल	200.00	भारत सरकार से निधि न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 200.00				
2203-51-112-91-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), किलोहद, सोनीपत की स्थापना	मूल	700.00	579.83	579.83	..	₹120.17 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	- 120.17				
2203-51-112-92-राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलेजी संस्थान पंचकुला की स्थापना	मूल	1000.00	सहायता अनुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1000.00				
2203-51-199-99- सरकारी/ सोसाइटी मोड बहुतकनीकी को मान्यता (स्वर्ण जयंती योजना के तहत)	मूल	50.00	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मानदंडों को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 50.00				
2203-51-789-92-अनुसूचित जाति के छात्रों को राज्य परिवहन सुविधा/रेल पास की प्रतिपूर्ति नाम बदल कर अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति और परिवहन सुविधा	मूल	30.00	योजना के तहत दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 30.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-51-789-93-प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक और सरकार में एस.सी छात्रों के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय	मूल	50.00	हारट्रान की ओर से नविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2203-51-789-97-अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मुफ्त पुस्तकें	मूल	100.00	हारट्रान की ओर से नविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 100.00				
2203-51-792-51-कर्ज/हानियों के बट्टे खाते में डालना	मूल	20.00	4.41	4.41	..	ऋण/हानि को बट्टे खाते में डालने के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 15.59				
2203-51-792-99-हरियाणा इंजीनियरिंग शिक्षा कर्ज	मूल	20.00	ऋण/हानि को बट्टे खाते में डालने के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 20.00				
2235-02-001-95-संचार एवं प्रचार	मूल	35.00	23.55	23.55	..	₹11.45 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	-11.45				
2235-02-102-69- राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्रेच योजना	मूल	2,000.00	भारत सरकार से अनुदान न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 2,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-71-राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सहायता अनुदान	मूल	125.00	87.50	87.50	..	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-37.50				
2235-02-102-73- समेकित शिशु सुरक्षा योजना का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य	मूल	6,160.00	3,911.86	3,911.86	..	भारत सरकार से अनुदान न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 2,248.14				
2235-02-102-76- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिका के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना	मूल	500.00	263.08	263.08	..	जिला स्तर पर रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 236.92				
2235-02-102-77-किशोर राज्य निधि	मूल	500.00	225.00	225.00	..	योजना के तहत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-275.00				
2235-02-102-78-अपनी बेटियां अपना धन नया नाम आपकी बेटे हमारी बेटे (लाडली)	मूल	13,000.00	7,066.57	7,066.57	..	मुख्यतः योजना के तहत कम लाभार्थियों के नामांकन और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,933.43				
2235-02-102-88-आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (उदीशा परियोजना)	मूल	50.00	भारत सरकार से अनुदान न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 50.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-98- बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान (98-देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले निराश्रित बच्चे कल्याण)	मूल	47.00	21.18	21.18	..	अनुदान सहायता के तहत स्वैच्छिक संगठनों से मांग की कम प्राप्ति और योजना के तहत कुछ वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-25.82				
2235-02-103-73-महिलाओं पर तेजाब फँकने पर उन को राहत और पुनर्वास योजना	मूल	30.00	1.54	1.54	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 28.46				
2235-02-103-74-महिला शक्ति केन्द्र	मूल	500.00	भारत सरकार से अनुदान न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 500.00				
2235-02-103-76-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षों की स्थापना)	मूल	250.00	158.43	158.43	..	मुख्यतः रिक्त पदों को कम भरने और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-91.57				
2235-02-103-79-लैंगिक चेतना	मूल	3,000.00	9.46	9.46	..	मुख्यतः सेनेटरी नैपकिन की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,990.54				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-789-98-अनुसूचित जाति के परिवारों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के भविष्य सुरक्षा बीमा योजना स्कीम के तहत वित्तीय सहायता	मूल	250.00	109.92	109.92	..	योजना के तहत एलआईसी से दावों की कम प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-140.08				
2235-02-789-99-अनुसूचित जाति के परिवारों को अपनी बेटियाँ अपना धन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता नया नाम आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली)	मूल	14,000.00	6,446.12	6,446.12	..	योजना के तहत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 7,553.88				
2235-02-800-81-जे. जे. एक्ट को लागू करना (95-जे. जे. एक्ट अंतर्गत किशोर/निरीक्षण गृह स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान)	मूल	20.00	4.64	4.64	..	ऋण/हानि को बट्टे खाते में डालने के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 15.36				
2235-02-800-81-जे. जे. एक्ट को लागू करना (96-किशोर बोर्ड)	मूल	41.00	22.96	22.96	..	मुख्यतः रिक्त पदों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-18.04				
2235-02-800-81- जे. जे. एक्ट को लागू करना (98-रिमांड/ निरीक्षण गृह)	मूल	415.00	346.13	346.13	..	मुख्यतः कुछ वस्तुओं की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने, संविदा सेवाओं के तहत संविदा कर्मचारियों के नियुक्ति न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-68.87				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-800-81-जे. जे. एक्ट को लागू करना (99-विशेष गृह/स्कूल)	मूल	124.00	14.73	14.73	..	मुख्यतः रिक्त पदों को कम भरने और योजना के तहत कुछ वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-109.27				
2235-02-800-82-हरियाणा राज्य महिला आयोग (98-महिला चेतना एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय सहायता (वामा))	मूल	40.00	योजना के तहत आयोग से मांग की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 40.00				
2235-02-800-82-हरियाणा राज्य महिला आयोग (99-हरियाणा स्टेट राज्य महिला आयोग का स्थापना खर्च)	मूल	220.00	154.00	154.00	..	योजना के तहत आयोग से मांग की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 66.00				
2236-02-101-87-मल्टी सेक्टरल पोषण कार्यक्रम के लिए इस योजना के तहत पोषण मातृ एवं शिशु को संबोधित करने के लिए	मूल	15,000.00	12,829.17	12,829.17	..	वीटा, हरियाणा से एमओयू लंबित होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,170.83				
2236-02-101-88-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	मूल	10,676.00	2,145.69	2,145.69	..	₹8,530.31 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	-8,530.31				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2236-02-101-89-किशोर लड़कियों के लिए योजना	मूल	50.00	103.60	103.60	..	भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	103.60				
	पुनर्वि.	- 50.00				
2236-02-101-95-पूरक पोषाहार कार्यक्रम	मूल	11,000.00	8,167.35	8,167.35	..	मुख्यतः पोषण अभियान योजना के तहत मशीनरी और उपकरण और अन्य शुल्कों के लिए धन के विचलन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 2,832.65				
2236-02-101-99-मुख्यालय अमला	मूल	10,401.00	8,066.81	8,066.81	..	रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 2,334.19				
2236-02-789-95-अनुसूचित जाति की महिलाओं की वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता)	मूल	..	77.05	77.05	..	नई योजना के नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	500.00				
	पुनर्वि.	-422.95				
2236-02-789-96-अनुसूचित जाति महिला (प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना) के लिए वित्तीय सहायता)	मूल	1,500.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	-1,500.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2236-02-789-98- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पोषाहरक कार्यक्रम	मूल	6,000.00	1,725.90	1,725.90	..	मुख्यतः भारत सरकार से कम धन राशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,137.05 लाख के अभ्यर्पण के कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि. लेखे/अनु.सं. 12/ पुनवि. आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	- 4,274.10				
2235-80-102-99-पोशन अभियान के लिए योजना	मूल	7,500.00	6,756.17	6,756.17	..	मुख्यतः अधिक कार्य/बिल न मिलने, विविध बिल पर कम खर्च और विज्ञापन खर्च कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 743.83				
3425-60-001-97-विज्ञान तथा तकनीकी कौंसिल को सहायतानुदान	मूल	3,100.00	1,395.00	1,395.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि. लेखे/अनु.सं. 12/ पुनवि. आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)।
	पुनर्वि.	- 1,705.00				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामलों में, जिनमें वास्तविक बचत से कम बजट प्रावधान अभ्यर्पित किया गया जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई की चर्चा इसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-105-91-खण्ड स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल	300.00	283.33	161.67	(-)121.66	मुख्यतः केन्द्र सरकार से अनुदान की देर से और कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि और संविदा कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹121.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-16.67				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-105-92-जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (डाईट्स)	मूल	10,000.00	5,015.87	2,979.99	(-)2,035.88	मुख्यतः केन्द्र सरकार से अनुदान की देर से और कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो छोटे कार्यों के दावों की अधिक प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया था। ₹2,035.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 4,984.13				
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96-छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम)	मूल	2,000.00	1,197.36	1,196.32	(-)1.04	जिला स्तर पर धनराशि का उपयोग न हो पाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 802.64				
2203-51-001-93-तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय अमला)	मूल	1,346.50	1,165.96	966.99	(-)198.97	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, योजना के तहत मांग प्राप्त न होने, वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति न करने और संविदा सेवाओं के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो न्यायालय के आदेशों द्वारा बकाया किराये के भुगतान द्वारा समायोजित किया गया। ₹198.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-180.54				

अनुदान संख्या 12-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-51-112-94- राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रेवाड़ी की स्थापना	मूल	470.00	244.89	230.67	(-)14.22	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, और संविदा सेवाओं के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹14.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 225.11				
2203-51-112-95-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज झज्जर की स्थापना	मूल	560.00	523.19	476.16	(-)47.03	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, और संविदा सेवाओं के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹47.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 36.81				
3425-60-001-99-वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यक्रम	मूल	550.50	286.09	257.71	(-)28.38	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि के दावे न मिलने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹15.99 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)। ₹28.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-264.41				

अनुदान संख्या 12-जारी

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-004-99-राज्य अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कौंसिल गुरुग्राम की स्थापना	मूल	3,347.00	1,896.69	1,896.82	(+)0.13	मुख्यतः प्रशिक्षण और ऊर्जा शुल्क के तहत दावों की कम प्राप्ति, कम्प्यूटरीकरण के तहत मांग की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरना और दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मांग की अधिक प्राप्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,450.31				
2202-02-109-99-शिक्षण अमला सहित अन्य स्थापना (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,93,521.00	4,54,523.43	4,54,608.88	(+)85.45	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सामग्री और आपूर्ति की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि और अनुग्रह मांग की अधिक प्राप्ति के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया था। ₹85.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-38,997.57				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03-103-99- संस्थान	मूल	46,195.00	41,053.07	41,054.13	(+)1.06	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अनुग्रह योजना के तहत मांग की कम प्राप्ति और योजना के तहत संस्थानों द्वारा कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो सरकारी कॉलेजों से छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹1.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	- 5,141.93				
2235-02-789-90-अनुसूचित जाति आंगनबाड़ी वर्कर/सहायिका को वित्तीय सहायता वित्तीय सहायता	मूल	6,000.00	3,845.18	3,980.46	(+)135.28	₹2,154.82 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि. आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)। ₹135.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	- 2,154.82				
2236-02-101-97-पंजीरी प्लांट घरौंडा	मूल	234.00	152.81	152.93	(+)0.12	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, और अनुग्रह राशि के दरों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹0.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-81.19				

- (6) निम्नलिखित मामलों में, अनुपूरक अनुदान आविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया था, बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था, जो दर्शाता है के बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-97- मुख्यालय हेतु अमला (डब्ल्यू.सी.डी.) (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,041.00	916.11	916.11	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम यात्रा, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा सेवाओं के तहत वेतन में वृद्धि के कारण अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पूरक	40.00				
	पुनर्वि.	- 164.89				
2235-02-102-70-बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के लिए योजना	मूल	550.00	493.56	493.56	..	भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	279.56				
	पुनर्वि.	- 336.00				

- (7) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया था, बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान अभ्यर्पित कर दिया गया था। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद वित्त विभाग द्वारा एक पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया जिसमें समस्त अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-92-समेकित बाल विकास परियोजना (म.ना.वि.)	मूल	76,500.00	74,286.43	68,565.35	(-)5,721.08	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, योजना के तहत कुल वस्तुओं की कम खरीद, योजना के तहत भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो विभिन्न अनुदानों की अधिक प्राप्ति के व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹5,721.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	3,400.00				
	पुनर्वि.	- 5,613.57				

- (8) निम्नलिखित मामले में, समस्त प्रावधान अनुपूरक अनुदान के माध्यम से किए गए और बाद में अनुपूरक अनुदान को वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम कम कर दिया गया क्योंकि व्यय बजट प्रावधान से काफी कम था, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई, जो दर्शाता है के बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2236-02-101-86-मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता	मूल	..	226.37	226.37	..	नई योजना के तहत मांग कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	2,025.00				
	पुनर्वि.	- 1,798.63				

- (9) आधिकता मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-789-93-पीएमश्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना)	मूल	..	684.45	684.45	..	वर्ष 2023-2024 में पात्र विद्यार्थियों को साइकिलों के भुगतान के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था । ₹273.38 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024)
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	683.45				
2202-01-789-99-अनुसूचित जाति के छठी कक्षा के छात्रों को मुक्त साइकिल प्रदान करना	मूल	50.00	140.67	140.67	..	वर्ष 2023-2024 में पात्र विद्यार्थियों को साइकिलों के भुगतान के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पुनर्वि.	90.67				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-793-98-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय प्रोग्राम	मूल	5,000.00	7,233.04	7,233.04	..	₹2,233.04 लाख की अधिकता के कारण सही एवं ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024) ।
	पुनर्वि.	2,233.04				
2202-02-789-94-पीएमश्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना)	मूल	..	684.67	684.67	..	योजना के तहत दावों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	683.67				
2202-02-793-98-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	मूल	8,924.02	10,045.89	10,045.89	..	भारत सरकार से केन्द्र शेयर दावों की अत्यधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जबकि योजना के तहत भारत सरकार से केन्द्र शेयर की कम प्राप्ति के कारण बचत हुई ।
	पुनर्वि.	1,121.87				
2202-03-104-98- अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पेंशन लागू करना	मूल	25,000.00	30,000.00	30,000.00	..	गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के पेंशनभोगियों को जनवरी और फरवरी 2024 की अवधि के लिए पेंशन के भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पुनर्वि.	5,000.00				
2235-02-102-65-हरियाणा राज्य कैंच योजना	मूल	..	25.02	25.02	..	राज्य सरकार द्वारा नई योजना शुरू करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	24.02				
2235-02-102-65-महिला हेल्पलाइन के सावा	मूल	5.00	102.80	102.80	..	भारत सरकार से अनुदान सहायता के तहत अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पूरक	27.60				
	पुनर्वि.	70.20				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-103-69-महिलाओं के लिए संकट बंद करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना स्कीम	मूल	5.00	594.68	594.68	..	भारत सरकार से अनुदान सहायता के तहत अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पूरक	369.56				
	पुनर्वि.	220.12				
2235-02-103-87-स्वैच्छिक क्षेत्र का सुदृढीकरण (प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र और वजीफे संबंधी योजना) (99-बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण संघ गैर सरकारी एनजीओएस, सरकारी सहायता प्राप्त एनजीओएस सहित को विशेष उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान)	मूल	3,000.00	3,490.00	3,490.00	..	बाल कल्याण परिषद से अनुदान सहायता दावों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	490.00				

- (10) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक व्यय से कम राशि बढ़ाई गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे। जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-001- 99-प्रशासनिक अमला	मूल	9,550.10	12,980.83	12,980.97	(+)0.14	मुख्यतः संविदा सेवा के तहत संविदा कर्मचारियों की अधिक भागीदारी के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने, नए वाहनों की कम खरीद, योजना के तहत मांग की कम प्राप्ति और अनुग्रह राशि की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	3,430.73				

- (11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक व्यय से अधिक राशि बढ़ाई गई, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं था, इसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-51-105- 59-सरकारी बहु तकनीकियों का विकास (98-स्थापना खर्च)	मूल	31,832.00	35,633.45	30,965.60	(-)4,667.84	मुख्य रूप से योजना के तहत कर्मचारियों की नई नियुक्ति के कारण हुई मुख्य रूप से अंशदान सहायता के तहत कम नियुक्तियों के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो अनुदान सहायता के तहत कम नियुक्तियां, पेशेवर प्रशिक्षता और विशेष सेवाओं की कम व्यस्तता के कारण बचत द्वारा समायोजित किया गया है। ₹4,667.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	3,801.45				

पूँजीगत

- (12) ₹67,660.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2024 को ₹68,152.29 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ ।
- (13) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01-202-96-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) ईडीएस शिक्षा (माध्यमिक) (ईडीएस-पीएलओ-सीएपी)	मूल	5,000.00	अंतिम तिमाही तक कार्यों की आवश्यकता न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 5,000.00				
4202-01-202-97-नाबार्ड के तहत वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालय भवन का निर्माण	मूल	4,500.00	योजना के तहत मांग नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 4,500.00				
4235-02-102-99-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	मूल	100.00	क्षेत्रीय कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
4235-02-103-95- ऑनर किलिंग के लिए सुरक्षा गृहों (सुरक्षा गृह) का निर्माण	मूल	500.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024) ।
	पुनर्वि.	-500.00				
4235-02-103-96-महिलाओं के लिए वन स्टांप क्रइमिस केन्द्र स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु योजना	मूल	₹101 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024) ।
	पूरक	101.00				
	पुनर्वि.	- 101.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5425-51-600-98-अम्बाला छावनी में विज्ञान केन्द्र की स्थापना नाम बदलकर अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केन्द्र की स्थापना	मूल	2,500.00	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषर (एनसीएएएम) ने लोक निर्माण विभाग (बी एंड बार) के माध्यम से किए जा रहे भवन के निर्माण की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके निर्माण कार्य रूकने के कारण समस्त निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 2,500.00				
5425-51-600-99-सोनीपत विज्ञान शहर की स्थापना नाम बदलकर हरियाणा में राष्ट्रीय विज्ञान शहर की स्थापना	मूल	5,000.00	साइंस सिटी के लिए जमीन तय न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,000.00				

- (14) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से कम राशि का अभ्यर्पण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप व्यय समर्पण नहीं किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01-203-99-महाविद्यालय भवन	मूल	15,000.00	11,609.25	11,499.74	(-)109.51	₹8,714.75 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि.आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024) । ₹109.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पूरक	5,324.00				
	पुनर्वि.	- 8,714.75				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02-104-99-बहुतकनीकी भवन	मूल	2,000.00	1,934.21	1,409.73	(-)524.48	लोक निर्माण विभाग, हरियाणा द्वारा धीमी निर्माण गतिविधि के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹524.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-65.79				
4202-02-105-99-भवन अभियांत्रिक महाविद्यालय	मूल	500.00	60.36	38.97	(-) 21.39	योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों से दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹21.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 439.64				
4202-02-789-99-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक में छात्रवासों का निर्माण	मूल	1,000.00	305.42	100.77	(-) 204.65	योजना के अंतर्गत पॉलिटेक्निक से दावे कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹204.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-694.58				
6202-02-105-94-पडेड पालिटेक्निक के विकास के लिए ऋण	मूल	4,000.00	3,200.00	2,940.00	(-) 260.00	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹260 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 800.00				

- (15) निम्नलिखित मामलों में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश, जिनमें वास्तविक बचत अधिक राशि का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02-102-97-जेजे एक्ट को लागू करना (99-रिमांड/निरीक्षण गृह)	मूल	5,000.00	1,313.67	1,414.79	(+)101.12	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹101.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 3,686.34				
4235-02-102-99-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (98-राज्य योगदान)	मूल	5,000.00	32.41	773.66	(+)741.25	निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹741.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 4,967.59				
4235-02-789-99-आंगनवाड़ी सैन्टर का निर्माण	मूल	1,000.00	..	159.21	(+)159.21	निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹159.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 1,000.00				

- (16) निम्नलिखित मामले, जहां अनुपूरक अनुदान अत्याधिक प्राप्त किया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन आदेश से कम कर दिया गया था, उसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6202-01-203-88-गुरुग्राम विश्वविद्यालय को ऋण	मूल	2,340.00	4,500.00	4,500.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	4,000.00				
	पुनर्वि.	- 1,840.00				
6202-01-203-90-चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद को ऋण	मूल	1,350.00	2,200.00	2,200.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	1,500.00				
	पुनर्वि.	- 650.00				
6202-01-203-91-चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी को ऋण	मूल	3,600.00	5,000.00	5,000.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	2,400.00				
	पुनर्वि.	- 1,000.00				
6202-01-203-92-इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी को ऋण	मूल	900.00	3,500.00	3,500.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	3,950.00				
	पुनर्वि.	- 1,350.00				
6202-01-203-92-चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा को ऋण	मूल	2,500.00	4,500.00	4,500.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	3,000.00				
	पुनर्वि.	- 1,000.00				
6202-01-203-95-भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलाँ (सोनीपत) को ऋण	मूल	4,500.00	12,000.00	12,000.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	12,000.00				
	पुनर्वि.	- 4,500.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6202-01-203-96-महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय को ऋण	मूल	14,800.00	14,800.00	14,800.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	5,000.00				
	पुनर्वि.	- 5,000.00				
6202-01-203-97-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ऋण	मूल	21,600.00	30,000.00	30,000.00	..	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	18,600.00				
	पुनर्वि.	- 10,200.00				

- (17) एक मामला, जिसमें अत्यधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक राशि का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01-202-99-माध्यमिक विद्यालय भवन	मूल	5,000.00	32,186.57	32,743.59	(+)557.02	₹557.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	30,000.00				
	पुनर्वि.	- 2,813.43				
4235-02-103-99-परित्यक्त स्त्रियों विधवाओं, नवयुवतियों के लिए गृह तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र	मूल	600.00	1,047.14	1,097.21	(+)50.07	विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹50.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	2,372.00				
	पुनर्वि.	-1,924.86				

(18) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
4235-02-102-99-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	मूल	100.00	315.93	315.93	..	प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनवि. आदेश/2023-24/348-49 दिनांक 28.05.2024) ।
	पुनर्वि.	215.93				

अनुदान संख्या-13-खेलकूद तथा युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन

(मुख्य शीर्ष-2204-खेलकूद तथा युवा सेवार्ये, 2205-कला एवं संस्कृति, 3452-पर्यटन, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,70,85,20	5,70,85,20	4,04,17,12	(-)1,66,68,08
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

1,65,96,51

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,99,50,00	2,99,50,00	1,50,71,50	(-)1,48,78,50
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

1,05,21,76

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

(1) ₹16,668.08 लाख की अंतिम बचत में से, ₹71.57 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

(2) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
2204-51-001-95- मोती लाल नेहरू खेलकूद स्कूल, राई तथा कमला नेहरू स्कूल, राई	मूल	3,191.50	2,731.11	2,731.11	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहनों की मरम्मत के लिए बिलों की कम प्राप्ति और अनुग्रह राशि के दावेदारों की कम संख्या के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। अभ्यर्पित की गई कुल राशि में से ₹340.89 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 13/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/262-63 दिनांक 15.05.2024)।
	पुनर्वि.	-460.39				
2204-51-001-98-खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	मूल	7,508.00	6,578.41	6,578.41	..	मुख्यतः पदों की रिक्तता, छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, हिपा द्वारा प्रशिक्षण का संचालन न करना और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा दावों की अधिक प्राप्ति और प्रशिक्षु कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-929.59				
2204-51-001-99-खेल-कूद निदेशालय के लिए अनिवार्य अमलों की नियुक्ति	मूल	1,060.00	946.50	946.50	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सत्र के दौरान प्रशिक्षण का संचालन न होने, छुट्टी यात्रा रियायत आवेदनों की देर से प्राप्ति, पेट्रोल बिलों के कम शुल्क, वाहनों के रखरखाव की कम आवश्यकताओं के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा दावों की अधिक प्राप्ति और प्रशिक्षु कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-113.50				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-102-90-नया एन सीसी ग्रुप हेडक्वाटर/नई एन सीसी कन्या बटालियन/नई एन सी सी बटालियन खोलना (97-मेवात में एन सीसी की नई कन्या बटालियन खोलना)	मूल	124.00	46.15	46.15	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय व्यय की मांग की कम प्राप्ति, रिक्त पदों और छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-77.85				
2204-51-102-91-हिसार में एन.सी.सी. की नई कन्या बटालियन खोलना	मूल	105.50	87.45	87.45	..	मुख्यतः बटालियन से कम दावे प्राप्त होने, रिक्त पदों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-18.05				
2204-51-102-93-निदेशालय में एन.एस.एम. सैल खोलने बारे	मूल	78.00	36.55	36.55	..	मुख्यतः पुरस्कारों के दावों की गैर प्राप्ति होना, रिक्त पदों और कार्यालय व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-41.45				
2204-51-102-99-राष्ट्रीय कैडेट कोर खर्च पर	मूल	1,901.00	1,599.02	1,599.02	..	मुख्यतः रिक्त पदों का खाली होना, किराये और दरों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अधिक संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-301.98				
2204-51-104-51-राज्य खेल परिषद् योजना	मूल	100.00	क्षेत्रीय कार्यालयों सहायता अनुदान की मांग प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-56-मानव संसाधन विकास योजना	मूल	2,831.00	2,092.20	2,092.20	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों के पदों का खाली होना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2023 के सम्बंध में कम कोचिंग शिविरों का आयोजन, वाहनों की कम खरीद/रखरखाव, कम वर्दी/लिवरियों के दावें प्राप्त होना और अनुदान सहायता की मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-738.80				
2204-51-104-57-मूलभूत योजना	मूल	8,000.00	2,178.95	2,178.95	..	मुख्यतः दावों की कम मांग, रखरखाव के लिए कम मांग, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देना, बिजली बिलों के लिए कम दावों की प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो किराए पर अतिरिक्त व्यय दरों के भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-5,821.05				
2204-51-104-69-खेल नर्सरी	मूल	4,051.00	2,391.22	2,391.22	..	मुख्यतः विजेताओं को छात्रवृत्ति और वजीफे के कम पुरस्कार दिए जाने, लाभार्थियों से वर्दी/लिवरियों के बिल देर से जमा करने, रखरखाव के कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो किरोडीमल ट्रस्ट, भिवानी और स्पोर्ट्स अकादमी के किराए के दावों के भुगतान पर अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,659.78				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-188-99-स्पोर्ट्स एण्ड फिजिकल फिटनेस ऑथरिटी ऑफ हरियाणा	मूल	1,000.00	हरियाणा स्पोर्ट्स अकादमी की मंजूरी न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2204-51-190-99-स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राई सोनीपत	मूल	5,000.00	2,249.00	2,249.00	..	अनुदान सहायता दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,751.00				
2204-51-789-99-अनुसूचित जातियों के लिए मूलभूत योजना	मूल	1,000.00	82.78	82.78	..	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत छात्रवृत्ति और वजीफा देर से जमा करने और दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-917.22				
2204-51-800-96-खेल तथा उपकरण की व्यवस्था तथा स्कूल में खेल के मैदान का विकास	मूल	200.00	0.27	0.27	..	वित्त विभाग द्वारा देर से निधि जारी करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, इसलिए विभाग द्वारा राशि वापस नहीं ली गई है।
	पुनर्वि.	-199.73				
2204-51-800-97-स्काउटिंग तथा गाइडिंग की सहायता	मूल	200.00	उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
2204-51-800-98- राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद चैंपियनशिप के लिए सहायता अनुदान	मूल	150.00	70.00	70.00	..	वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-80.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-102-97-अभिलेखागार का प्रचार कार्यक्रम	मूल	20.00	1.10	1.10	..	कार्यालय मर्दों/सहायकों की कम आवश्यकता और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-18.90				
2205-51-102-99-हरियाणा में राज्य अभिलेखागार व क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना तथा अभिलेखागार का विकास	मूल	483.20	205.36	205.36	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-277.84				
2205-51-103-98-पुरातात्विक उत्खनन एवं अन्वेषण कार्यक्रम	मूल	50.00	27.64	27.64	..	मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम व्यस्तता, मुआवजे के दावों की कम प्राप्ति, कम दौरे और वाहनों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 22.36				
2205-51-105-86-केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास और उन्नयन	मूल	2,000.00	विभाग से सहायता अनुदान अनुरोध प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,000.00				
2205-51-105-90-राजा राम मोहन राय फाउन्डेसन कलकता को सहायता अनुदान	मूल	30.00	विभाग से सहायता अनुदान अनुरोध प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 30.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-105-99-जिला/उपमण्डल पुस्तकालयों की स्थापना	मूल	911.50	609.19	609.19	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, जिला पुस्तकालय/उपमंडल पुस्तकालय और मुख्यालय द्वारा सामग्री की कम खरीद, पुस्तकालयों से अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-302.31				
3452-01-101-99-पर्यटन गतिविधियों में विस्तार तथा ऐतिहासिक स्मारकों का प्रकाशीकरण	मूल	900.00	789.03	789.03	..	कार्यदायी संस्था द्वारा समय से मांग न उठाये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-110.97				
3452-80-001-99- मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,428.50	810.10	810.10	..	मुख्यतः रखरखाव पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरना, सरकार द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण का संचालन न करना तथा बिजली और पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-618.40				
3452-80-104-98-खेल/साहसिक पर्यटन और सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना	मूल	100.00	हरियाणा पर्यटन निगम (कायकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग नहीं किए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
3452-80-104-99-त्योहारों/मेलों/शोज अन्य सम्बंधित गतिविधियों जैसे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना	मूल	300.00	94.25	94.25	..	हरियाणा पर्यटन निगम (कायकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग नहीं किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 205.75				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452-80-188-95-इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कुरूक्षेत्र	मूल	100.00	70.00	70.00	..	₹30 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 13/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/262-63 दिनांक 15.05.2024)।
	पुनर्वि.	-30.00				
3452-80-188-96-इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, रोहतक	मूल	100.00	₹100 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 13/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/262-63 दिनांक 15.05.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				
3452-80-800-96-होम स्टे योजना	मूल	25.00	सब्सिडी दावा प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि.	-25.00				
3452-80-800-99- कैटरिंग संस्थान पानीपत	मूल	39.00	9.75	9.75	..	₹29.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 13/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/262-63 दिनांक 15.05.2024)।
	पुनर्वि.	-29.25				

- (3) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के तीन मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-93-जोनल संग्रहालय की स्थापना	मूल	325.00	202.83	194.65	(-) 8.18	मुख्यतः कम रखरखाव कार्य, दैनिक वेतन भोगियों की कम व्यस्तता, रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹8.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-122.17				
2205-51-103-96-प्राचीन ऐतिहासिक भवनों तथा ईमारतों का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास	मूल	1,300.00	1,156.01	1,141,79	14.22	मुख्यतः दैनिक मंजूरी की कम संलग्नता, सहायता अनुदान के तहत मांग की कम प्राप्ति, बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹14.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-143.99				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103- 99-निर्देशन प्रशासन	मूल	389.11	252.76	204.99	(-) 47.77	मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरना, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, और कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो दैनिक वेतनभोगीयों की नियुक्ति द्वारा समायोजित किया गया। ₹47.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-136.35				

(4) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104- 52-खेल पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना	मूल	8,000.00	11,081.38	11,081.38	..	पदक विजेताओं को नकद पुरस्कारों और खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए अधिक भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो पुरस्कारों के लिए अन्य योजनाओं में खर्च की गई राशि, सहायता अनुदान की मांग न मिलने और चौथे पैरा एशियाई खेल-2022 के विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों का वितरण न होने के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	3,081.38				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-53-सूचना तंत्र योजना का आधुनिकीकरण	मूल	62.00	91.26	91.26	..	फोटोस्टेट मशीन हेतु लंबित बिलों के भुगतान द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	29.26				
3452-80-800-97-खानपान संस्थान यमुनानगर	मूल	50.00	100.00	100.00	..	आईएचएम यमुनानगर के कर्मचारियों के वेतन के वितरण के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जैसा कि मामला संख्या सीडब्ल्यूपी-पी.आईएल-2702024 (ओ और एम) में है।
	पुनर्वि.	50.00				

पूँजीगत

- (5) ₹14,878.50 लाख की अंतिम बचत में से, ₹4,356.74 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।
- (6) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03-102-99-खेल मूलभूत योजना	मूल	8,000.00	6,353.49	6,353.49	..	प्रमुख कार्य दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,646.51				
4202-04-106-99-भवन (पुरातत्व)	मूल	1,500.00	659.94	659.94	..	निर्माण कार्य कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-840.06				
5452-01-101-84-नए पर्यटन परिसर की एयर कंडीशनिंग और फर्निशिंग	मूल	100.00	50.00	50.00	..	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग नहीं किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5452-01-101-85-हरियाणा में मुख्य राजमार्गों के साथ पर्यटक सुविधाओं का विकास	मूल	1,000.00	263.75	263.75	..	मुख्यतः हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग नहीं किए जाने के कारण और न्यायालयों द्वारा पुरस्कार घोषित नहीं किया गया क्योंकि धनराशि भूमि वृद्धि मामले में न्यायालयों के निर्णय के लिए आरक्षित होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-736.25				
5452-01-101-86-पिंजौर में पर्यटक सुविधाएं।	मूल	50.00	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
5452-01-101-87-सूरजकुंड पर सुविधाएं	मूल	800.00	432.02	432.02	..	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-367.98				
5452-01-102-99-बडखल झील में अवकाश और मनोरंजन रिजॉर्ट	मूल	500.00	10.26	10.26	..	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-489.74				
5452-80-003-99-सर्वण जयंती कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण/ उन्नयन कार्यक्रम	मूल	200.00	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
5452-80-104-97-खेल/साहसिक पर्यटन और सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थलों का विकास	मूल	100.00	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5452-80-104-97-खेल/साहसिक पर्यटन और सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थलों का विकास	मूल	200.00	23.78	23.78	..	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-176.22				
5452-80-104-99-हरियाणा में वन्य जीवन पर्यटन का विकास स्वर्ण जयंती के तहत कार्यक्रम	मूल	5,000.00	635.00	635.00	..	हरियाणा पर्यटन निगम (कार्यकारी एजेंसी) द्वारा निर्धारित समय में धनराशि की मांग न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,365.00				
6202-01-203-98-हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय, हरियाणा सोनीपत को ऋण	मूल	5,000.00	5,000.00	..	(-)5,000.00	₹5,000 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

(7) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया और पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया, नीचे चर्चा की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03-101-99-भवन (युवा आवास)	मूल	1,500.00	..	643.26	(+) 643.26	मांग न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹643.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,500.00				

अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए उधार)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	64,45,77,17	67,04,92,17	60,86,29,14	(-)6,18,63,03
पूरक	2,59,15,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

12,31,01,43

प्रभारित

मूल	20,00	20,00	13,24	(-)6,76
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

शून्य

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,88,59,00	27,59,76,00	19,20,04,92	(-)8,39,71,08
पूरक	1,71,17,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

10,29,48,21

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹61,863.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹1,23,101.43 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ ।
- (2) ₹61,863.03 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023 में प्राप्त ₹25,915 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-102-99-मुख्यालय अमला	मूल	1,066.00	709.71	709.71	..	मुख्य रूप से आईईसी गतिविधियों पर कम खर्च, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारी राज्य बीमा निगम भवन में निदेशालय को फिर से स्थानांतरित करने और करों पर कम खर्च के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-356.29				
2210-01-110-37-स्वास्थ्य संस्था और एच एम आई एस की गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र	मूल	2,135.00	₹2,135 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं.14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-2,135.00				
2210-01-110-43-कैंसर और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन	मूल	1,500.00	पीईटी और एसपीईसीटी सुविधा की स्थापना न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,500.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-46-बाह्य साधनों से सहायता सेवार्यें	मूल	42,000.00	33,646.38	33,646.38	..	हरियाणा कौशल रोजगार निगम में संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और रसोई सेवा निविदाएँ प्रदान नहीं करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-8,353.62				
2210-01-110-64-हरियाणा रक्त संचालन कौंसिल को अनुदान नाम बदलकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना	मूल	477.20	314.70	314.70	..	लोकपाल के पद को न भरने और सहायता अनुदान के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-162.50				
2210-01-110-70-प्रशासन के मानकों का उन्नयन केन्द्रीय वित्त आयोग	मूल	54,877.00	योजना के तहत शून्य व्यय होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया, चूंकि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को कोई अनुदान जारी नहीं किया था ।
	पुनर्वि.	-54,877.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-96-हस्पतालों का सुधार तथा विस्तार नाम बदलकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का सुधार और विस्तार	मूल	20,000.00	10,795.01	10,795.01	..	पिछले आवंटित बजट का समायोजन नहीं किए जाने, स्वास्थ्य मंत्रालय स्क्रीनिंग कमेटी (एचएमएससीएल) द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने और फीडर लाइनों की कम स्थापना के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-9,204.99				
2210-02-101-92-जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सृद्धीकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,500.00	1,583.40	1,583.40	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दवाइयों की कम खरीद, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर कर्मचारियों को स्थानांतरित करने, संबंधित कार्यालयों से किराए के वाहनों के बिलों की गैर-प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारी की अधिक नियुक्ति द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-916.60				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02-101-93-मुख्यालय स्तर पर आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण करना	मूल	750.00	586.58	586.58	..	मुख्यतः वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में की गई संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, वास्तविक खपत के आधार पर कम बिजली बिल, अवकाश यात्रा रियायत, पेट्रोल, तेल और स्नेहक के दावों की कम प्राप्ति, दवाओं की कम खरीद और कार्यालय सामग्री की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो आधिकारिक कर्मचारियों के लिए अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-163.42				
2210-02-102-99-होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज खोलने/जारी रखने बारे	मूल	100.00	46.94	46.94	..	रिक्त पदों को न भरने और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-53.06				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-03-789-97-अनुसूचित जाति के मरीजों के लिए औषधियों की खरीद	मूल	2,700.00	1,815.00	1,815.00	..	पिछले आवंटित बजट का समायोजन नहीं किए जाने और वित्त विभाग के निर्देशों/दिशा निर्देशों के अनुसार एचएमएससीएल कार्यालय द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-885.00				
2210-03-792-51-एनए	मूल	25.00	3.06	3.06	..	ऋण/हानि के दावों की कम प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-21.94				
2210-04-101-90-मेले तथा चिकित्सा शिविर लगा कर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सम्बंध में जागरूकता पैदा करना	मूल	400.00	302.41	302.41	..	₹97.59 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे, ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं.14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-97.59				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-04-101-94-विभिन्न संस्थाओं/ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	मूल	800.00	23.84	23.84	..	कार्यालय से प्राप्त सहायता अनुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-776.16				
2210-04-102-97-होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों को जारी रखना	मूल	366.00	321.61	321.61	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दवाओं की कम खरीद, 69-संविदा सेवाओं के तहत संविदा कर्मचारियों का कम भुगतान और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और बढ़े हुए महंगाई भत्ते के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-44.39				
2210-04-103-98-यूनानी	मूल	445.00	372.16	372.16	..	वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए अनुग्रह दावों की प्राप्ति न होने और अवकाश रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की नई नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-72.84				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-101-88-राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी/ड्रग टैस्टिंग लैबोरेटरी कुरुक्षेत्र तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, पंचकूला का सुधार/जारी रखना	मूल	1,500.00	706.14	706.14	..	श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टाफ का श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में विलय और दवाओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-793.86				
2210-05-101-89-श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान पंचकूला का सुदृढीकरण/ सुधार करना	मूल	156.00	41.99	41.99	..	श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टाफ का श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में विलय और दवाओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-114.01				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-70-गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छीसा (फरीदाबाद) की स्थापना	मूल	4,500.00	3,873.61	3,873.61	..	मुख्यतः निविदाओं को अंतिम रूप न देने, नियमित पदों का न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, नए वाहनों की खरीद न होने और कम्प्यूटर और प्रिंटर की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो दरों में वृद्धि/संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन के आंतरिक समायोजन के आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-626.39				
2210-05-105-71-नसिंग स्कूल/कालेज, एम पी एच डब्ल्यू पुरुष की स्थापना	मूल	2,000.00	862.57	862.57	..	मुख्यतः कम्प्यूटर और प्रिंटर कम खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किराया दरों और करों के दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और फर्नीचर न खरीदने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,137.43				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-72-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) चिकित्सा शिक्षा (एमईआर-पीएलओ-आरईवी)	मूल	1,000.00	संबंधित विभाग से मांग प्राप्त न होने के कारण आरक्षित निधि अप्रयुक्त रह गई जिसके कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना (95-गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, छीसा (फरीदाबाद)	मूल	300.00	दवाओं की खरीद न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-300.00				
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना (97-पं. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य साईंस रोहतक विश्वविद्यालय)	मूल	3,420.00	2,652.00	2,652.00	..	दवाओं की कम खरीद और लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-768.00				
2210-05-105-76-चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना (98-सक्षम राजकीय मेडिकल कॉलेज, नलहर, मेवात)	मूल	800.00	688.11	688.11	..	दवाओं की कम खरीद और लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-111.89				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना (99-कल्पना चावला गर्वनमेंट मेडिकल कालेज करनाल)	मूल	1,000.00	655.37	655.37	..	दवाओं की कम खरीद और लाभार्थियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-344.63				
2210-05-105-81-मेवात मेडिकल कालेज नलहर की स्थापना	मूल	15,400.00	12,211.04	12,211.04	..	मुख्यतः उपकरणों की कम आपूर्ति, बिजली बिलों का अधिक भुगतान, रिक्त पदों का न भरना, रखरखाव के कम बिल प्राप्त होना, अनुसंधान और विकास कर्मचारियों की कमी, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और फर्नीचर की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो दवाओं की खरीद, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति/दरों में वृद्धि और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए लंबित छात्रवृत्ति और वजीफे के दावों की भरपाई के आधिक्य के द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-3,188.96				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105- 83-निदेशक रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन कार्यालय का स्थापना खर्च	मूल	1,500.00	1,323.36	1,323.36	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बिजली बिलों का कम भुगतान और अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, माजरा, मुस्तकिल भालकी रेवाड़ी के उद्घाटन और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-176.64				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-06-104-45-खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना	मूल	740.00	646.66	646.66	..	मुख्यतः कार्यालय द्वारा सामग्री की कम खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, क्वार्टरली कट बिल तैयार नहीं होने के और सरकारी वाहनों द्वारा पेट्रोल, तेल और स्नेहक की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पुराने बिलों के भुगतान और वृद्धि के कारण अधिकता की भरपाई हुई। डीजी, एसडी के लिए वाहन किराये पर लेने की दर में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-93.34				
2210-06-104-97-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा (एफडीए-पीएलओ-आरईवी)	मूल	5,000.00	आरक्षित निधियों के उपयोग/आवश्यकता न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-06-107-99-प्रयोगशालाएं	मूल	678.00	608.21	608.21	..	मुख्यतः पेशेवर और विशेष सेवाओं से संविदात्मक सेवाओं में बजट के हस्तांतरण और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-69.79				
2210-06-188-97-पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	12,590.00	2,945.00	2,945.00	..	भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-9,645.00				
2210-80-199-97-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (एबी-एचएचपीए) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार	मूल	10,000.00	योजना के अभी तक क्रियान्वित नहीं होने कि वजह से समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10,000.00				
2211-51-001-99-राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो	मूल	645.00	351.95	351.95	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, इस वित्तीय वर्ष में नए मामले प्राप्त न होने और कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत न प्राप्त करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-293.05				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-003-95-एम.पी. डब्ल्यू प्रशिक्षण (पुरुष), स्कूल रोहतक	मूल	59.00	16.52	16.52	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-42.48				
2211-51-003-96-महिला स्वास्थ्यकर्मों का उन्नतिपरक प्रशिक्षण केन्द्र, भिवानी	मूल	56.00	0.94	0.94	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-55.06				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-03-789-99-अनुसूचित जाति के लिए महिला सुरक्षा योजना	मूल	500.00	359.23	359.11	(-)0.12	₹140.77 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेख/ अनु.सं.14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)। ₹0.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-140.77				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-001- 98-जिला परिवार नियोजन ब्यूरो	मूल	1,870.00	1,075.82	1,071.74	(-)4.08	रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया । ₹4.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-794.18				
2211-51-102- 99-शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	मूल	625.00	414.88	413.30	(-)1.58	रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया । ₹1.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-210.12				

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110- 65-देवी रूपक राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना	मूल	80.00	59.12	59.24	(+)0.12	योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹0.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-20.88				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-69-राज्य में फिजियोथेरेपी के राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना (99- साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, पंचकूला)	मूल	455.00	43.01	43.05	(+)0.04	₹411.99 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं.14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)। ₹0.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-411.99				
2210-05-105-78- कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल की स्थापना	मूल	15,400.00	11,537.82	11,551.07	(+)13.25	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, स्टोर और उपकरणों का कम खर्च, दवाओं की कम खरीद और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹13.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-3,862.18				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-001- 97-बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व	मूल	870.00	601.36	611.63	(+)10.27	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और नए मामले न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹10.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-268.64				
2211-51-003- 98-ए.एन.एम. का प्रशिक्षण	मूल	120.00	41.12	43.19	(+)2.07	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत न मिलने और नए मामले न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-78.88				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-003-99-प्रादेशिक परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र रोहतक	मूल	124.00	98.92	99.83	(+)0.91	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत न प्राप्त करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-25.08				

- (6) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मामले में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में कोई व्यय नहीं हुआ था, जो दर्शाता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001-92-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) स्वास्थ्य (डीएचएस-पीएलओ-आरईवी)	मूल	500.00	₹3,800 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/अनु. सं.14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)
	पूरक	3,300.00				
	पुनर्वि.	-3,800.00				

- (7) ऐसे मामले जिनमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मामले में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो इंगित करता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, इसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-04-101-86-आयुर्वेदिक/यूनानी होमयोपैथिक औषधालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण तथा महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों के लिये विशेष औषधियां	मूल	18,000.00	15,294.80	15,296.32	(+)1.52	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दवाओं की कम खरीद, स्टोर सामग्री की कम खरीद और वर्ष के दौरान अनुग्रह राशि का कोई नया मामला सामने नहीं आने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया। ₹1.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	1,550.00				
	पुनर्वि.	-4,255.20				

(8) अधिकता मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-190-99-चिरायु-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से ₹1.80 लाख या उससे कम आय वाले परिवार	मूल	61,200.00	(+)61,200.00	₹61,200 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2210-05-105-74-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल	मूल	1.00	213.00	213.00	..	कर्मचारियों की नई भर्ती के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	212.00				
2210-06-104-98-ड्रग नियंत्रण प्रोग्राम	मूल	1,150.00	1,302.74	1,302.74	..	मुख्यतः रूप से पेशेवर और विशेष सेवाओं से संविदात्मक सेवाओं में बजट के हस्तांतरण, नियमित आधार पर 20 नए दवा नियंत्रण अधिकारियों की नियुक्ति, त्रैमासिक अवकाश यात्रा रियायत के बिल में कटौती के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो नियमित आधार पर 20 नये औषधि नियंत्रण अधिकारियों की नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	152.74				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-103-99-प्रतिरक्षण कार्यक्रम	मूल	4,000.00	7,147.82	7,147.82	..	वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से वैक्सीन एवं कोल्ड चैन की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पुनर्वि.	3,147.82				
2211-51-200-99-परम्परागत गर्भनिरोधक	मूल	52.00	394.03	394.03	..	वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से कंडोम, मौखिक गोलियाँ और कॉपर-टी के अतिरिक्त आपूर्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पुनर्वि.	342.03				

(9) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें वास्तविक व्यय से अधिक धनराशि बढ़ाई गई, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई, चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001-99-मुख्यालय अमला स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार तथा सुदहीकरण	मूल	5,736.50	6,484.81	6,471.57	(-)13.24	विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने और आय में वृद्धि के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था । ₹13.24 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	748.31				

- (10) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें बजट प्रावधान को वास्तविक व्यय से कम बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, उसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-03-110-99-ग्रामीण अस्पताल तथा डिस्पेन्सरी जारी रखना नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा	मूल	84,104.00	95,549.76	95,551.77	(+)2.01	मुख्यतः अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, अनुग्रह राशि, सामग्री से मांग की कम प्राप्ति और संविदा कर्मियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो रिक्त पदों को भरने, आय में हुई वृद्धि और बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान द्वारा समायोजित किया गया। ₹2.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	11,445.76				

प्रभारित विनियोग

- (11) एक मामला जिसमें पुनर्विनियोजन के माध्यम से बजट प्रावधान को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया था, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया था जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001-99-मुख्यालय अमला स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार तथा सुदृढीकरण	मूल	20.00	4,197.83	13.24	(-)4,184.59	विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने और वेतन में वृद्धि के कारण प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹4,184.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	4,177.83				

पूँजीगत

- (12) ₹83,971.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹1,02,948.21 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ।
- (13) ₹83,971.08 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023 में प्राप्त ₹17,117 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया।
- (14) बचत निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-63-खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण	मूल	900.00	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा पिछले निधियों का समय पर उपयोग न करने और वर्ष 2022-23 के दौरान सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एसएनए खाते में ₹1,000 लाख की पिछली उपलब्ध राशि जमा करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-900.00				
4059-01-051-65-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय का निर्माण कार्य हरियाणा (पंचकूला)/नाम बदलकर अवसंरचना/प्रशासनिक व्यय	मूल	1,500.00	₹1,500 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे /अनु.सं. 14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-1,500.00				
4210-01-102-99-कर्मचारी राज्य बीमा के लिए परफॉर्मस लिंकड ऑउटले (पीएलओ) (ईएसआई-पीएलओ-सीएपी)	मूल	13,100.00	₹13,100 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे /अनु.सं. 14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-13,100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-101-98-राजकीय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान पंचकूला तथा इसी प्रांगण में निदेशालय आयुर्वेद हरियाणा का भवन निर्माण	मूल	100.00	₹100 लाख लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) भवन और सड़कों को हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई धनराशि खर्च नहीं करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
4210-03-105-80-प्रदेश में फिजियोथेरेपी के राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण (99-साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, पंचकूला)	मूल	200.00	15.00	15.00	..	₹185 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे /अनु.सं. 14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-185.00				
4210-03-105-81-केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा अवसंरचना की स्थापना/ सुदृढीकरण	मूल	7,500.00	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-7,500.00				
4210-03-105-84-सरकारी मेडिकल कॉलेज, सिरसा का निर्माण	मूल	500.00	निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-500.00				
4210-03-105-85-राजकीय मेडिकल कॉलेज छीसा का निर्माण (फरीदाबाद)	मूल	1,000.00	निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-86-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान (एमईआर-पीएलओ-सीएपी)	मूल	23,300.00	₹23,300 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे /अनु. सं. 14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-23,300.00				
4210-03-105-88-मोहिन्दरगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज और हस्पताल (नारनौल में)	मूल	15,000.00	11,171.31	11,171.31	..	ग्रुप मेडिकल कवरेज जीएमसी महेंद्रगढ़ में कम निर्माण कार्य के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,828.69				
4210-03-105-89-राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों/ कॉलेजों के निर्माण कार्य हेतु (99-भवन का निर्माण)	मूल	4,000.00	वर्ष के दौरान राज्य में कोई नया प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,000.00				
4210-03-105-90- दन्त महाविद्यालय नलहर का निर्माण कार्य हेतु (99-भवन का निर्माण)	मूल	6,000.00	रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के द्वारा अभी निष्पादन एजेंसी की नियुक्ति किए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-6,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-93-भिवानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण	मूल	20,000.00	22,996.00	22,996.00	..	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	10,814.00				
	पुनर्वि.	-7,818.00				
4210-03-105-94-जींद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण	मूल	20,000.00	14,189.85	14,189.85	..	मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के अनुसार विलंबित कार्य और परियोजना लागत में संशोधन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,810.15				
4210-03-105-96-कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का निर्माण	मूल	100.00	10.12	10.12	..	₹89.88 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे /अनु. सं. 14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-89.88				
4210-03-105-97- बीपीएस महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर, कांलान (सोनीपत) (98-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान))	मूल	100.00	62.93	62.93	..	₹37.07 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे /अनु. सं. 14/ पुनर्वि. आदेश 2023-24/459-60 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-37.07				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-04-107-99-स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करना	मूल	100.00	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) भवन में ड्रग लैब का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने, उपकरण नहीं खरीदे जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
6210-03-105-97-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल को ऋण	मूल	10,800.00	वर्ष के दौरान रिक्त पदों को न भरने और विश्वविद्यालय के शुरू न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10,800.00				

- (15) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के दो मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गयी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01-102-98-ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण की योजना	मूल	5,058.00	17.96	17.49	(-)0.47	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जमीन की खरीद नहीं होने और वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई बड़ा काम नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-5,040.04				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6210-03-105-98-पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	मूल	74,800.00	72,820.00	67,320.00	(-)5,500.00	नियमित रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5,500 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,980.00				

- (16) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि समर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01-110-99-भवन नाम बदलकर अवसंरचना/ प्रशासनिक व्यय	मूल	30,000.00	5,016.99	23,640.02	(+)18,623.03	उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम अपग्रेड करने, राज्य में सिविल अस्पताल को अपग्रेड न करने और नए उपस्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) (एसएचसी) की स्थापना के लिए भूमि न खरीदने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹18,623.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-24,983.01				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-101-91-राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज-अस्पताल के भवन का निर्माण	मूल	2,500.00	25.00	51.48	(+)26.48	राजकीय यूनानी महाविद्यालय अकेरा, नूंह और सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज/अस्पताल, चांदपुरा, अंबाला कैंट के चल रहे भवन निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा धनराशि की मांग नहीं किये जाने और कार्यदायी संस्था पर कोर्ट केस होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹26.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,475.00				
4210-03-101-92-राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के भवन निर्माण तथा मरम्मत करने बारे	मूल	5,500.00	..	328.09	(+)328.09	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) योग केन्द्रों के स्थापना की यूएलबी नोडल विभाग द्वारा भूमि की पहचान नहीं किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹328.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-5,500.00				

(17) आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-82-सरकारी मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर का निर्माण	मूल	4,000.00	12,738.53	12,738.53	..	कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पुनर्वि.	8,738.53				
4210-03-105-83-सरकारी मेडिकल कॉलेज, कैथल का निर्माण	मूल	4,000.00	10,462.01	10,462.01	..	कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पुनर्वि.	6,462.01				
4210-03-105-92-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, करनाल (99-भवन का निर्माण)	मूल	1.00	16,094.86	16,094.86	..	एसएफसी-सी द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के संशोधन होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पूरक	6,303.00				
	पुनर्वि.	9,790.86				

(18) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेशों के निम्नलिखित मामले में, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6210-03-101-99-श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुस्क्षेत्र को ऋण	मूल	4,999.00	3,749.25	9,249.25	(+)5,500.00	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹5,500 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-1,249.75				

अनुदान संख्या 15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

(मुख्य शीर्ष-2204-खेलकूद तथा युवा सेवार्य, 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 2852-उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,39,94,26	16,64,01,26	8,67,94,28	(-)7,96,06,98
पूरक	24,07,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

7,80,69,74

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,31,90,10	3,31,93,10	64,18,28	(-) 2,67,74,82
पूरक	3,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

2,12,45,22

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹79,606.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹1,537.24 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।
- (2) ₹79,606.98 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्राप्त ₹2,407 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया ।

(3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-45-राज्य युवा आयोग की स्थापना	मूल	50.00	50.00	25.79	(-)24.21	₹24.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2204-51-104-54-युवा विकास योजना	मूल	250.00	250.00	120.87	(-)129.13	₹129.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2230-01-001-99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना खर्च)	मूल	689.00	565.45	565.45	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-123.55				
2230-01-004-99-अनुसंधान तथा सांख्यिकीय कक्ष	मूल	144.70	85.75	85.75	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-58.95				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-102-92- गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में दो इन्डस्ट्रीयल हाइजेन लैब (आई.एच.एल.) स्थापित करने हेतु	मूल	750.00	1.59	1.59	..	मुख्यतः किराये के भवन की देरी से/मंजूरी न देना, डीसी दरों के बजाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम दरों के कारण कम व्यय और रिक्त पदों को न भरने कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-748.41				
2230-01-102-93-फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु मोबाइल वैन प्राप्त करना	मूल	600.00	32.90	32.90	..	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकूला द्वारा 44 मोबाइल वैन खरीदी जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 567.10				
2230-01-102-94-गंभीर एवं जखमी दुर्घटना नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने बारे	मूल	150.00	रिक्त पदों को न भरने, और कार्यालय सामग्री की कम खरीद, के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 150.00				
2230-01-102-95-निरीक्षण	मूल	1,596.00	1,410.62	1,410.62	..	मुख्यतः डीसी दरों के बजाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम दरों के कारण कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कुछ क्षेत्रिय कार्यालय के बिजली बिल के भुगतान द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	- 185.38				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-102-96- स्वास्थ्य	मूल	207.00	131.71	131.71	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, अनुग्रह दावों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-75.29				
2230-01-102-97-भाप बायलरों का निरीक्षण	मूल	236.35	147.02	147.02	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में स्थानांतरित करने एवं विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण निर्धारित नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-89.33				
2230-01-102-98-कारखानों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निरीक्षण का सुदृढीकरण	मूल	1,260.00	81.00	81.00	..	मुख्यतः नए वाहनों की खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर दिए गए ऑर्डर, प्रशासनिक कारणों से कार्यालय उपयोग के लिए वस्तुओं की खरीद न होने और नए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 1,179.00				
2230-01-103-99-श्रमिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना	मूल	144.73	36.99	36.99	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, नए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न करने और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 107.74				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-112-99-बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास	मूल	220.00	भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 220.00				
2230-01-113-97-निसहाय तथा विस्थापित बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु	मूल	4,400.00	73.70	73.70	..	मुख्यतः कार्यालय सामग्री की कम खरीद, वाहन के रखरखाव/मरम्मत बिलों की प्राप्ति न होने, डीसी दरों के बजाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम की दरों के कारण कम व्यय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं को कानूनी शुल्क के भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,326.30				
2230-01-113-99-निदेशन तथा प्रशासन	मूल	47.87	11.32	11.32	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह दावे और अवकाश यात्रा रियायत न मिलने, इस योजना में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने और सिस्टम विश्लेषक की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 36.55				
2230-01-190-99-असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के लिए अनुदान सहायता	मूल	6,001.00	हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही होने और वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-6,001.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-800-99-श्रम विभाग के कम्प्यूटरीकरण करने हेतु (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,000.00	175.25	175.25	..	मुख्यतः 75% स्थानीय उम्मीदवारों के बिल के क्रियान्वयन न होने, सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की कम भागीदारी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित वस्तुओं और फोटोस्टेट मशीनों की खरीद सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) खरीदार के स्तर पर लंबित होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-824.75				
2230-02-101-85-राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना	मूल	62.51	भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बजट सीधे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स (एसएनए) खाते में सानांतरित होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-62.51				
2230-02-101-87-निजी समायोजन परामर्श एवं भर्ती सेवा केन्द्र	मूल	40.00	3.70	3.70	..	भैतिक रोजगार मेलों के कम आयोजन और अधिकांश रोजगार मेलों के ऑनलाइन आयोजित होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-36.30				
2230-02-101-97-रोजगार कार्यालयों के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण	मूल	200.00	134.06	134.06	..	₹65.94 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024)
	पुनर्वि.	-65.94				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03-001-90-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ) कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीवी-पीएलओ-आरईवी)	मूल	1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024)।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2230-03-001-92-हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	मूल	5,000.00	550.00	550.00	..	इस योजना में एससी घटक की आवश्यकता न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,450.00				
2230-03-003-60-मॉडल आईटीआई में आईटीआई का उन्नयन	मूल	100.00	पिछले वित्तीय वर्षों की पर्याप्त अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2230-03-003-61-कौशल औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए सुदृढीकरण	मूल	3,000.00	पिछले वित्तीय वर्षों की पर्याप्त अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने तथा भारत सरकार से कोई धनराशि उपलब्ध प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,000.00				
2230-03-003-74-अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष प्रशिक्षण विशेष केन्द्रीय सहायता का आयोजन	मूल	84.00	अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा धन जारी न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-84.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03-003-97-कुशल शिल्पियों का शिक्षता प्रशिक्षण	मूल	530.00	457.98	457.98	..	मुख्यतः नियमित आधार पर पदों को कम भरने, प्रशिक्षुता के उम्मीदवारों की कम भागीदारी और इस योजना में कंप्यूटर वस्तुओं की खरीद न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-72.02				
2230-03-190-97-गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना	मूल	..	400.00	400.00	..	आचार संहिता के बाद प्रथम चरण का प्रशिक्षण परियोजना प्रबंधन के माध्यम से क्रिन्यान्वित किया जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	2,406.00				
	पुनर्वि.	- 2,006.00				
2230-03-190-98-राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना	मूल	900.00	राष्ट्रीय प्रशिक्षु पदोन्नति योजना (एनएपीएस) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान "कौशल भारत कार्यक्रम" योजना के साथ विलय कर दिए जाने के सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 900.00				
2230-03-190-99-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	मूल	1,310.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024)।
	पुनर्वि.	-1,310.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03-199-99-आजीविका परियोजना के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)	मूल	1,600.00	209.96	209.96	..	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के तहत गतिविधियों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,390.04				
2230-03-789-99-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निपूर्ण प्रशिक्षण	मूल	2,843.00	1,918.00	1,918.00	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, नियमित आधार पर पदों को कम भरना, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, सरकारी आईटीआई में प्रत्याशा से कम प्रवेश और इस योजना में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-925.00				
2230-03-792-99-अपूरणीय बट्टे खाते में डालना	मूल	50.00	6.60	6.60	..	₹43.40 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024)।
	पुनर्वि.	-43.40				
2852-80-789-99-अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए विकास हेतु लाभ कार्यक्रम	मूल	44.00	4.00	4.00	..	विस्तृत घोड़ी प्रमाणपत्र (डीएमसी) केन्द्रों द्वारा उद्यमयी विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षणों के संचालन में कमी होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-40.00				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के चार मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गयी थी जो इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-02-001-99-निदेशालय में निरीक्षण एवं जांच कक्ष की स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	556.90	393.09	333.16	(-)59.93	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, पेट्रोल/डीजल और स्नेहक न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹59.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 163.81				
2230-02-004-99-निदेशालय में राज्य रोजगार विपणन सूचना कार्यान्वयन इकाई	मूल	362.35	222.38	173.85	(-)48.53	रिक्त पदों को न भरने, कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹48.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-139.97				
2230-02-101-92-रोजगार कार्यालयों तथा बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अमला	मूल	78,635.00	34,133.23	33,472.53	(-)660.70	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित/निर्धारित होने, कम रखरखाव शुल्क/आर्थिक उपाय, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और कम संख्या में छात्रों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ₹660.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-44,501.77				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-02-800-99-रोजगार कार्यालय में व्यावसायिक निदेशन कैरियर केन्द्र-अन्य खर्चे	मूल	404.35	288.91	225.75	(-)63.16	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्राप्ति न होने और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹63.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-115.44				

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-101-99-औद्योगिक सम्पर्क	मूल	3,367.50	2,921.49	2,921.70	(+)0.21	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, डीसी दरों के बजाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम दरों के कारण कम व्यय, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति और किराए के कार्यालय भवन के किराए की देर से मंजूरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अधिक भुगतान द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-446.01				

- (6) आधिक्य निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-190-98-(सहायता अनुदान) ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय डेटा बेस	मूल	..	50.00	50.00	..	हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पुनर्गठन और वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड को गठन नहीं होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	49.00				

- (7) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्न मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से राशि बढ़ाई गई, लेकिन वास्तविक व्यय कम रहा और जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-101-98-औद्योगिक ट्रिब्यूनल/लेबर कोर्ट, फरीदाबाद, रोहतक व अम्बाला	मूल	1,224.00	1,896.47	1,343.20	(-)553.27	मुख्यतः डीसी दरों के बजाय हरियाणा कौशल रोजगार निमग दरों के कारण कम व्यय, श्रम न्यायालयों के कुछ अधिकारियों के लिए घरेलू चपरासी और ड्राइवरों की नियुक्ति न होना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अधिकारियों द्वारा दौरे की कम आवश्यकता और बिजली बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो वेतन के बकाया के भुगतान और आर आर टी की दरों में वृद्धि और पिछले वर्ष के बकाया के द्वारा समायोजित किया गया । ₹553.27 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	672.47				

पूँजीगत

- (8) ₹26,774.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹5,529.60 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।
- (9) ₹26,774.82 लाख की कुल बचत को देखते हुए, सितम्बर 2023 में प्राप्त ₹3 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया ।
- (10) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-66-पंचकूला में कार्यालय भवन और श्रम शक्ति भवन का निर्माण करने के लिए प्लाट की खरीद	मूल	1,100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024) ।
	पुनर्वि.	-1,100.00				
4250-51-789-99-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निपूर्ण प्रशिक्षण	मूल	1,600.00	58.05	58.05	..	मई-जून 2024 में विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए और डी एस डी हरियाणा के लिए विभिन्न मशीनरी की खरीद के लिए मांग पत्र भेजे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,541.95				
4250-51-800-87-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) कौशल विकास और अद्योगिक प्रशिक्षण(आईटीवी-पीएलओ-सीएपी)	मूल	10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024) ।
	पुनर्वि.	-10,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-51-800-97- मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण	मूल	5,000.00	260.88	260.88	..	मई-जून 2024 में विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए, डी एस डी हरियाणा के लिए विभिन्न मशीनरी की खरीद के लिए मांग पत्र भेजने और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से फनीचर सामग्री क्रय के अपूर्ण प्रकरणों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	3.00				
	पुनर्वि.	- 4,742.12				
6202-02-105-93-ग्राम दुधौला जिला पलवल स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को ऋण	मूल	10,340.00	10,340.00	4,913.00	(-)5,427.00	₹5,427 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

- (11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के तीन मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गए थे, इसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-68-रोजगार भवन का निर्माण	मूल	150.00	96.98	27.56	(-)69.42	₹53.02 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024) । ₹69.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-53.02				

अनुदान संख्या 15-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-51-789-98-अनुसूचित जातियों के लिए प्रशिक्षण भवन	मूल	500.00	85.74	68.41	(-)17.33	₹414.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.15/पुनर्वि.आदेश/2023-24/283-84 दिनांक 20.05.2024)। ₹17.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-414.26				
4250-51-201-94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण	मूल	4,500.00	1,106.23	1,048.54	(-)57.69	₹3,393.77 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व. वि. लेखे / अनु.सं.15/ पुनर्वि. आदेश/ 2023-24/ 283-84 दिनांक 20.05.2024)। ₹57.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,393.77				

(12) आधिक्य मुख्य रूप से निम्न शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-51-201-96-श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण	मूल	0.10	..	41.84	(+)41.84	इस योजना को जारी रखने के लिए टोकन मनी प्रावधान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹41.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 0.10				

अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,06,33,26,79	1,19,02,16,99	1,09,22,64,08	(-)9,79,52,91
पूरक	12,68,90,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

10,47,99,15

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	57,31,17	57,31,17	6,22,82	(-)51,08,35
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2024)

51,08,35

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व
दत्तमत अनुदान

- (1) ₹97,952.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹1,04,799.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ।
- (2) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-90- स्थापना अंत्योदय भवन	मूल	401.00	296.27	296.27	..	रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, बिजली की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-104.73				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-92-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का कल्याण (डब्लूएसबी-पीएलओ-आरईबी)	मूल	20,000.00	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20,000.00				
2225-01-001-95-विमुक्त जाति के छात्रों के बच्चों के लिए जींद में छात्रावास की स्थापना	मूल	45.70	33.63	33.63	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराए के भवन के लिए दावों की कम प्राप्ति, छात्रवृत्ति और वजीफे के तहत दावों की कम प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-12.07				
2225-01-001-96-अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम का अमला	मूल	97.20	34.85	34.85	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए छात्रों की कम संख्या, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और किराए के भवनों को कम किराए पर लेने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-62.35				
2225-01-001-97-अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	मूल	145.50	120.59	120.59	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कैंडिड का हास, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-24.91				
2225-01-102-96-अत्याचार के शिकार लोगों को मौद्रिक राहत	मूल	2,800.00	2,051.84	2,051.84	..	सहायता अनुदान मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-748.16				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-190-97-हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना	मूल	100.00	80.00	80.00	..	₹20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-20.00				
2225-01-190-98-हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड की स्थापना	मूल	50.00	25.00	25.00	..	मुख्यतः वर्ष 2023-24 के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-25.00				
2225-01-190-99-हरियाणा विमुक्ति घुमंतू जाति विकास बोर्ड	मूल	149.00	102.05	102.05	..	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-46.95				
2225-01-277-68-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति नाम बदलकर और अन्य घटक-1	मूल	600.00	योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव न मिलने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-600.00				
2225-01-277-80- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता में कोटि उन्नयन	मूल	25.00	₹25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-25.00				
2225-01-277-88- उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता	मूल	100.00	योग्य उम्मीदवार की पहचान नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-789-93-अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों से संबंधित संस्थाओं/ समितियों को वित्तीय सहायता	मूल	20.00	8.00	8.00	..	मांगे कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-12.00				
2225-01-792-99-अप्रतिलभ्य कर्ज को बट्टे खाते में डालना	मूल	20.00	मांगे प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20.00				
2225-01-793-77-प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)	मूल	3,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-3,000.00				
2225-01-800-82-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना	मूल	16,000.00	13,522.77	13,522.77	..	योजना के तहत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो नए ऑब्जेक्ट हेड (09-अनुदान सहायता के बजाय 34-अन्य शुल्क) खोलने के कारण अधिकता की भरपाई के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-2,447.23				
2225-01-800-84-प्रचार योजना	मूल	50.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-800-87-अस्पृश्यता समाप्ति के लिए वाद विवाद एवं सैमिनार	मूल	20.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-20.00				
2225-01-800-88-पंचयतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन	मूल	50.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2225-01-800-90-कानूनी सहायता	मूल	22.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-22.00				
2225-03-001-99-द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का अमला	मूल	248.00	213.00	213.00	..	मुख्यतः पिछड़ा वर्ग आयोग में अधीक्षक की सेवानिवृत्ति, किराए के भवनों को कम किराए पर लेना, वाहनों की मांग कम प्राप्त होना, आयोग के वाहनों की कम मरम्मत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों का न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पेट्रोल, तेल और स्नेहको की माँगों की अधिक प्राप्ति के और सात संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-35.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-03-277-92-अन्य पिछड़ी जाति के लड़कों एवं लड़कियों हेतु छात्रावास का निर्माण	मूल	200.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
2225-03-277-95-पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी, छात्रों के लिए घटक-1	मूल	200.00	छात्रवृत्ति और वजीफे के दावों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
2235-02-101-64-हरियाणा में नशों की रोकथाम के लिए नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना	मूल	200.00	8.03	8.03	..	गैर-सरकारी संगठनों से मांग कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-191.97				
2235-02-101-67-जिला पुर्नवास केन्द्र भिवानी नाम बदलकर जिला पुर्नवास केन्द्र	मूल	95.35	77.94	77.94	..	रिक्त पदों को न भरने और अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और बिजली बिल दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-17.41				
2235-02-101-89-विकलांग कल्याण की अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायतानुदान	मूल	1,550.00	1,268.97	1,268.97	..	गैर-सरकारी संगठनों से मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-281.03				
2235-02-101-98-अन्धे छात्रों के लिए राज, संस्था तथा ब्रेल पुस्तकालय पानीपत नाम बदलकर दृष्टिबाधितों के लिए सरकारी संस्थान-सह-ब्रेल लाइब्रेरी	मूल	436.60	371.72	371.72	..	मुख्यतः रिक्त पद न भरने, चिकित्सा प्रतिपूति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह राशि के दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-64.88				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-104-94-वृद्ध व्यक्तियों को राज्य पुरस्कार देने के लिए योजना	मूल	20.00	गैर-सरकारी संगठन से राज्य पुरस्कारों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20.00				
2235-02-104-97-हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी जिलों तथा शहरों में क्लबों की स्थापना	मूल	70.00	28.00	28.00	..	गैर-सरकारी संगठनों से सहायता अनुदान मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-42.00				
2235-02-105-99-नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	मूल	200.00	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
2235-02-190-97-मुख्यमंत्री अंत्योदन परिवार उत्थान मिशन	मूल	1.00	15.00	15.00	..	गैर-सरकारी संगठन से मांग कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	250.00				
	पुनर्वि.	-236.00				
2235-02-199-98-वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	मूल	100.00	भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2235-02-792-99-अप्रतिलभ्य कर्ज को बट्टे खाते में डालना	मूल	15.00	ऋण दावों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-15.00				
2235-03-102-99-परिवार लाभ योजना	मूल	900.00	भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-900.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-102-88-शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना	मूल	1,000.00	610.00	610.00	..	कम पेंशन दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-390.00				
2235-60-102-94-राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	मूल	174.00	41.33	41.33	..	₹132.67 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-132.67				
2235-60-200-74-स्थापना व्यय (मुख्यालय)	मूल	276.00	70.92	70.92	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की कम मरम्मत/खरीद, नए फर्नीचर वस्तुओं की खरीद न करने और कम्प्यूटरों की मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-205.08				
2235-60-200-75-डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना	मूल	800.00	130.00	130.00	..	इस योजना के तहत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-670.00				
2235-60-200-76-रक्षा बल कार्मियों की युद्ध विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता	मूल	134.00	109.22	109.22	..	लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-24.78				
2235-60-200-77-केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के आश्रितों को आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ने पर अनुग्रह अनुदान -	मूल	500.00	110.50	110.50	..	अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-389.50				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-78-सैनिकों के लिए कल्याण परिसर युद्ध स्मारक तथा अन्य सम्बंधित भवनों का निर्माण	मूल	200.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
2235-60-200-81-सैनिक स्कूल को अनुदान	मूल	1,312.00	863.27	863.27	..	छात्रवृत्ति, आहार और वस्त्र भत्ते के तहत दावे कम मिलने और सैनिक स्कूल, रेवाड़ी के निर्माण पर कम खर्च होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-448.73				
2235-60-200-82-राष्ट्रीय भारतीय सेना अकादमी को सहायता अनुदान	मूल	300.00	242.00	242.00	..	योजना के तहत जैटलमैन कैडेटों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-58.00				
2235-60-200-83-दंगे फसाद से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	मूल	50.00	सहायता अनुदान मांगों के प्राप्त न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2235-60-200-88-अपंग भूतपूर्व सैनिक	मूल	67.00	55.69	55.69	..	लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-11.31				
2235-60-200-93-क्षेत्रीय सेना सजावट/क्षेत्रीय सेना मंडल विजेताओं को नकद इनाम	मूल	80.50	70.32	70.32	..	योजना के तहत पुरस्कार के लिए कम दावे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10.18				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-95-कश्मीर आंदोलन में बहादुरी के लिए सैनिकों, नाविकों तथा विमानकों को पुरस्कार	मूल	2,000.00	1,212.68	1,212.68	..	योजना के तहत कम दावे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-787.32				
2235-60-200-96-साठ वर्ष से अधिक आयु वाले भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता	मूल	1,550.00	1,193.29	1,193.29	..	लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-356.71				
2235-60-200-97-भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को, जिन्हें परिवारिक पेंशन नहीं मिल रही वित्तीय सहायता	मूल	3,700.00	2,924.15	2,924.15	..	लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-775.85				
2235-60-200-98-जिला सैनिक, नाविक तथा विमानन बोर्ड पर खर्च (98-स्थापना व्यय)	मूल	3,445.00	2,026.10	2,026.10	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरना, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम भर्ती, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन न करना, अनुग्रह राशि दावे की कम प्राप्ति, फर्नीचर वस्तुओं की कम खरीद और वाहन रखरखाव/मरम्मत के लिए मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,418.90				
2235-60-200-99-राष्ट्रीय कामगार राहत निधि में अंशदान	मूल	1,250.00	950.00	950.00	..	योजना के तहत दावे कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-300.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-789-97-अनुसूचित जाति के परिवारों को विकलांग पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता का नाम बदलकर अलग तरह के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पेंशन	मूल	12,000.00	10,011.50	10,011.50	..	इस योजना के तहत लाभार्थियों की कम नामांकन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,988.50				
2235-60-789-99-अनुसूचित जाति के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	मूल	1,15,000.00	1,01,639.25	1,01,639.25	..	इस योजना के तहत लाभार्थियों का कम नामांकन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-13,360.75				

- (3) तीन मामले जिनमें व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था लेकिन कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो इंगित करता है कि पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2250-51-102-99-हज कमेटी को अनुदान सहायता	मूल	77.00	77.00	19.25	(-)57.75	₹57.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2250-51-103-98-सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अधीन गुरुद्वारा चुनाव	मूल	123.53	123.53	57.30	(-)66.23	₹66.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2250-51-800-99-विभिन्न व्यापारिक मेले	मूल	197.25	197.25	151.86	(-)45.39	₹45.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001- 98-जिला अमला	मूल	3,552.50	2,763.10	2,763.44	(+) 0.34	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, वाहन की क्षतिपूर्ति न होने, दैनिक वेतन/पेशेवर कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-789.40				
2225-01-001- 99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	1,033.00	544.85	545.14	(+0.29)	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, क्षेत्र में कुछ डेटा एंन्ट्री ऑपरेटर (डीईओ) के स्थानांतरण और हार्डवेयर से कर्मियों की कम तैनाती, संविदात्मक आधार पर कर्मचारियों की भर्ती, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, नए फर्नीचर वस्तुओं की खरीद न होने और कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीदारी कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-488.15				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-84-नई समूह बीमा योजना में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सरकार से योगदान	मूल	54.00	26.64	32.00	(+)5.36	सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-27.36				

- (5) निम्न मामले जिसमें अत्यधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन के माध्यम अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा कम कर दिया गया, जो इंगित करता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-277-77-डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना	मूल	5,000.00	6,177.22	6,177.22	..	इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम पंजीकरण होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	2,000.00				
	पुनर्वि.	-822.78				

- (6) निम्न मामलों में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसलिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-283-99- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना	मूल	10,000.00	7,182.50	7,182.50	..	₹12,817.50 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पूरक	10,000.00				
	पुनर्वि.	-12,817.50				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-99-मुख्यालयों के लिए अमला (सा.न्या.अ.) (98-स्थापना खर्च)	मूल	966.20	819.27	819.27	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मियों की कम नियुक्ति, छात्रवृत्ति और वजीफे के मामलों की कम प्राप्ति और विकलांगता आयुक्त की मांग और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	80.22				
	पुनर्वि.	-227.15				
2235-60-102-96-निराश्रित महिलाओं और विधवा को वित्तीय सहायता	मूल	2,12,120.00	2,29,458.85	2,29,458.85	..	इस योजना के तहत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	28,420.46				
	पुनर्वि.	-11,081.61				
2235-60-102-99-वृद्धों विकलांगों, परित्यक्त तथा विधवा महिलाओं को पेंशन जिला स्तरीय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,792.00	2,428.64	2,428.59	(-)0.05	मुख्यतः रिक्त पद न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, पेट्रोल, तेल और स्नेहको की कम मांग, बिजली बिलों की कम प्राप्ति और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	90.00				
	पुनर्वि.	-453.36				

- (7) निम्न मामलों में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था इसलिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो इंगित करता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-277-99-अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	मूल	20,500.00	14,900.00	20,300.19	(+)5,400.19	इस योजना के तहत लाभार्थियों का कम निबंधन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5,400.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	4,060.70				
	पुनर्वि.	-9,660.70				
2225-03-277-93-पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए घटक-II	मूल	7,000.00	1,388.08	3,008.71	(+)1,620.63	इस योजना साझा आधार पर होने तथा तकनीकी समस्या के कारण छात्रवृत्ति एवं वजीफा का आवेदन समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,620.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	4,500.00				
	पुनर्वि.	-10,111.92				

- (8) अधिकता मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-190-95-हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना	मूल	50.00	368.02	368.02	..	सहायता अनुदान दावों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	318.02				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-190-98-हरियाणा राज्य सामज कल्याण सलाहकार बोर्ड जी.आई.ए. 100 प्रतिशत	मूल पुनर्वि.	110.00 120.00	230.00	230.00	..	महिला जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए अधिक दावे प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।

(9) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-03-190-99-हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम का हिस्सा पूंजी	मूल	828.97	287.50	287.50	₹541.47 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-541.47				
4235-02-101-92-सुलभ भारत अभियान सुगम्य भारत अभियान	मूल	1,800.00	₹1,800 लाख के अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024)।
	पुनर्वि.	-1,800.00				
4235-02-101-93-संस्थान के लिए प्लॉट व निदेशालय कार्यालयों के लिए भवन का निर्माण (स्वर्ण जयंती)	मूल पुनर्वि.	2,000.00 -2,000.00	निदेशालय भवन का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02-101-98-राजकीय अंध विद्यालय पानीपत	मूल	100.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024) ।
	पुनर्वि.	-100.00				
4235-02-104-99-अनाथ एवं बूढ़ों के लिए कल्याण गृह (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया	मूल	1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण करने के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु. सं. 16/पुनर्वि. आदेश 2023-24/322-23 दिनांक 21.05.2024) ।
	पुनर्वि.	-1,000.00				

(10) अधिकता मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-01-800-99-कल्याण भवन का निर्माण	मूल	1.00	335.32	335.32	..	मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 18398 में सैक्टर-19, पानीपत में 0.32 एकड़ के छात्रावास का निर्माण को लागू करने के लिए हरियाणा शहरी विकास परिषद् पानीपत को ₹335.32 लाख के भुगतान के कारण प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	334.32				

(मुख्य शीर्ष-2041-वाहन कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3053-नागर विमानन, 3054-सड़क तथा सेतु, 3055-सड़क परिवहन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 7055-सड़क परिवहन के लिए ऋण)

राजस्व
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	55,14,07,00	60,14,07,00	46,72,34,79	(-)13,41,72,21
पूरक	5,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

12,67,34,50

प्रभारित

मूल	5,00	5,00	0	(-)5,00
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

5,00

पूंजीगत
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	45,72,85,00	56,46,77,00	41,30,36,76	(-)15,16,40,24
पूरक	10,73,92,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

मार्च 2024)

11,55,78,81

प्रभारित

मूल	50,00,00	1,50,00,00	1,33,55,13	(-)16,44,87
पूरक	1,00,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

15,28,85

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,34,172.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹7,437.71 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।
- (2) ₹1,34,172.21 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023 में प्राप्त ₹50,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-87-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी0एल0ओ0) स्वास्थ्य (बीएआर-पीएलओ-आरईवी)	मूल	12,000.00	12,000.00	..	(-)12,000.00	₹12,000 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
2059-80-001-95-वास्तुकला इकाई (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,648.00	1,198.26	1,198.26	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत/अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, खरीद की अंतिम रूप न देने, आउटसोर्स कर्मचारियों की कम नियुक्ति और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-449.74				
2059-80-001-99-निर्देशन	मूल	4,292.50	3,539.81	3,539.81	..	रिक्त पदों को न भरने और आउटसोर्स कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की आधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-752.69				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-104-99-लोक निर्माण विभाग द्वारा किराये पर लिए/अभिग्रहित/पट्टे पर दिये गये गैर-रिहायशी भवन	मूल	50.00	क्षेत्रीय कार्यालय से इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत समय पर मांग प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				
2216-03-196-99-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	मूल	6,072.00	355.00	355.00	..	भारत सरकार द्वारा लाभार्थी एलईडी निर्माण (बीएलसी) लाभार्थियों की पहली और दूसरी किस्त जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,717.00				
2216-03-789-99-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	मूल	4,968.00	184.00	184.00	..	भारत सरकार द्वारा लाभार्थी एलईडी निर्माण (बीएलसी) लाभार्थियों की पहली और दूसरी किस्त जारी न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,784.00				
2216-80-001-99- निदेशालय कार्यालय की स्थापना	मूल	238.00	69.35	69.35	..	मुख्यतः पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, निदेशालय का स्थायी कार्यालय स्थापित किया जाना, अवकाश यात्रा रियायत का दावे प्राप्त न होना, केवल 3 नियमित अधिकारी अर्थात् निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और एओ, स्थायी की स्थापना न होना, एचएफए का कार्यालय और वाहन की कोई खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 168.65				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3053-01-190-99-विजिबिलिटी गैप फंडिंग के लिए योजना (आरसीएस उड़ान) (98-एनएसओपी उड़ान (गैर अनुसूचित ऑपरेटर परमिट))	मूल	1000.00	हवाई पट्टियों के काम विस्तार, हिसार हवाई अड्डे पर उड़ाने शुरू नहीं होने के कारण बजट का उपयोग नहीं किया गया था और नागरिक उड़यन मंत्रालय ने एयरलाइंस को हिसार हवाई अड्डे से मार्ग आंबटित नहीं किये जाने कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 1000.00				
3053-01-190-99-विजिबिलिटी गैप फंडिंग के लिए योजना (आरसीएस उड़ान) (99-आरसीएस उड़ान (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना))	मूल	25.00	हवाई पट्टियों के विस्तार, हिसार हवाई अड्डे पर उड़ाने शुरू नहीं होने से बजट का उपयोग नहीं हुआ और नागरिक उड़यन मंत्रालय ने एयरलाइंस को हिसार हवाई अड्डे से मार्ग आंबटित नहीं किये जाने कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-25.00				
3053-02-001-99-हिसार में एकीकृत विमानन हब के लिए स्थापना व्यय के लिए योजना	मूल	814.00	556.98	556.98	..	मुख्यतः संविदा कमचारियों की कम भर्ती, सम्बंधित ऑब्जेक्ट हेड में कम मांग प्राप्त होने, अधिकारियों द्वारा कम दौरे और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-257.02				
3053-80-001-99-मुख्यालय अमला	मूल	397.00	271.64	271.64	..	मुख्यतः कुछ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय खर्चों में कमी और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-125.36				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3053-80-003-98-उड्डयन क्लब तथा संस्थओं को सहायतानुदान	मूल	150.00	30.00	30.00	..	₹120 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (विनि.लेखे/अनु.सं. 17/2024-25/पुनर्वि. आदेश/2023-24/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	- 120.00				
3054-01-337-98-हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क में राहत	मूल	20.00	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क से राहत के लिए टोल दावों की प्राप्ति न होने और इस खाते के शीर्ष के तहत शुल्क व्यय दर्ज होने की कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 20.00				
3054-80-797-99-आपदा राहत कोष को/से हस्तांतरण	मूल	15,000.00	15,000.00	10,860.00	(-)4,140.00	₹4,140 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
3055-51-001-97-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) ट्रांसपोर्ट (टीआरए-पीएलओ-आरईवी)	मूल	5,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (विनि.लेखे/अनु.सं. 17/2024-25/पुनर्वि. आदेश/2023-24/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	- 5,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3055-51-001-99-केन्द्रीय कार्यालय (98-स्थापन खर्च)	मूल	3,588.00	2,882.70	2,882.70	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, प्रशिक्षुओं और संविदा कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कार्यालय वस्तुओं की अधिक खरीद के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	- 705.30				
3055-51-792-51-एन.ए.	मूल	300.00	27.32	27.32	..	₹272.68 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (विनि.लेखे/अनु.सं.17/24-25/पुनर्वि. आदेश/2023-24/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-272.68				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम होने के कारण एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं था, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-60-053-99-खरखाव एवं सुधार	मूल	1,000.00	527.10	386.76	(-)140.34	अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीवीआईपी) के सन्दर्भ में सरकारी/स्थानीय प्रशासन द्वारा कम समारोह/आयोजन आयोजित किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹140.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-472.90				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001- 94-भूमि अधिग्रहण अधिकारी	मूल	843.00	342.31	341.09	(-)1.22	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सरकारी आउटसोर्सिंग नीति के अनुसार संविदात्मक सेवाएं, अनुग्रह राशि के दावे की कम प्राप्ति और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया। ₹1.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-500.69				
2059-80-001- 96-निष्पादन	मूल	51,985.00	46,676.78	46,021.14	(-) 655.64	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, ऊर्जा बिलों का कम भुगतान और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता के द्वारा समायोजित किया गया। ₹655.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-5,308.22				

अनुदान संख्या 17-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001- 97-पर्यवेक्षण	मूल	3,388.00	2,527.62	2,386.94	(-)140.68	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह राशि के दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹140.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-860.38				
2059-80-052- 96-मशीनरी	मूल	1,505.50	1,334.72	1,334.69	(-) 0.03	नई मशीनरी की खरीद के सम्बंध में कम स्वीकृतियां मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पूरे हरियाणा में मशीनरी कार्यों के रखरखाव के कारण की गई अतिरिक्त भरपाई के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-170.78				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3054-04-337- 99-जिला सड़कें	मूल	32,500.00	2,761.86	2,728.81	(-) 33.05	₹29,738.14 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/ 2024-25/ पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)। ₹33.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-29,738.14				
3055-51-201- 97-सी मरम्मत तथा रखरखाव	मूल	27,527.00	21,562.08	21,560.43	(-)1.65	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय भवनों की कम मरम्मत/ रखरखाव होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 5,964.62				

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें धनराशि अविवेकपूर्ण तरीके से आवर्धित की गई थी। प्रावधान में आवर्धन की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहा जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-799- उच्चत खाता	मूल	1,100.00	1,423.55	397.37	(-)1,026.18	वर्कशॉप के स्टॉक के विरुद्ध सामग्री को क्रेडिट और डेबिट करने और चल रहे कार्यों के विरुद्ध सामग्री के अंतर-विभागीय हस्तांतरण के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹1,026.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	323.55				

- (6) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्न मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2041-51-102- 98-रेगुलेटरी विंग की सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं कम्प्यूटरीकरण	मूल	5,500.00	2,817.46	3,818.49	(+)1,001.03	कानून और व्यवस्था के लिए वाहनों को कम किराए पर लेने और एजेंसी द्वारा लंबित बिलों का दावा नहीं किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,001.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 2,682.54				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-51-102- 99-निरीक्षण अमला	मूल	5,662.00	4,689.30	4,700.21	(+)10.91	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वाहनों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो वेतन मद में परिवर्तन और संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹10.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-972.70				
2216-05-053- 99-साधारण मरम्मत तथा रखरखाव (99-न्याय प्रशासन)	मूल	300.00	258.98	309.38	(+)50.40	वर्ष के अंत में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) बिलों के कम दावों और न्यायिक निवासों के सम्मान में एस/आर के अनुमान को मानवीय उच्च न्यायालय की भवन समिति द्वारा अनुमोदित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹50.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-41.02				
2216-05-800- 98-पट्ट प्रभार	मूल	35.00	..	28.34	(+)28.34	विभाग द्वारा वास्तविक किराये/पट्टे के किराये के विरुद्ध किये गये व्यय के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹28.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-35.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-51-201- 96-एफ-अन्य व्यय	मूल	9,750.00	..	9,250.00	(+)9,250.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)। ₹9,250 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-9,750.00				
3055-51-201- 98-बी-कार्यान्वयन	मूल	2,34,182.00	2,07,959.42	2,07,989.82	(+)30.40	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह/अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹30.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-26,222.58				
3055-51-201- 99-ए-प्रबन्धन	मूल	15,930.00	14,637.93	14,665.83	(+)27.90	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक तैनाती के द्वारा समायोजित किया गया। ₹27.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,292.07				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-51-800- 97-सी मरम्मत तथा रखरखाव	मूल	1,216.50	793.49	793.62	(+)0.13	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति और बिजली बिलों के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक तैनाती के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-423.01				
3055-51-800- 99-ए-प्रबन्धन	मूल	377.00	284.50	284.63	(+)0.13	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक तैनाती और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की आधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 92.50				

- (7) एम मामला जिसमें अत्यधिक अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में अनुपूरक अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो वास्तविक बचत परिणामी राशि से कम है। अनाभ्यर्पित रह गया, जो इंगित करता है कि बजट उचित रूप तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
3054-04-337- 98-ग्रामीण सड़कें	मूल	60,000.00	73,398.59	73,133.73	(-)264.86	संशोधित बजट के कम आवंटन और 2023-24 की अंतिम तिमाही में चल रहे कार्यों की प्रगति प्रभावित होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹264.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	50,000.00				
	पुनर्वि.	-36,601.41				

- (8) आधिकता मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2216-02-192- 99-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	मूल	15,000.00	17,338.06	17,338.06	..	भारत सरकार द्वारा लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) की भारत सरकार द्वारा अधिक किस्त जारी करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	2,338.06				
2216-02-789- 99-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	मूल	10,000.00	12,007.46	12,007.46	..	भारत सरकार द्वारा लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) की भारत सरकार द्वारा अधिक किस्त जारी करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	2,007.46				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2216-05-001-99-निदेशन तथा प्रशासन 2059-लोक निर्माण को स्थानान्तरित यथानुपात स्थापना खर्च	मूल	2,400.00	2,400.00	6,756.73	(+)4,356.73	₹4,356.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2216-05-052-99-2059-लोक निर्माण को स्थानान्तरित मशीनरी तथा उपकरण	मूल	50.00	50.00	168.54	(+)118.54	₹118.54 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
3054-80-052-99-स्थापना प्रभार (यथानुपात) 2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित	मूल	450.00	450.00	977.38	(+)527.38	₹527.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

(9) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें वास्तविक व्यय से अधिक राशि आवर्धित की गई, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई, जिसकी नीचे चर्चा की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2216-05-053-99-न्याय प्रशासन (88-साधारण मरम्मत तथा रखरखाव)	मूल	4,001.00	4,764.35	4,655.06	(-)109.29	विभिन्न ग्राहक विभागों के सम्बंध में लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़के) कॉलोनियों के आवासीय भवनों/घरो के रखरखाव और मरम्मत कार्यों को पूरा करने और इन भवनों पर तैनात श्रमिकों का भुगतान करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹109.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	763.35				

- (10) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक व्यय से कम आवर्धित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
2059-80-053- 99-संधारण तथा मरम्मत	मूल	10,000.00	14,723.62	15,363.28	(+) 639.66	विभिन्न ग्राहक विभागों सहित पूरे हरियाणा में गैर-आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत कार्यों, इन भवनों पर तैनात श्रमिकों का भुगतान करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹639.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	4,723.62				
3054-03-337- 51-एनए	मूल	4,000.00	7,679.11	7,715.40	(+) 36.29	₹4,000 लाख की धनराशि को शीर्ष 3054-एमडीआर से हटा दिया गया था, इसलिए कुल बजट ₹8,000 लाख था और इसके विरुद्ध व्यय ₹7,679.11 लाख किया गया था। जिससे नए कार्यों के साथ-साथ विधान सभा सदस्य (एमएलए) प्राथमिकता वाले कार्यों को अधिक मंजूरी देने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹36.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	3,679.11				

राजस्व

- (11) ₹1,51,640.24 लाख की अंतिम बचत में से ₹36,061.43 लाख की राशी अनाभ्यर्पित रह गई।
- (12) ₹1,51,640.24 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितम्बर 2023 और जनवरी 2024 में प्राप्त ₹1,07,392 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं आया।
- (13) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-60- रेवाड़ी में बावल में न्यायिक परिसर का निर्माण	मूल	500.00	बावल में न्यायिक परिसर की भूमि भुगतान की मांग न मिलने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-500.00				
4059-80-001-98-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) विभाग बी एडं आर पीडब्ल्यूडी (भवन और सड़कें) (बीएआर - पीएलओ-सीएपी)	मूल	75,481.00	75,481.00	..	(-) 75,481.00	₹75,481 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
5053-60-052-98-विभिन्न हवाई अड्डों पर वायु उड़्डयन नियंत्रण सुविधायें प्रदान करना	मूल	35.00	एचआईसीए से प्रशिक्षक विमानों के स्पेयर पार्ट्स की मांग न प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-35.00				
5053-60-052-99-स्पेयर पार्ट्स हवाई जहाज तथा अन्य उपकरणों की खरीद	मूल	12,500.00	2,009.99	2,009.99	..	विभाग द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10,490.01				
5054-03-101-81-हरियाणा राज्य में सेतुओं का निर्माण (99-सेतु एवं रेलवे उपरगामी सेतु का राज्य योजना के अंतर्गत निर्माण)	मूल	6,000.00	3,148.89	3,148.88	(-) 0.01	नए कार्यों को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,851.11				

अनुदान संख्या 17-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-101-84-हरियाणा राज्य में सेतुओं अपरगामी सेतुओं का निमा (98-सेतु और रेलवे उपरगामी सेतु का निर्माण हेतु स्कीम राष्ट्रीय स्कीम)	मूल	9,300.00	7,059.95	7,059.95	..	इस योजना के तहत नए कार्यों को कम मंजूरी मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,240.05				
5054-04-337-49-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें (99-अंबाला सर्कल सीएफसी ग्रामीण सड़को का उन्नयन)	मूल	37,500.00	18,488.22	18,488.22	..	₹19,011.78 लाख अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-19,011.78				
5054-04-337-99-जिला सड़कें (98-जिला सड़कों के निर्माण एवं बाईडिंग सुदृढीकरण)	मूल	13,000.00	10,884.56	10,884.56	..	इस योजना के तहत नए कार्यों को कम मंजूरी मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,115.44				
5054-04-789-99-अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (97-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान)	मूल	3,800.00	3,142.77	3,142.77	..	इस योजना के तहत नए कार्यों को कम मंजूरी मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-657.23				
5054-80-190-99-हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (एचआर आईडीसी) के लिए इक्विटी कैपिटल	मूल	3,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-3,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5055-51-050-76-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) ट्रांसपोर्ट (टीआरए-पीएलओ-सीएपी)	मूल	15,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-15000.00				
5055-51-050-77-रेगुलेटरी विंग के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण	मूल	2,000.00	56.34	56.34	..	₹1,943.66 लाख अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-1,943.66				
5055-51-103-76-हरियाणा परिवहन आगार	मूल	200.00	4.85	4.85	..	₹195.15 लाख अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-195.15				
5055-51-800-77- चालक प्रशिक्षण स्कूल	मूल	50.00	1.00	1.00	..	कानून व्यवस्था के लिए निजी वाहनों को कम किराये पर लेने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-49.00				

- (14) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्न मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4202-04-105- 99-भवन (सार्वजनिक पुस्तकालय)	मूल	1,000.00	2.97	..	(-) 2.97	ग्राहक विभागों द्वारा कार्यों को मंजूरी न दिए जाने कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-997.03				
4216-01-106- 76-स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत उपमंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटो का निर्माण	मूल	1,000.00	115.77	97.55	(-) 18.22	₹884.23 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)। ₹18.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-884.23				
5054-03-337- 87-आपदा राहत कोष योजना के अन्तर्गत सड़को का निर्माण- पक्का/चोडा और सुधार करना	मूल	15,000.00	9,588.01	9,347.42	(-) 240.59	सड़क परिवहन मंत्रालय से कार्यों को कम मंजूरी मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹240.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-5,411.99				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-101-84-हरियाणा राज्य में सेतुओं अपरगामी सेतुओं का निर्माण (99-सेतु और रेलवे उपरगामी सेतु का निर्माण हेतु स्कीम)	मूल	40,000.00	19,007.27	17,875.45	(-) 1,131.82	₹20,992.73 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)। ₹1,131.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-20,992.73				
5054-04-337-98-ग्रामीण सड़कों (97-नाबार्ड स्कीम के तहत सड़कों के निर्माण एवं बाईडिंग सुदहीकरण)	मूल	18,000.0	11,997.94	11,845.84	(-)152.10	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में देरी के साथ-साथ काम शुरू होने में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹152.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-6,002.06				
5054-04-789-99-अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (98-नाबार्ड अंशदान)	मूल	5,500.00	3,733.20	3,711.33	(-) 21.87	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में देरी के साथ-साथ काम शुरू होने में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹21.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,766.80				

- (15) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से अधिक होने के कारण अधिक व्यय हुआ, जो इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं थे, इसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051- 98-न्याय प्रशासन	मूल	8,000.00	3,004.80	3,234.26	(+) 229.46	योजना के तहत कम कार्य स्वीकृत करने एवं 03/2024 का कार्य बिल स्वीकृत न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹229.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-4,995.20				
4059-60-051- 99-लोक निर्माण कार्य	मूल	6,000.00	5,618.01	7,079.92	(+), 1,461.91	माह 03/2024 में कार्य बिल का भुगतान न होने एवं नये वाहनों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,461.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-381.99				
4216-01-106- 96-लोक निर्माण कार्य	मूल	2,500.00	766.56	982.46	(+) 215.90	इस योजना के तहत नए कार्यों को कम मंजूरी मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹215.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 1,733.44				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
4216-01-106- 99-न्याय प्रशासन	मूल	5,000.00	1,742.00	1,860.24	(+) 118.24	इस योजना के तहत नए कार्यों का कम मंजूरी मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹118.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,258.00				
5053-60-102- 99-एयरोड्रोम का रखरखाव	मूल	4,500.00	2,033.68	2,041.65	(+) 7.97	₹2,466.32 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)। ₹7.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,466.32				
5054-04-101- 84-हरियाणा राज्य में सेतुओं अपरगामी सेतुओं का निर्माण (97-नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सेतु और रेलवे उपरगामी सेतु का निर्माण हेतु स्कीम)	मूल	1,500.00	247.49	276.83	(+) 29.34	₹1,252.51 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)। ₹29.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 1,252.51				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337- 98-ग्रामीण सड़कें (98-ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं बाईडिंग सुददीकरण)	मूल	13,900.00	9,910.39	9,922.82	(+) 12.43	इस योजना के तहत नए कार्यों को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹12.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,989.61				
5054-04-337- 99-जिला सड़कें (99-जिला सड़कों के निर्माण एवं बाईडिंग सुददीकरण)	मूल	7,000.00	3,952.53	4,290.42	(+) 337.89	इस योजना के तहत नए कार्यों को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹337.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 3,047.47				
5054-04-789- 99-अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (99-राज्य का हिस्सा)	मूल	7,000.00	4,158.03	4,259.72	(+)101.69	इस योजना के तहत नई सड़को/ परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹101.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 2,841.97				

- (16) एक मामाला, जिसमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पण कर दिया गया है। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा वास्तविक बचत से कम पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो इंगित करता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5053-60-102-98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब	मूल	50,000.00	39,085.77	38,999.84	(-) 85.93	₹28,158.23 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि.लेखे/अनु.सं-17/2024-25/पुनर्वि. आदेश 2023-2024/452-53 दिनांक 05.06.2024)। ₹85.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	17,244.00				
	पुनर्वि.	- 28,158.23				

- (17) एक मामाला, जिसमें अनुपूरक अनुदान अनावश्यक प्राप्त किया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में कोई व्यय नहीं हुआ था जो दर्शाता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे। इसके बाद, वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान को वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता (99-गुरुग्राम और नूँह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक मिलिट्री इंजीनियरिंग रोड (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5:50 मीटर से 7:00 मीटर) सुदृढीकरण और आईपीबी)	मूल	..	485.66	..	(-)485.66	इस योजना के तहत नए कार्य शुरू होने में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹485.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	1,366.00				
	पुनर्वि.	-880.34				

- (18) निम्नलिखित मामले में, अत्यधिक अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया है। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा वास्तविक बचत से कम पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो इंगित करता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-80-800-98-हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य के हिस्से को उपलब्ध कराना	मूल	5,000.00	5,808.31	5,807.22	(-)1.09	रेलवे प्राधिकरण से (राज्य के हिस्से के रूप में) मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	3,383.00				
	पुनर्वि.	-2,574.69				

- (19) आधिक्यता मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5055-51-102-77- हरियाणा परिवहन आगार	मूल	15,000.00	29,653.08	29,653.08	..	कार्यालय वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	14,653.08				
7055-51-190-99-हरियाणा रेल अवसंरचना विकास का ऋण (एच आर आई डी सी)	मूल	..	20,820.00	58,438.00	(+)37,618.00	₹37,618 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	20,820.00				

- (20) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त रूप से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी किए गए पुनर्विनियोजन आदेश जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से बढ़ाई गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-98- ग्रामीण सड़कें (99-ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं बाईडिंग सुददीकरण)	मूल	50,000.00	1,15,746.27	1,16,189.24	(+)442.97	इस योजना के तहत नए कार्यों/परियोजनाओं को अधिक मंजूरी मिलने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹442.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	46,000.00				
	पुनर्वि.	19,746.27				

- (21) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त रूप से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी किए गए पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से कम कर दिया गया है, जिसमें बजट प्रावधान जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता (98-जिला गुरुग्राम किमी (0.0 से 14.410) रोड आईडी-3169 में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से जमालपुर होते हुए फर्रुखनगर तक 2 लेने सड़क का निर्माण)	मूल	..	3,068.32	3,769.51	(+) 701.19	इस योजना के तहत नए कार्य शुरू होने में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण गया था। ₹701.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	3,579.00				
	पुनर्वि.	-510.68				

दत्तमत अनुदान

- (22) ₹1,644.87 लाख की अंतिम बचत में से ₹116.02 लाख की राशी अनाभ्यर्पित रह गई।
- (23) एक मामला, जिसमें अत्यधिक अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया है। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा वास्तविक बचत से कम पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो इंगित करता है कि बजट उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा चर्चा की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹लाख में)	टिप्पणी
5054-80-800- 99-खोज	मूल	5,000.00	13,471.15	13,355.13	(-)116.02	इस योजना के तहत कुछ मध्यस्थता/अदालती मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹116.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	10,000.00				
	पुनर्वि.	-1,528.85				

- (24) लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कों में निर्देशन एवं प्रशासन/मशीनरी एवं उपकरण प्रभार की समीक्षा, मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़के तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय और 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय ।

वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान कार्य परिव्यय के लिए दिशा और प्रशासन/मशीनरी और उपकरण शुल्क का प्रतिशत नीचे सारणीबद्ध है:-

वर्ष	कार्य परिव्यय	निर्देशन एवं प्रशासन शुल्क	मशीनरी और उपकरण शुल्क	कार्य परिव्यय के लिए दिशा और प्रशासन	कार्य परिव्यय के लिए मशीनरी और उपकरण शुल्क
				प्रतिशत	
(₹लाख में)					
2021-22	3,83,209.27	55,826.03	7,108.12	14.57	1.85
2022-23	4,71,367.80	85,383.94	8,967.39	18.11	1.90
2023-24	4,46,210.66	84,657.96	7,564.90	18.97	1.70

- (25) उचंत लेनदेन:-अनुदान के तहत व्यय में "उचंत" मद के तहत ₹10,834.12 लाख शामिल है। शीर्ष उचंत लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है। यह अंतरिम लेन-देन को समायोजित करता है जिनके लिए लेन-देन को पूरा माने जाने और अंतिम रूप से हिसाब लगाने से पहले आगे भुगतान या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत लेनदेन, यदि खातों के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया जाता है, तो साल-दर-साल आगे बढ़ाया जाता है।

'सस्पेंस' प्रमुख के चार उप-विभाजन हैं जैसे

- (i) खरीद
- (ii) स्टॉक
- (iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम और
- (iv) वर्कशॉप सस्पेंस

इनमें से प्रत्येक उप-विभाजन के तहत लेनदेन की प्रकृति और लेखांकन को नीचे समझाया गया है।

- (i) खरीदारी:-इस उपशीर्ष को अब बकाया वस्तुओं को समायोजित करने के अलावा संचालित नहीं किया जा रहा है और शेष राशि पूरी तरह से समायोजित होने तक अलग से दिखाई जाती रहेगी। इस शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट शेष प्राप्त भंडार के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।
- (ii) स्टॉक:-इस उपशीर्ष पर स्टॉक सामग्री की मांग और विनिर्माण कार्यों से जुड़े सभी खर्चों का भार डाला जाता है। इस कार्यों के लिए जारी की गई या बेची गई या अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य और स्टॉक में सामग्री के मूल्य के साथ-साथ निर्माण से जुड़े असमायोजित शुल्क आदि, यदि कोई हो, के साथ जमा किया जाता है।
- (iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम:-यह उपशीर्ष रिकॉर्ड करता है:-
 - (ए) क्रेडिट पर सामग्री की बिक्री:-
 - (बी) योगदान की प्राप्ति से पहले किए गए जमा कार्यों पर व्यय या प्राप्त योगदान से अधिक:-
 - (सी) हानि और छंटनी और
 - (डी) समायोजन की प्रतीक्षा में अन्य वस्तुएं।

इसलिए, इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष सामान्यतः वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करेगा।

- (iv) वर्कशॉप उचंत:-विभागी वर्कशॉप में संचालन के लिए निष्पादित कार्यों के शुल्क उनकी वसूली या समायोजन तक इस उप-शीर्ष में डेबिट किए जाते हैं। इसलिए, "वर्कशॉप उचंत" के तहत शेष राशि, सार्वजनिक निर्माण कार्यशालाओं में वर्ष के अंत में प्रगति पर कार्यों पर व्यय का प्रतिनिधित्व करती हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान में "उचंत" के तहत लेनदेन का विवरण प्रारंभिक और समापन शेष के साथ इस प्रकार था।

उच्चत के उप-शीर्ष	आदि शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)	डेबिट	क्रेडिट	अन्तः शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)
	(₹लाख में)			
क्रय	(-)21.18*	0	0	(-)21.18*
स्टाक	(+)14,070.64	(+)1,880.78	(-)1,622.23	(+)14,329.19
विविध लोक निर्माण- कार्य पेशगियां	(+)5,087.41	(+)755.29	(-)616.47	(+)5,226.23
वर्कशाप उच्चत	(-)8,700.12	0	0	(-)8,700.12
जोड़	(+)10,436.75	(+)2,636.07	(-)2,238.70	10,834.12

* मुख्य शीर्ष '2059-लोक निर्माण के लघु शीर्ष 'उच्चत' के अंतर्गत उप-शीर्ष 'खरीद' का संचालन वित्तीय वर्ष 1982-83 से समाप्त कर दिया गया है।

- (26) **केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान:-** मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। इस निधि में जमा किया जाता है। इस निधि से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान दिया जाता है। अनुदान के रूप में प्राप्त राशि को भारत सरकार से अनुदान के रूप में जमा किया जाता है। इस अनुदान (अनुदान संख्या "17-भवन और सड़क/परिवाहन/नागरिक उड्डयन") के तहत किए गए प्रावधानों के विरुद्ध एक समान राशि जमा खाते "केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में स्थानांतरित की जाती है। योजना पर वास्तविक व्यय शुरू में इस अनुदान के तहत दर्ज किया जाता है और बाद में जमा खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹10,860.00 लाख अनुदान राशि प्राप्त हुई और वर्ष 2022-23 के अन्त में ₹18,560.27 लाख का असमायोजित क्रेडिट शेष था। ₹29,420.27 लाख की कुल राशि के मुकाबले, वर्ष 2023-24 के दौरान ₹9,347.42 लाख की राशि व्यय की गई, जिससे 31 मार्च 2024 को शीर्ष 8449-अन्य जमा लेखे के तहत क्रेडिट में ₹20,072.85 लाख की शेष राशि बची।

फंड के लेनदेन का विवरण वित्त लेखा 2023-24 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

- (27) अनुदान के अन्तर्गत व्यय में अंशदित किए ₹5,000.00 लाख और आरक्षित निधि में से लिए गए ₹9,800.00 लाख शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	01.04.2023 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदान	वर्ष 2023-24 के दौरान निधि के अन्तर्गत ब्याज का संचय	वर्ष 2023-24 के दौरान निधि में जमा की गई कुल राशि	2023-24 के दौरान व्यय	31 मार्च 2024 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
(1) 8115 - मूल्य ह्रास/आरक्षित/निधि नवीनीकरण 103 - मूल्य ह्रास/आरक्षित/निधि (मोटर वाहन) बसों, मशीनरी, फर्नीचर आदि के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	56,719.68	5,000.00	6,239.17	67,958.85	9,800.00	58,158.85

अनुदान संख्या 17-समाप्त

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	01.04.2023 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदान	वर्ष 2023-24 के दौरान निधि के अन्तर्गत ब्याज का संचय	वर्ष 2023-24 के दौरान निधि में जमा की गई कुल राशि	2023-24 के दौरान व्यय	31 मार्च 2024 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
(2) 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि 101- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि सरकार व्यावसायिक विभाग सेवारत गाड़ियों को दुर्घटनाओं के कारण तीसरी पार्टी के दावों और भारी मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए	515.50	25.00	56.71	597.27	25.00	572.21

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन) में अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति के अंकित मूल्य पर निर्दिष्ट दरों से किए जाते हैं। निधि में संचित राशि पर ब्याज को भी मोटर परिवहन (दुर्घटना) में जमा किया जाता है।

निधियों में से वास्तविक व्यय को पहले इस अनुदान के नामें डाला जाता है। बाद में, वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले व्यय निधियों को अन्तरित कर दिया जाता है।

निधियों के लेन देन का लेखा वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या-18-सूचना तथा प्रचार/इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण तथा लेखन सामग्री

(मुख्य शीर्ष-2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2220-सूचना तथा प्रचार, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय, 4859-दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,73,49,12	4,73,49,12	3,64,77,65	(-)1,08,71,47
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

1,08,46,70

प्रभारित

मूल	31,98	31,98	72,59	(+)40,61
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

शून्य

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,92,03,00	1,92,03,00	60,48,77	(-)1,31,54,23
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

1,11,51,23

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹10,871.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, ₹24.77 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।

(2) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2058-51-001-99-नियंत्रक, लेखन सामग्री तथा मुद्रण और उसका अमला	मूल	337.05	272.97	272.97	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और मोटर वाहनों के लिए किराए के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-64.08				
2058-51-101-99-लेखन सामग्री कार्यालय तथा भण्डार	मूल	777.72	358.99	358.99	..	कागज एवं लेखन सामग्री की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-418.73				
2058-51-102-99-फार्मों की पूर्ति	मूल	60.82	36.98	36.98	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-23.84				
2058-51-103-99-स्थापना तथा मुद्रण प्रभार	मूल	889.00	765.38	765.38	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और संविदा सेवाओं के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कम्प्यूटर सहायक उपकरणों की अधिक खरीद द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-123.62				
2058-51-104-99-निजी मुद्रणालय	मूल	120.00	95.10	95.10	..	डीलक्स व सामान्य डायरी और कैलेंडर के बिल न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-24.90				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-108-98-पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन इत्यादि	मूल	1,176.12	1,015.28	1,015.28	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-160.84				
2205-51-102-92- हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की स्थापना	मूल	600.00	400.00	400.00	..	₹200 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 18/ पुनर्वि./2023-24/342-43 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
2220-01-001-97-कार्य प्रगति से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) जनसंपर्क (पीयूआर - पीएलओ-आरईवी)	मूल	200.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व वि. लेखे/अनु. सं. 18/पुनर्वि./2023-24/ 342-43 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-200.00				
2220-01-105-99- फिल्मों का निर्माण (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,735.00	1,340.95	1,340.95	..	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-394.05				
2220-60-003-99-अनुसंधान तथा रैफरेंस अनुभाग	मूल	5,000.00	1,682.97	1,682.97	..	मुख्यतः स्टोर वस्तुओं और सार्वजनिक संबोधन उपकरणों की कम खरीद, कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण कलाकारों की कम भर्ती तथा संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,317.03				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2220-60-101-97- प्रदर्शनी	मूल	2,600.00	2,109.50	2,109.50	..	मुख्यतः सरकार के प्रचार-प्रसार कार्यो पर कम व्यय, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत तथा कार्यालय सामग्री की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-490.50				
2220-60-188-99-महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शस्त्रियत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में लगे सरकारी/गैर सरकारी धर्मार्थ ट्रस्टों/संगठनों को वित्तीय सहायता	मूल	800.00	12.00	12.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
	पुनर्वि.	-788.00				
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना (95-हरियाणा साहित्य एवं इतिहास की स्थापना)	मूल	250.00	सावधि जमा में बैंक बैलेंस की उपलब्धता के कारण अनुदान जारी न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-250.00				
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना (96-हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना)	मूल	150.00	सावधि जमा में बैंक बैलेंस की उपलब्धता के कारण अनुदान जारी न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-150.00				
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना (97-पंजाबी अकादमी की स्थापना)	मूल	300.00	सावधि जमा में बैंक बैलेंस की उपलब्धता के कारण अनुदान जारी न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-300.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा (98-हाली उर्दू अकादमी की स्थापना)	मूल	150.00	सावधि जमा में बैंक बैलेंस की उपलब्धता के कारण अनुदान जारी न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-150.00				
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा (99-हरियाणा साहित्य अकादमी को अनुदान)	मूल	300.00	सावधि जमा में बैंक बैलेंस की उपलब्धता के कारण अनुदान जारी न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-300.00				

- (3) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2220-60-800-97- सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विकास	मूल	5,550.00	2,969.04	2,939.81	(-)29.23	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद, कार्यालय की वस्तुओं/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹29.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,580.96				

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2220-01-001- 99-मुख्यालय अमला	मूल	2,342.50	1,768.54	1,772.99	(+)4.45	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और ऊर्जा शुल्क के दावों की कम प्राप्ति और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹4.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-573.96				

प्रभारित विनियोग

- (5) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2058-51-104- 98- अन्य सरकारी मुद्रालय	मूल	31.98	31.98	72.59	(+)40.61	₹40.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

पूजीगत

दत्तमत अनुदान

- (6) ₹13,154.23 लाख रुपये की अंतिम बचत के विरुद्ध, ₹2,003 लाख रुपये अनाभ्यर्पित रहे ।
(7) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4058-51-103- 98-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	मूल	600.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 18/ पुनर्वि./2023-24/ 342-343 दिनांक 27.05.2024) ।
	पुनर्वि.	-600.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04-101-98-सांस्कृतिक विरासत केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र आदि के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण	मूल	2,000.00	2,000.00	..	(-)2,000.00	₹2,000 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4220-60-101-97-पंचकूला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित भूखंड का भुगतान	मूल	1000.00	विभाग के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1000.00				
4220-60-101-98-अम्बाला छावनी में युद्ध स्मारक का निर्माण नाम बदलकर अम्बाला छावनी में आजादी की प्रथम लड़ाई का शहीद स्मारक का निर्माण	मूल	15,000.00	6,000.00	6,000.00	..	₹9,000 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 18/ पुनर्वि./2023-24/ 342-43 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-9,000.00				
4220-60-101-99-कुरुक्षेत्र में स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा के स्मारक का निर्माण	मूल	600.00	48.77	48.77	..	₹551.23 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 18/ पुनर्वि./24-25/ 342-43 दिनांक 27.05.2024)।
	पुनर्वि.	-551.23				

(8) मूल्यहास आरक्षित निधि सरकारी मुद्रणालयों से किया गया व्यय-

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों में अंशदान अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹15.53 लाख शामिल है। 31 मार्च 2024 को इस कोष में जमा शेष राशि नीचे दर्शाई गई है:-

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	01.04.2023 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदान	वर्ष 2023-24 के दौरान निधि के अन्तर्गत ब्याज का संचय	निधि में जमा (क्रेडिट) की कुल राशि	2023-24 के दौरान व्यय	31 मार्च 2024 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
8115-104 (1) (1) मूल्यहास/ आरक्षित निधियों (सरकारी मुद्रणालय) में मशीनरी और फर्नीचर के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	1,873.22	15.53	225.93	241.46	-	2,114.68

मूल्यहास आरक्षित निधियों (सरकारी मुद्रणालयों) को अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य पर निश्चित दरों के हिसाब से किए जाते हैं। मूल्यहास आरक्षित निधि में संचित ब्याज भी निधियों में जमा (क्रेडिट) किया जाता है।

निधियों के लेन-देन का लेखा वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 19-सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/एमएसएमई/पूर्ति तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/
विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(मुख्य शीर्ष- 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र विकास, 2801-बिजली, 2810-नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा, 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4810-नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योग तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,20,99,89,00	1,32,26,17,00	1,11,84,94,73	(-)20,41,22,27
पूरक	11,26,28,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

23,96,75,25

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	41,41,52,60	41,41,52,60	28,25,84,55	(-)13,15,68,05
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

7,65,31,94

प्रभारित

मूल	30,00,00	30,00,00	16,45,42	(-)13,54,58
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

13,11,61

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹2,04,122.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को ₹2,39,675.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ ।
- (2) ₹2,04,122.27 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्राप्त ₹1,12,628 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-101-98-अन्य रखरखाव व्यय (98-पंजाब का भाग)	मूल	50.00	बारहमासी चैनल पर समापन का आवंटन न होने के कारण रखरखाव के लिए पंजाब राज्य से सीमित मांग की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-50.00				
2700-80-190-94-उम्ररी यमुना बोर्ड के लिए राज्य राजस्व हिस्सेदारी का योगदान (यूवाईआरबी)	मूल	200.00	50.00	50.00	..	₹150 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024) ।
	पुनर्वि.	-150.00				
2700-80-190-95-हरियाणा जल संसाधन को अनुदान सहायता	मूल	2,500.00	2023-24 के दौरान हरियाणा जल संसाधन को सहायतानुदान जारी न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-2,500.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-80-190-96-ग्राम तालाबों का विकास नाम बदलकर तालाबों का विकास/ पुनर्स्थापन	मूल	45,500.00	16,685.00	16,685.00	..	कुछ तकनीकी और साइट मुद्दों के कारण विभिन्न तालाबों के विकास का लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-28,815.00				
2700-80-190-98-हिरमी को अनुदान सहायता	मूल	800.00	543.00	543.00	..	₹257 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-257.00				
2700-80-800-95-नहर और नालियों पर पुलों और संरचना का संचालन और रखरखाव	मूल	1,250.00	30.46	30.45	(-)0.01	₹1,219.54 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-1,219.54				
2700-80-800-96-नहर के उल्लंघन के कारण उनकी फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा	मूल	50.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-50.00				
2702-03-103-96-भूजल के विकास के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे का संचालन और रखरखाव	मूल	100.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2702-80-001-99-भूजल प्रकोष्ठ की साझा स्थापना	मूल	1,114.00	645.10	645.10	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, फर्नीचर की मांग न मिलने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जिसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-468.90				
2705-51-188-99-सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) के तहत सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाना	मूल	25,000.00	20,000.00	20,000.00	..	₹5,000 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-5,000.00				
2705-51-190-94-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वयन, प्रति बूंद अधिक फसल	मूल	50,960.00	18,140.00	18,140.00	..	₹32,820 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-32,820.00				
2801-05-190-95-पंजीकृत गौशालाओं को बिजली पर रियायती दरों पर सब्सिडी (98-दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) (डीएचबीवीएन)	मूल	200.00	136.34	136.34	..	₹63.66 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	-63.66				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2810-51-001-99-नई और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रशासनिक सेटअप	मूल	380.00	285.33	285.33	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करने, अनुग्रह दावों की प्राप्ति न होने और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-94.67				
2810-51-101-99-ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी पावर प्लांट प्रोग्राम	मूल	1,000.00	203.43	203.43	..	ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट (बैटरी सहित) को दर अनुबंध को देरी से (21.11.2023) अंतिम रूप दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-796.57				
2810-51-102-99- नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रचार	मूल	300.00	सब्सिडी दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-300.00				
2810-51-104-99-अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान डिजाइन और विकास	मूल	100.00	43.45	43.45	..	₹56.55 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-56.55				
2810-51-190-98-ऊर्जा कुशल निर्माण कार्यक्रम	मूल	120.00	90.91	90.91	..	₹29.09 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024) ।
	पुनर्वि.	-29.09				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2810-51-789-99-अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए एलईडी आधारित सौर परिवर्तन पर शिक्षादर्शक योजना	मूल	100.00	दर अनुबंध को देर से अंतिम रूप देने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-100.00				
2851-51-101-95-नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में निर्मित, सृजन और औद्योगिक अवसंरचना का रखरखाव (एमएसएमई)	मूल	15,000.00	2,832.59	2,832.59	..	मुख्यतः स्टार्ट अप वेयरहाउसिंग/ इनक्यूबेशन सेंटर और मोबाइल एप के लिए दावों की कम प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-12,167.41				
2851-51-101-97-हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत बुनियादी ढांचे का विकास	मूल	15,000.00	8,703.46	8,703.46	..	कार्यान्वयन एजेंसियों यानी हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा न करने व बिजली वितरण निगम की समय के साथ-साथ संशोधित प्राक्कलन की कटौती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-6,296.54				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-60-स्वच्छ ईंधन पर उद्योगों के संचालन में वेट सहायता	मूल	15,000.00	मुख्यतः सब्सिडी के लिए उम्मीद से कम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने और संवितरण के लिए मामलों की मंजूरी न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-15,000.00				
2851-51-102-61-इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन	मूल	10,000.00	2,828.16	2,828.16	..	औद्योगिक इकाइयाँ/ व्यक्तियों से सब्सिडी आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-7,171.84				
2851-51-102-62-हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना	मूल	100.00	68.30	68.30	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए भवन का किराया न मिलने, टेलीफोन/ पानी और अन्य विविध मदों की मंजूरी की कमी, कार्यालयों द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए झाँकियों का कम प्रदर्शन, आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और कम्प्यूटर उपकरणों की कम खरीद और बिजली बिलों के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो अध्यक्ष, (हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड) के कार्यालय उपयोग के लिए इनोवा क्रिस्टा की खरीद व अतिरिक्त बिजली बिलों के भुगतान, आधिकारिक दौरो व चिकित्सा बिलों के भुगतान द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-31.70				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-63-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) का प्रधानमंत्री औपचारिकरण	मूल	5,010.00	1,848.63	1,848.63	..	सब्सिडी और अन्य शुल्कों के लिए राज्य के हिस्से की निकासी न होने के कारण भारत सरकार द्वारा केन्द्र का पूरा हिस्सा जारी नहीं किया गया जिसके कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-3,161.37				
2851-51-102-64-नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 (एमएसएमई) के तहत उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन	मूल	30,000.00	25,654.73	25,654.73	..	मुख्यतः ऑनलाइन आवेदन की कम प्राप्ति और संवितरण के मामलों की कम मंजूरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-4,345.27				
2851-51-102-65-हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के तहत उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन	मूल	25,000.00	9,933.87	9,933.87	..	₹15,066.13 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024) ।
	पुनर्वि.	-15,066.13				
2851-51-102-69-औद्योगिक भूखण्डों की खरीद के लिए निशक्त उद्यमियों को ब्याज पर छूट	मूल	125.00	2.01	2.01	..	एचएसआईआईडीसी (हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से निधियों की मांग कम मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-122.99				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-71-एम.एस. एम. ई. कलस्टर विकास प्रोग्राम	मूल	500.00	समूहों के कुछ एसपीवी (स्पेशल पर्पस व्हीकल) द्वारा राज्य के हिस्से को जारी करने के लिए पात्रता मापदंडों को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-500.00				
2851-51-102-72-बंद हुई कार्पोरेशन्स के बन्दीकरण खर्च (एचएसएसआई एवं ईसी/एचसी/एचटीएल)	मूल	500.00	369.97	369.97	..	मुख्यतः अदालत के निर्देश के अनुसार बंद निगम के पूर्व कर्मचारियों को किए गए भुगतान, बंद निगम के कार्यालय द्वारा पेशेवर कर्मचारियों का कम रोजगार और बंद निगम में तैनात संविदा कर्मचारियों को कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि राज्य सरकार की मंजूरी के बाद बंद निगम छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को पेंशन के बदले में मानदेय की व्यवस्था के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-130.03				
2851-51-102-74-हथकरघा, हस्तशिल्प और निर्यात को बढ़ावा देना	मूल	20.00	मुख्यतः राज्य हस्तशिल्प और निर्यात पुरस्कार के साथ-साथ छात्रों के वजीफे को अंतिम रूप न देने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-76-लघु उद्योगों की स्थापना तथा प्रशासन (क्यूटीसी, एचटीसी, आईडीसी) (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,282.40	447.66	447.66	..	मुख्यतः क्यूएमसी, एचटीसी, आईडीसी आदि में कर्मचारियों के रिक्त पदों, मशीनरी उपकरणों और सरकारी वाहनों की कम मरम्मत, रखरखाव व खरीद, अवकाश यात्रा रियायत, छात्रवृत्ति और वजीफे के दावों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-834.74				
2851-51-102-78-औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बी आई पी पी)	मूल	400.00	79.00	79.00	..	वित्तीय वर्ष 2023-24 में नई कंसल्टेंसी एजेंसी की नियुक्ति में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-321.00				
2851-51-103-89-व्यापक हथकरघा विकास योजना	मूल	55.00	किसी नए क्लस्टर को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-55.00				
2851-51-105-99-खादी तथा ग्राम उद्योग मण्डल को सहायता अनुदान	मूल	2,000.00	1,386.05	1,386.05	..	हरियाणा खादी ग्राम एवं उद्योग बोर्ड को आवंटित निधि का उपयोग न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-613.95				
2851-51-190-98-एमईएनएस परिषद को अनुदान सहायता	मूल	1,000.00	250.00	250.00	..	सभी जिलों में सेमिनार/कार्यशाला/एमएस एमई (सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम) सम्मेलन/प्रचार गतिविधियों और व्यापार मेले के कम आयोजन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-750.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-190-99-हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र को अनुदान सहायता (एचईपीसी)	मूल	1,000.00	722.00	722.00	..	बिजली और पानी के बिल, जनशक्ति, टीआरआईजीएमए सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के वार्षिक रखरखाव शुल्क के माह जनवरी 2024 के बिलों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-278.00				
2852-07-190-99-हरियाणा में चीजों के इंटरनेट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना (98-स्थापना खर्च)	मूल	300.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024) ।
	पुनर्वि.	-300.00				
2852-07-202-87-हरियाणा स्टार्टअप, डाटा सेंटर और आईटी और ईएसडीएम नीति के तहत स्थापित इकाइयों के लिए सब्सिडी/ प्रोत्साहन	मूल	5,000.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024) ।
	पुनर्वि.	-5,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-07-202-98-यूएनडीपी के अंतर्गत अम्बाला में यंत्रों के डिजाइन के विकास एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना	मूल	200.00	सहायता अनुदान से संबंधित बिलों का भुगतान न हो पाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
2852-80-001-84-योजना के लिए आवंटित एमएसएमई विभाग की स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल	400.00	66.43	66.43	..	₹333.57 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024)।
	पुनर्वि.	-333.57				
2852-80-001-85-एमएसएमई फील्ड कार्यालय की स्थापना और प्रशासन	मूल	1,923.00	877.58	877.58	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवन में कुछ जिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केन्द्र कार्यालयों के अस्तित्व में होने के कारण किराए की बचत, कार्यालय द्वारा किये गए कानूनी भुगतान, डेटा प्रबंधन सेल द्वारा फर्नीचर वस्तुओं की गैर-खरीद और आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,045.42				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-80-001-86- एमएसएमई (मुख्यालय) की स्थापना और प्रशासन	मूल	1,292.00	524.73	524.73	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किराया राशि की मंजूरी न मिलने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की गैर-प्राप्ति, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ऊर्जा शुल्क की मंजूरी न मिलने, कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न होने एवं संविदा कर्मियों के वेतन के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-767.27				
2852-80-001-98-स्थापना एवं प्रशासन (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल	2,133.00	1,246.82	1,246.82	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय निर्धारण न करने, टेलीफोन/ पानी और अन्य विविध मदों की मंजूरी की कमी, समय पर अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने, पुराने वाहनों के अनुपयोग पर कम व्यय और नए वाहन की खरीद की प्रक्रिया में देशी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-886.18				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-80-001-99- स्थापना एवं प्रशासन (मुख्यालय)	मूल	1,425.50	722.76	722.76	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, बिजली की कम खपत, नए वाहनों की खरीद न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और हरियाणा के व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा समय पर मांग प्रस्तुत न करने और पिछली तिमाही में संशोधित अनुमान में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-702.74				

- (4) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-89-विशेष राजस्व	मूल	3,469.00	2,533.40	59.09	(-)2,474.31	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,474.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-935.60				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	14,754.00	12,298.43	385.43	(-)11,913.00	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो महंगाई भत्ते की किस्त/ बकाया के अधिक भुगतान व पेट्रोल, तेल और स्नेहक दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹11,913 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,455.57				
2700-01-001-92-अधिक्षक इंजीनियर	मूल	436.50	269.93	13.65	(-)256.28	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹256.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-166.57				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001- 89-विशेष राजस्व	मूल	5,536.00	3,609.16	105.38	(-)3,503.78	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम तैनाती, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹3,503.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-1,926.84				
2700-02-001- 91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	53,775.00	46,885.95	1,104.39	(-)45,781.56	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम तैनाती, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित खरीद को अंतिम रूप न देने और कोर्ट केस दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति, महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के अधिक भुगतान द्वारा समायोजित कर ली गई थी । ₹45,781.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पुनर्वि.	-6,889.05				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001- 92-अधिक्षक अभियन्ता	मूल	3,098.00	2,660.86	56.68	(-)2,604.18	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम तैनाती, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,604.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-437.14				
2700-02-101- 97-ऊर्जा प्रभार	मूल	10,000.00	8,435.09	8,340.31	(-)94.78	31.03.2023 से पहले ऊर्जा शुल्क से संबंधित बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹94.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,564.91				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-18-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	7,325.00	5,642.56	2,802.48	(-)2,840.08	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक भुगतान वाले मजदूरों की कम तैनाती, कम्प्यूटर खरीद को अंतिम रूप न देने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो संविदा सेवाओं के तहत कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता के कारण अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹2,840.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,682.44				
2700-18-001-92-अधीक्षण अभियन्ता	मूल	648.00	551.04	131.14	(-)419.90	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया। ₹419.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-96.96				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-18-001- 93- मुख्य अभियंता	मूल	698.00	441.16	408.04	(-)33.12	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति और संविदात्मक सेवाओं के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹33.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-256.84				
2700-80-800- 98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रखरखाव	मूल	6,000.00	5,000.25	4,735.50	(-)264.75	₹999.75 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024)। ₹264.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-999.75				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2701-08-101-98-अन्य संधारण कार्य	मूल	250.00	244.60	201.42	(-)43.18	मुख्यतः मार्च 2024 के आखिरी पखवाड़े में बिलों की मंजूरी न होने और त्रैमासिक कैप सीमा के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹43.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-5.40				
3425-60-001-87-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (99-राज्य अंश)	मूल	1,010.00	759.76	759.18	(-)0.58	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतन मद में कम व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-250.24				

- (5) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला जिसमें निधियों में अत्यधिक वृद्धि की गयी। प्रावधान में वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-80-001- 93-मुख्य इंजीनियर	मूल	8,664.00	8,885.38	1,441.73	(-)7,443.65	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः महंगाई भत्ते की किस्त के अधिक भुगतान और विभाग से मानदेय दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन, आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) से संबंधित खरीद को अंतिम रूप न देना, नए वाहनों की कम खरीद और कम मरम्मत कार्य और ऊर्जा शुल्क के बिलों का कम भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया। ₹7,443.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	221.38				

- (6) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक बचत से अधिक निधियाँ अभ्यर्पित की गईं जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-02-101-98-अन्य संधारण खर्च	मूल	3,500.00	3,373.31	3,405.15	(+)31.84	₹126.69 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)। ₹31.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-126.69				
2700-03-101-98-अन्य संधारण कार्य	मूल	100.00	66.05	66.92	(+)0.87	जिला प्रशासन द्वारा नहरों की निराई-गुडाई और गाद निकालने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) श्रमिकों द्वारा प्रदान की जा रही अतिरिक्त सहायता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-33.95				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-05-101-98-अन्य संधारण कार्य	मूल	350.00	272.58	283.17	(+) 10.59	₹77.42 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)। ₹10.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-77.42				

- (7) निम्नलिखित मामलों में अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रूप से प्राप्त किया गया था तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन मामलों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2705-51-188-98-जलकुंड का निर्माण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण/विस्तार	मूल	25,000.00	24,862.00	24,862.00	..	₹20,138 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024)।
	पूरक	20,000.00				
	पुनर्वि.	-20,138.00				
2801-05-190-94-यूएचबीवीएन एल/डीएचबीवी एनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	मूल	6,95,257.00	6,88,556.00	6,88,556.00	..	₹91,211 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 24-25/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पूरक	84,510.00				
	पुनर्वि.	-91,211.00				

- (8) निम्नलिखित मामले में, समस्त बजट प्रावधान अनुपूरक अनुदान के माध्यम से किया गया तथा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान कम कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित ढंग से तैयार नहीं किये गए।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2801-05-190-96-कोविड-19 के तहत राहत के लिए सब्सिडी की अनुमति	मूल	..	6,241.97	6,241.97	..	₹1,873.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पूरक	8,115.00				
	पुनर्वि.	-1,873.03				

- (9) आधिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	42.75	(+)42.75	₹42.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2700-01-799-उचंत (51-एनए)	मूल	115.10	(+)115.10	₹115.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	142.04	(+)142.04	₹142.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-02-799-उचंत	मूल	96.37	(+)96.37	₹96.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-02-800-99-ब्याज	मूल	15,500.00	15,500.00	51,676.72	(+)36,176.72	₹36,176.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-03-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	25.99	(+)25.99	₹25.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-04-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	77.96	(+)77.96	₹77.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-05-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	90.95	(+)90.95	₹90.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-18-001-89-विशेष राजस्व	मूल	312.58	(+)312.58	₹312.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-80-001-89-विशेष राजस्व	मूल	246.99	(+)246.99	₹246.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-80-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	5,925.05	(+)5,925.05	₹5,925.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2700-80-001-92-अभियन्ता अधीक्षक	मूल	817.48	(+)817.48	₹817.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
2701-10-101-97-ऊर्जा प्रभार	मूल	1,500.00	2,146.19	2,146.19	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मानूसन सत्र के दौरान बिजली की बढ़ती मांग के कारण किया गया था ।
	पुनर्वि.	646.19				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2801-05-190-95-पंजीकृत गौशालाओं को बिजली पर रियायती दरों पर सब्सिडी	मूल	100.00	126.46	126.46	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹26.46 लाख के प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	26.46				
2810-51-101-98-राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना	मूल	50,000.00	79,999.30	79,999.30	..	राज्य में अतिरिक्त सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	29,999.30				
2851-51-102-59-हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाईल नीति	मूल	..	3,323.56	3,323.56	..	₹3,322.56 लाख के प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पूरक	1.00				
	पुनर्वि.	3,322.56				

- (10) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से आवर्धित राशि वास्तविक व्यय से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-04-800- 98-ऊर्जा प्रभार	मूल	4,800.00	6,707.97	6,722.97	(+)15.00	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मानसून के मौसम के दौरान लोहारू लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी की अधिक आपूर्ति के कारण हुआ, जिसके कारण बिजली की खपत में वृद्धि हुई। ₹15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	1,907.97				
2700-18-101- 98-अन्य संधारण कार्य	मूल	2,200.00	6,183.50	6,672.91	(+)489.41	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन जुलाई 2023 में भारी वर्षा के बाद आकस्मिक बाढ़ बहाली कार्यों की लागत को कवर करने के कारण हुआ था। ₹489.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	3,983.50				

पूजीगत

दत्तमत अनुदान

(11) ₹1,31,568.05 लाख की अंतिम बचत में से ₹55,036.11 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

(12) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-11-800-97-भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डी.आर.आई. पी.)	मूल	500.00	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डीआरआईपी के कार्यान्वयन के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-500.00				
4700-13-001-88-पेंशन प्रभारों	मूल	62.30	62.30	38.12	(-)24.18	₹24.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-13-001-89-विशेष राजस्व	मूल	2,413.00	2,413.00	1,128.94	(-)1,284.06	₹1,284.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-13-001-91-अधिकांश अभियंता	मूल	25,170.00	25,170.00	11,520.04	(-)13,649.96	₹13,649.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-13-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	998.00	998.00	556.17	(-)441.83	₹441.83 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-13-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	2,633.00	2,633.00	1,584.23	(-)1,048.77	₹1,048.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-15-800-97-बीएमएल हांसी ब्रांच-भूटाना लिंक	मूल	100.00	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-100.00				
4700-16-001-89-विशेष राजस्व	मूल	150.00	150.00	32.83	(-)117.17	₹117.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-16-001-91-अधिकाधी अभियंता	मूल	1,300.00	1,300.00	335.02	(-)964.98	₹964.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-16-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	60.00	60.00	16.17	(-)43.83	₹43.83 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-16-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	180.00	180.00	46.07	(-)133.93	₹133.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-26-001-89-विशेष राजस्व	मूल	100.00	100.00	0.37	(-)99.63	₹99.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-26-001-91-अधिकाधी अभियंता	मूल	1,200.00	1,200.00	3.80	(-)1,196.20	₹1,196.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-26-001-92-अधीक्षक अभियंता	मूल	50.00	50.00	0.18	(-)49.82	₹49.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-26-001-93-मुख्य अभियन्ता	मूल	150.00	150.00	0.52	(-)149.48	₹149.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4700-80-800-98-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी एल ओ) सिंचाई और जल संसाधन विभाग (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी)	मूल	50,000.00	50,000.00	..	(-)50,000.00	₹50,000 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4701-07-001-88-पेंशनरी चार्ज	मूल	70.00	70.00	38.33	(-)31.67	₹31.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-07-001-89-विशेष राजस्व	मूल	1,600.00	1,600.00	1,053.16	(-)546.84	₹546.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4701-07-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	14,623.00	14,623.00	10,998.81	(-)3,624.19	₹3,624.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4701-07-001-92-अधिक्षक अभियन्ता	मूल	800.00	800.00	427.09	(-)372.91	₹372.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4701-07-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	2,000.00	2,000.00	1,468.59	(-)531.41	₹531.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4701-23-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	650.00	650.00	535.07	(-)114.93	₹114.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-80-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	100.00	100.00	87.14	(-)12.86	₹12.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4701-80-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	750.00	750.00	652.63	(-)97.37	₹97.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4701-80-800-95-मौजूदा नहर नेटवर्क का पुनर्वास जल स्रोतों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास	मूल	8,750.00	8,750.00	..	(-)8,750.00	₹8,750 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4711-01-001-88-पेंशन संबंधी प्रभार	मूल	80.00	80.00	51.06	(-)28.94	₹28.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4801-05-190-98-एच. पी. जी. सी. एल. को हिस्सा पूंजी	मूल	58,451.00	23,104.20	23,104.20	..	₹35,346.80 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 24-25/ 569 दिनांक 03.07.2024) ।
	पुनर्वि.	-35,346.80				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4810-51-101-99-सौर पैनल एवं सहयोगी उपकरणों की खरीद और स्थापना	मूल	500.00	मुख्यतः वर्ष 2023-24 के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र (बैटरी सहित) गौशालाओं के लिए दर अनुबंध को अंतिम रूप न देने और ग्रिड कनेक्टेड स्फ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र (बैटरी सहित) के लिए अनुबंध को देरी से (21.11.2023) अंतिम रूप दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-500.00				
4851-51-102-92-लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना	मूल	2,500.00	अधिस्थगन अवधि के कारण निधियों का उपयोग न हो पाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,500.00				
4851-51-102-95-निदेशालय भवन व क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना	मूल	1,500.00	47.86	47.86	..	हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, उद्योग और वाणिज्य निदेशालय और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) निदेशालय के लिए एकीकृत भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,452.14				

- (13) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-05-800-98-नहर का निर्माण	मूल	2,400.00	42.40	38.92	(-)3.48	योजना का वन, पर्यावरण अंतरराष्ट्रीय आदि परियोजनाएं वैधानिक मंजूरी के अधीन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹3.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,357.60				
4700-07-800-98-नहर का निर्माण (एस वाई एल)	मूल	10,100.00	17.60	7.84	(-)9.76	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में रखे गए प्रावधान का उपयोग न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹9.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-10,082.40				
4700-16-800-98-नहर का निर्माण-जल पाठ्यक्रम का पुनर्वास	मूल	1,000.00	648.90	619.22	(-)29.68	परियोजना केवल बुआई के मौसम में ही लागू की जा सकती है जब खेत खाली होते हैं इसलिए तीसरी तिमाही में काम नहीं किया गया, जिससे वांछित प्रगति हासिल नहीं हुई। अतः इस बाध्यता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹29.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-351.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-26-800-99-सरस्वती नदी विरासत विकास परियोजना	मूल	3,000.00	13.30	13.10	(-)0.20	आदि बट्टी बांध के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा डिजाइन और अनुमान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-2,986.70				
4700-80-800-97-पुनर्निर्माण और नवीकरण/ प्रतिस्थापन और नहरें और नालियों पर पुलों और संरचना का निर्माण	मूल	25,000.00	15,966.80	14,356.38	(-)1,610.42	राज्य में मानसून के मौसम के दौरान भारी बाढ़ के कारण मूल बजट से बचत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,610.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-9,033.20				
4701-06-800-97-भूमि की वार्षिकी	मूल	1,000.00	724.50	723.96	(-)0.54	राज्य भर में अर्जित भूमि के मुआवजे के लंबित मामलों में विभिन्न माननीय न्यायालयों के आदेशों को ध्यान में रखते हुए निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-275.50				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-07-800-98-नहर का निर्माण	मूल	20,000.00	15,940.20	15,761.41	(-)178.79	उप मृदा जल स्तर से उत्थान की समस्या के कारण हुआ, जिसके कारण काम रुका हुआ था और एल-सेक्शन को संशोधित किया गया था, इसलिए लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका व निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹178.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-4,059.80				
4701-23-800-98- जल निकाय नहर का निर्माण	मूल	3,000.00	2,015.90	1,985.39	(-)30.51	राज्य में मानसून के मौसम के दौरान भारी बाढ़ के कारण मूल बजट में बचत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹30.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-984.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-80-002-99-सिंचाई परियोजना हेतु आंकड़ा संग्रहण	मूल	4,000.00	2,224.90	2,178.81	(-)46.09	राजकोष के समक्ष पहले से रखे गए कुछ बिलों की मंजूरी के कारण जिन्हें मूल प्रावधान के विरुद्ध मंजूरी दे दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से अधिक जाने से निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹46.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,775.10				

(14) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक बचत से अधिक निधियों को अभ्यर्पित किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-13-052-99-मशीनरी तथा उपकरण	मूल	5,000.00	4,047.60	4,120.92	(+)73.32	राज्य में मानसून के मौसम के दौरान भारी बाढ़ के कारण मूल बजट में बचत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹73.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-952.40				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-13-789-99-अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में खालों की प्रणाली में सुधार हेतु	मूल	15,000.00	10,218.10	10,971.52	(+)753.42	राज्य में मानसून के मौसम के दौरान भारी बाढ़ के कारण मूल बजट में बचत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹753.42 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-4,781.90				
4700-13-800-97-पश्चिमी जमुना नहर व जवाहर लाल नेहरू प्रणाली की क्षमता बढ़ाने लिए परियोजना	मूल	1,000.00	24.90	66.30	(+)41.40	कानूनी मुद्दों के कारण मुख्य परियोजनाओं में देरी के कारण धन का अभ्यर्पण किया गया था। ₹41.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-975.10				
4700-13-800-98-नहर का निर्माण-नहर नेटवर्क का पुनर्वास	मूल	30,000.00	22,994.90	24,509.72	(+)1,514.82	राज्य में मानसून के मौसम के दौरान भारी बाढ़ आने से मूल बजट में बचत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,514.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-7,005.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-16-789-99-अनुसूचित जाति जनसंख्या में राज्य के कार्य और मरम्मत	मूल	1,000.00	516.60	534.39	(+)17.79	फसली मौसम के बीच काम की छोटी अवधि की उपलब्धता के कारण प्रमुख कार्यों के पूरा न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹17.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-483.40				
4701-06-789-99-अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में जल वितरण के लिए नई माईनर सुधार हेतु योजना	मूल	800.00	534.10	619.31	(+)85.21	कम भूमि अधिग्रहण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹85.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-265.90				
4701-06-800-98-नहर का निर्माण-नए माईनर का निर्माण	मूल	1,000.00	813.95	830.29	(+)16.34	कम भूमि अधिग्रहण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹16.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-186.05				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-07-789-99-अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत पुराने चैनलों के सुधार हेतु योजना	मूल	20,000.00	16,391.24	18,060.81	(+)1,669.57	एसएसडब्ल्यूएल (उप मृदा जल स्तर) से उत्थान की समस्या के कारण काम रुका हुआ था जिसके कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,669.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-3,608.76				
4701-07-800-97-नाबार्ड के तहत सिंचाई दक्षता योजना के तहत माइक्रो सिंचाई	मूल	15,000.00	6,923.10	6,988.70	(+)65.60	फसली मौसम के बीच काम की छोटी अवधि की उपलब्धता के कारण प्रमुख कार्यों के पूरा न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹65.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-8,076.90				
4701-22-800-98-नहरों का निर्माण (मेवात)	मूल	5,000.00	72.90	79.65	(+)6.75	निविदा के प्रक्रियाधीन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹6.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-4,927.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-25-800-99-शाखाएँ-सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति	मूल	10,000.00	8,293.60	8,683.94	(+)390.34	₹1,706.40 लाख के अभ्यर्पण के कारणों की सूचना नहीं दी गई है। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेख/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)। ₹390.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,706.40				
4701-80-052-99-संस्थागत सुदृढीकरण डाटा संग्रह आदि	मूल	650.00	242.37	242.75	(+)0.38	₹407.63 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेख/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 569 दिनांक 03.07.2024)। ₹0.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-407.63				
4702-51-102-98-भूजल और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए योजना	मूल	2,000.00	1,026.20	1,053.45	(+)27.25	राज्य में मानसून के मौसम के दौरान भारी बाढ़ के कारण मूल बजट में बचत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹27.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-973.80				

(15) अधिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-15-001-91-अधिशापी अभियंता	मूल	150.00	150.00	347.09	(+)197.09	₹197.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4700-15-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	20.00	20.00	47.73	(+)27.73	₹27.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4700-15-800-98-बी.एम.एल. रिस्टोरशन	मूल	500.00	1,195.17	1,195.17	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन 2023 की भारी वर्षा के बाद विभिन्न मरम्मत कार्यों को अंतिम रूप देने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	695.17				
4700-80-001-88-पेंशन शुल्क	मूल	30.44	(+)30.44	₹30.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4700-80-001-89-विशेष राजस्व	मूल	901.60	(+)901.60	₹901.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-80-001-91-अध्यापी अभियंता	मूल	9,200.20	(+)9,200.20	₹9,200.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4700-80-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	444.17	(+)444.17	₹444.17 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4700-80-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	1,265.21	(+)1,265.21	₹1,265.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4700-80-190-97-उमरी यमुना नदी बोर्ड के लिए राज्य पूंजी हिस्सेदारी का योगदान (यूवाईआरबी)	मूल	7,500.00	17,323.87	17,323.87	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 05.06.2024)।
	पुनर्वि.	9,823.87				
4701-06-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	400.00	400.00	585.79	(+)185.79	₹185.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-06-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	50.00	50.00	78.22	(+)28.22	₹28.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4701-22-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	21.47	(+)21.47	₹21.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4701-25-001-89-विशेष राजस्व	मूल	224.10	(+)224.10	₹224.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4701-25-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	2,340.38	(+)2,340.38	₹2,340.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4701-25-001-92-अधीक्षक अभियंता	मूल	90.88	(+)90.88	₹90.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-25-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	312.49	(+)312.49	₹312.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4702-51-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	459.72	(+)459.72	₹459.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4702-51-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	60.09	(+)60.09	₹60.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4711-01-001-89-विशेष राजस्व	मूल	1,500.00	1,500.00	1,825.30	(+)325.30	₹325.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4711-01-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	9,620.00	9,620.00	17,436.91	(+)7,816.91	₹7,816.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
4711-01-001-93-मुख्य अभियन्ता	मूल	2,000.00	2,000.00	2,250.03	(+)250.03	₹250.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4851-51-102-93-एमएसएमई के कार्यालय परिसर के क्षेत्र अधिकारी/ निदेशालय का आधुनिकीकरण	मूल	500.00	7,750.00	7,750.00	..	पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए राशि जारी करने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	7,250.00				

- (16) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से आवर्धित राशि वास्तविक व्यय से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप निधि अनाभ्यर्पित रह गई, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4711-01-789-99-अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में बाढ़ रोकथाम तथा विपत्ति निवारण हेतु योजना	मूल	7,000.00	7,037.00	6,998.44	(-)38.56	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 03.07.2024)। ₹38.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	37.00				

- (17) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से आवर्धित राशि वास्तविक व्यय से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4711-01-201-99-बाढ़ रोकथाम तथा विपत्ति	मूल	30,000.00	42,337.90	43,678.86	(+)1,340.96	₹12,337.90 लाख की वृद्धि के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 03.07.2024)। ₹1,340.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	12,337.90				

प्रभारित विनियोग

(18) ₹1,354.58 लाख की अंतिम बचत में से ₹42.97 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

(19) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला जिसमें पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-80-800-98-न्यायालय आदेशों के अधीन बड़े भू मुआवजे की अदायगी	मूल	3,000.00	1,688.39	1,645.42	(-)42.97	₹1,311.61 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व वि. लेखे/ अनु.सं. 19/ पुनर्वि./ 23-24/ 461-462 दिनांक 03.07.2024)। ₹42.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-1,311.61				

(20) लोक निर्माण विभाग-सिंचाई शाखा में निदेशन और प्रशासन तथा मशीनरी और उपकरण शुल्क की समीक्षा- सिंचाई शाखा शीर्ष-"2700-मुख्य सिंचाई", "2701-मध्यम सिंचाई", "4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय" और "4701-माध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय" ।

निम्न तालिका वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों के आंकड़ें तथा निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	(₹ लाख में)			प्रतिशतता	
			निर्माण-कार्य	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभारे	निर्माण कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
1.	गुडगांव नहर परियोजना	2021-22	42.71	30.15	0	70.59	0
		2022-23	62.79	41.24	0	65.68	0
		2023-24	66.92	33.14	0	49.52	0
2.	लोहारू नहर परियोजना	2021-22	159.49	112.57	0	70.58	0
		2022-23	162.47	106.71	0	65.68	0
		2023-24	254.36	99.42	0	39.09	0
3.	जे.एल.एन. नहर परियोजना	2021-22	310.26	218.99	0	70.58	0
		2022-23	297.42	195.34	0	65.68	0
		2023-24	283.17	115.99	0	40.96	0
4.	एस.वाई.एल नहर परियोजना	2021-22	472.33	268.56	0	56.86	0
		2022-23	6.95	3.96	0	56.98	0
		2023-24	7.83	2.92	0	37.29	0
5.	दादुपुर नलवी परियोजना	2021-22	467.20	265.65	0	56.86	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
6.	पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार (नाबार्ड) परियोजना	2021-22	28920.95	13942.36	0	48.04	0
		2022-23	37800.56	14293.38	0	37.81	0
		2023-24	40810.92	13947.65	0	34.18	0
7.	पुनः स्थापना परियोजना	2021-22	2741.14	1558.59	0	56.86	0
		2022-23	1580.76	899.79	0	56.92	0
		2023-24	1153.62	430.10	0	37.28	0
8.	नवीन लघु परियोजना	2021-22	1669.83	754.72	0	48.04	0
		2022-23	1630.42	615.78	0	37.81	0
		2023-24	2173.56	742.84	0	34.18	0
9.	डब्ल्यू.जे.सी. नहर विस्तार परियोजना	2021-22	2955.80	2086.28	0	70.58	0
		2022-23	2684.96	1763.46	0	65.68	0
		2023-24	3405.15	1408.49	0	41.36	0

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	(₹ लाख में)			प्रतिशतता	
			निर्माण-कार्य	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	निर्माण कार्य पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
10.	जुई नहर परियोजना	2021-22	191.02	0	0	0	0
		2022-23	186.19	0	0	0	0
		2023-24	201.42	0	0	0	0
11.	सिवानी नहर परियोजना	2021-22	220.31	0	0	0	0
		2022-23	257.81	0	0	0	0
		2023-24	254.40	0	0	0	0
12.	टी.एफ.सी. परियोजना	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
13.	नगल लिफ्ट सिंचाई परियोजना	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
14.	डाटा संग्रहण जैसे संस्थागत सुदृढीकरण	2021-22	1935.42	929.82	0	48.04	0
		2022-23	2859.58	1081.28	0	37.81	0
		2023-24	2421.56	827.60	0	34.18	0
15.	जल विकास सर्वेक्षण और जांच	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
16.	चैनलों की लाइनिंग	2021-22	471.77	268.24	0	56.86	0
		2022-23	60.00	34.15	0	56.92	0
		2023-24	1195.17	445.59	0	37.28	0
17.	एन.सी.आर. परियोजना	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
18.	नहर का आधुनिकीकरण और लाइनिंग	2021-22	40802.51	23199.95	0	56.86	0
		2022-23	31904.89	18160.69	0	56.92	0
		2023-24	35547.53	14789.38	4120.92	41.60	11.59
19.	मेवात फीडर	2021-22	86.79	41.70	0	48.05	0
		2022-23	92.87	35.12	0	37.82	0
		2023-24	79.65	27.22	0	34.17	0
20.	एम एंड ई बांध अपार्टमेंट परियोजना	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	(₹ लाख में)			प्रतिशतता	
			निर्माण-कार्य	निर्देशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	निर्माण कार्य पर निर्देशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
21.	मुनिक नहर परियोजना	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
22.	कौशल्या बांध	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
23.	सरस्वती विरासत परियोजना	2021-22	3903.65	2219.58	0	56.86	0
		2022-23	175.60	99.96	0	56.92	0
		2023-24	13.10	4.88	0	37.25	0
24.	जल निकायों का विकास	2021-22	1697.50	815.52	0	48.04	0
		2022-23	1701.10	643.23	0	37.81	0
		2023-24	1985.38	678.53	0	34.18	0
25.	नहर पर पुलों का पुनर्निर्माण	2021-22	10219.71	5810.84	0	56.86	0
		2022-23	21693.55	12348.26	0	56.92	0
		2023-24	31680.25	11811.18	0	37.28	0
26.	जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना	2021-22	2224.90	1265.06	0	56.86	0
		2022-23	41.09	23.39	0	56.92	0
		2023-24	38.92	14.51	0	37.28	0
27.	उपचारित उपशिष्ट जल की आपूर्ति	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	10321.80	3902.94	0	37.81	0
		2023-24	8683.93	2987.85	0	34.41	0
28.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2021-22	0	0	0	0	0
		2022-23	194.95	70.09	0	40.57	0
		2023-24	1053.44	537.60	0	51.03	0

(21) उचन्त लेन-देन:-

शीर्ष 'उचन्त' अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। इसमें अन्तरिम अस्थाई लेन-देन शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए लेन-देन को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से लेखांकित किया हुआ समझने से पहले आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, यदि अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजित नहीं किए गए हों, तो वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। शीर्ष 'उचन्त' के तीन उपभाग हैं, अर्थात्

- (i) स्टॉक,
- (ii) विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां और,
- (iii) वर्कशाप उचन्त

इन उप-भागों में से प्रत्येक के अन्तर्गत लेन-देनों का स्वरूप और लेखांकन आगे स्पष्ट किया गया है:-

- (1) **स्टॉक:-** यह उप-शीर्ष भण्डार सामग्रियों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण संक्रियाओं से संबंधित सकल व्यय से प्रभारित किया जाता है। इसमें निर्माण-कार्य को जारी की गई अथवा बेची गई अथवा अन्य रूप से निपटाई गई सामग्रियों का मूल्य और उत्पादन का मूल्य जमा (क्रेडिट) किया जाता है और लेखाओं में शेष स्टॉक में सामग्रियों के खाता मूल्य जमा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों आदि, यदि कोई हो तो, का द्योतक है।
- (2) **विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां:-** यह उप-शीर्ष अभिलिखित करता है:-
 - (क) सामग्रियों का उधार विक्रय,
 - (ख) जमा निर्माण-कार्यों पर अंशदान की प्राप्ति से पहले या प्राप्त अंशदान से अधिक किया गया व्यय।
 - (ग) हानियां तथा कटौतियों, और
 - (घ) अन्य मदें जिनका समायोजन प्रतीक्षित हैं।

इस शीर्ष के अंतर्गत नामें शेष प्रायः वसूली योग्य राशि का द्योतक होता है इसलिए इन शीर्षों के तहत डेबिट बैलेंस सामान्य रूप से वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करेगा।

(3) वर्कशाप उचन्त:-

विभागीय वर्कशापों में अन्य संक्रियाओं के लिए निष्पादित कार्यों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन अनिर्णित होने पर इस उप शीर्ष को नामें (डेबिट) किए जाते हैं। इसलिए 'वर्कशाप उचन्त' के अन्तर्गत शेष लोक निर्माण-कार्य वर्कशापों में वर्ष के अन्त में चल रहे कार्यों पर व्यय का द्योतक हैं।

उचन्त लेन-देन:-

'बहुउद्देशीय नदी परियोजना' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700- मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹340.87 लाख की राशि शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	420.50	340.74	(-)225.64	535.60
विविध पेशगियां	(-) 52.90	0.13	(-)0.13	(-) 52.90
जोड़	367.60	340.87	(-)225.77	482.70

- (22) 'सिंचाई' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹365.46 लाख की राशि शामिल है। वर्ष 2023-24 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उंचत' के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	(-) 181.96	361.84	(-)268.51	(-)88.63
विविध पेशगियां	(-) 2,414.86	3.62	(-)0.58	(-)2,411.82
जोड़	(-)2,596.82	365.46	(-)269.09	(-)2,500.45

- (23) 'सिंचाई' के कारण मुख्य शीर्ष '2701-मध्यम सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई भी राशि शामिल नहीं है। वर्ष 2023-24 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उंचत के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	(-)77.02	0	0	(-)77.02
विविध पेशगियां	43.81	0	(-)0.28	43.53
जोड़	(-)33.21	0	(-)0.28	(-)33.49

- (24) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹38.53 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	180.34	19.96	(-)20.12	180.18
खरीद	225.96	0.77	0	226.73
विविध लोक निर्माण पेशगियां	43.66	13.43	(-)11.14	45.95
कार्यशाला उचन्त	(-)9.69	4.37	(-)5.00	(-)10.32
जोड़	440.27	38.53	(-)36.26	442.54

- (25) सिंचाई के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत लेखाबद्ध ₹28.22 लाख शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' के अन्तर्गत लेन-देनों आदि और अन्त शेष सहित निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	863.22	25.70	(-)29.69	859.23
विविध पेशगियां	(-)9,053.25	2.52	(-)2.53	(-)9,053.26
जोड़	(-)8,190.03	28.22	(-)32.22	(-)8,194.03

- (26) भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4701-विद्युत परियोजनाओं सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹0.24 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	(-)1,094.77	0	0	(-)1,094.77
विविध लोक निर्माण पेशगियां	(-)579.53	0.24	0	(-)579.29
जोड़	(-)1,674.30	0.24	0	(-)1,674.06

- (27) मुख्य शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे ।

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	2,573.82	0	0	2,573.82
विविध पेशगियां	10,483.90	0	0	10,483.90
जोड़	13,057.72	0	0	13,057.72

- (28) मुख्य शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत शीर्ष उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	(-)180.70	0	0	(-)180.70
विविध पेशगिया	(-)27.54	0	0	(-)27.54
जोड़	(-)208.24	0	0	(-)208.24

अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा)/स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास और पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(मुख्य शीर्ष-2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2553-संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,28,05,00,74	1,40,68,12,74	96,04,79,36	(-)44,63,33,38
पूरक	12,63,12,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

40,06,64,85

प्रभारित

मूल	40,00		..	(-)40,00
पूरक	..	40,00		

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

40,00

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	50,36,72,00	74,81,51,00	38,43,00,68*	(-)36,38,50,32
पूरक	24,44,79,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2024)

33,12,00,26

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹4,46,333.38 लाख की अंतिम बचत में से ₹45,668.53 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।
- (2) ₹4,46,333.38 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितम्बर 2023 और जनवरी 2024 में प्राप्त ₹1,26,312 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं आया ।

*इसमें वर्ष 2023-24 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया ₹27,900.00 लाख का व्यय शामिल नहीं है ।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001- 88-हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल	मूल	400.00	137.11	137.11	..	हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की नीति के अंतर्गत कर्मचारियों की कम व्यस्तता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-262.89				
2215-01-799- 99-उचंत	मूल	- 458.68	(-)458.68	₹458.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
2217-80-001- 89-राज्य में जिला नगर आयुक्तों की नई स्थापना का निर्माण	मूल	626.03	187.14	187.14	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, स्थानांतरण अभियान में डी-ग्रुप कर्मचारियों के स्थानांतरण और मोटर वाहन दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-438.89				
2217-80-001- 96-स्थानीय निकाय निदेशालय	मूल	1,583.15	1,418.58	1,418.58	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन न करने और अतिरिक्त पेशेवर सेवाओं की नियुक्ति न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति पर व्यय द्वारा समायोजित कर लिया गया था।
	पुनर्वि.	-164.57				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-97-स्थानीय निकाय (चुनाव)	मूल	83.36	60.48	60.48	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालयों में कम व्यय, अनुग्रह राशि के मामलों के लम्बित होने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-22.88				
2217-80-191-94-दिल्ली के चारों ओर एनसीआर उपग्रह के लिए हरियाणा सहायता विकास प्राधिकरण के लिए सहायता अनुदान	मूल	6,000.00	3,000.00	3,000.00	..	अवसंरचना विकास निधि से शेष राशि के व्यय के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,000.00				
2217-80-191-95-नगर निगम में सीवेज पानी की आपूर्ति और ड्रेनेज की सेवाएं	मूल	10,500.00	4,273.73	4,273.73	..	योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं से मांग कम प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-6,226.27				
2217-80-191-97-नगर निगमों को केन्द्रीय वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर सहायतानुदान	मूल	32,000.00	16,521.97	16,521.97	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-15,478.03				
2217-80-192-83-राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना	मूल	57,200.00	31,212.90	31,212.90	..	योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं से मांग न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-25,987.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-84-दिव्य नगर योजना	मूल	5,000.00	3,972.25	3,972.25	..	योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं से मांग न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 1,027.75				
2217-80-192-85-पीएम-स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर पीएम-एसवीए निधि)	मूल	200.00	50.00	50.00	..	योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं से मांग न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-150.00				
2217-80-192-86-नई शहरी नवीकरण मिशन (ए.एम्.आर.यू. टी.)	मूल	35,948.00	23,442.70	23,442.70	..	योजना के तहत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-12,505.30				
2217-80-192-88-स्वच्छ भारत मिशन	मूल	40,000.00	1,416.00	1,416.00	..	योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 38,584.00				
2217-80-192-89-राष्ट्रीय शहरी आजिविका अभियान	मूल	3,750.00	योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,250 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/1-4/2023-24/ अनु.सं.20/570 दिनांक 03.07.2024)।
	पुनर्वि.	-3,750.00				
2217-80-192-93-पालिकाओं/नगर परिषदों को केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर सहायतानुदान	मूल	21,000.00	6,342.60	6,342.60	..	योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-14,657.40				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-789-90-अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान	मूल	1,250.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,250.00				
2217-80-789-94-दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान	मूल	3,000.00	1,167.23	1,167.23	..	योजना के अन्तर्गत नगर पालिकाओं से मांग न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,832.77				
2217-80-800-76-दुग्ध डेरियों का स्थानांतरण	मूल	100.00	योजना के अन्तर्गत नगर पालिकाओं से मांगे प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण कर दिया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2501-03-001-99-ग्रामीण विकास स्थापना योजना के लिए योजना हेड क्वार्टर	मूल	489.00	398.17	398.17	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो महंगाई भत्ते की किस्तों में वृद्धि और चिकित्सा और पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पी.ओ.एल) के अंतर्गत लंबित बिलों की मंजूरी के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-90.83				
2501-05-101-99-प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के वाटरशेड घटक के तहत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के तहत बैच VI परियोजनाएं	मूल	1,680.00	824.00	824.00	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-856.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2501-05-190-99-एकीकृत बंजर भूमि के तहत बैच VI परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड घटक के तहत विकास/प्रबंधन परियोजना	मूल	1,600.00	400.00	400.00	..	₹1,200 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/अनु.सं.20/2023-24/570 दिनांक 03.07.2024)।
	पुनर्वि.	-1,200.00				
2501-05-789-99-समेकित बंजर भूमि विकास/प्रबन्धन परियोजना	मूल	720.00	206.00	206.00	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-514.00				
2501-06-101-96-स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी)	मूल	1,000.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2501-06-101-97-दीन दयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल योजना (एनआरएलएम, डी डीयू-जीकेवाई) (परियोजना प्रशासन)	मूल	2,500.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,500.00				
2501-06-101-99-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/आजीविका)	मूल	10,500.00	6,140.90	6,140.90	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,359.10				
2501-06-102-97-ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरएसई टीआई) के लिए योजना	मूल	500.00	352.31	352.31	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-147.69				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2501-06-102-99-दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रचारित स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज छूट प्रदान करने की योजना	मूल	500.00	125.00	125.00	..	सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-375.00				
2501-06-789-98-दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (एनआरएलएम, डी डीयू-जीकेवाई) (परियोजना प्रशासन) एससीएसपी	मूल	1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2501-06-789-99-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)	मूल	4,500.00	1,822.90	1,822.90	..	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,677.10				
2501-06-800-98-ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान व्यय क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए योजना	मूल	145.00	26.38	26.38	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और पेशन भोगियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-118.62				
2505-01-702-88-स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	मूल	5,000.00	1,250.00	1,250.00	..	सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,750.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2505-01-789-99-स्वर्ण जयन्ती खंड उत्थान योजना	मूल	1,000.00	250.00	250.00	..	सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-750.00				
2505-02-101-95-सामाजिक लेखा परीक्षा (मनरेगा) सामान्य	मूल	480.00	115.76	115.76	..	सहायता अनुदान के अंतर्गत भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-364.24				
2505-02-101-96-परियोजना उन्नति (मनरेगा) सामान्य	मूल	20.00	सहायता अनुदान के अंतर्गत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20.00				
2505-02-101-97-कलस्टर सुविधा परियोजना (मनरेगा)-सामान्य	मूल	100.00	24.63	24.63	..	सहायता अनुदान के अंतर्गत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-75.37				
2505-02-101-98-प्रशासनिक आकस्मिकता योजना (मनरेगा) सामान्य	मूल	3,500.00	460.13	460.13	..	सहायता अनुदान के अंतर्गत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,039.87				
2505-02-101-99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सामग्री घटक-सामान्य	मूल	35,900.00	15,245.92	15,245.92	..	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-20,654.08				
2515-51-001-98-सामुदायिक विकास	मूल	942.00	686.82	686.82	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-255.18				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001-99-पंचायत विभाग	मूल	2,124.00	1,209.48	1,209.48	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, कंप्यूटरों की कम खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि के कम दावों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-914.52				
2515-51-003-98-सामुदायिक विकास	मूल	100.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				
2515-51-101-81-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर जी एस ए)	मूल	3,000.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,000.00				
2515-51-101-93-विकास कार्यों के लिए लोगों को समानुपातिक सहायता अनुदान (राज्य अंश)	मूल	300.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि.व.वि.लेखे/1-4/2023-24/अनु.सं.20/472-73 दिनांक 06.06.2024)।
	पुनर्वि.	-300.00				
2515-51-102-80-स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की योजना	मूल	100.00	31.63	31.63	..	संविदात्मक सेवाओं और मानदेय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	- 68.37				
2515-51-102-82-हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना	मूल	100.00	हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार और पुरस्कार के दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102-83-ग्रामीण विकास के लिए गांव युवा स्वयंसेवकों में जागरूकता	मूल	350.00	12.53	12.53	..	मुख्यतः अन्य शुल्कों के दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों के न भरने, विभाग द्वारा प्रशिक्षण का संचालन न करने और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-337.47				
2515-51-102-90-हरियाणा ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकरण को सहायता	मूल	3,000.00	योजना के अंतर्गत दावों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,000.00				
2515-51-102-93-स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता योजना (ग्रामीण)	मूल	12,200.00	योजना के अंतर्गत दावों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-12,200.00				
2515-51-102-94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	मूल	10,000.00	7,000.00	7,000.00	..	परियोजनाओं के कम कार्यान्वयन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,000.00				
2515-51-102-96-स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीआई) के लिए योजना	मूल	1,000.00	कार्य योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2515-51-102-97-पंचायत/ जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों की नई निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत	मूल	10,000.00	4,173.23	4,173.23	..	कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-5,826.77				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102- 98-राज्य तथा जिला स्तर पर गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए सम्मेलनों का आयोजन	मूल	100.00	विभाग द्वारा सम्मेलनों का आयोजन नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-100.00				
2515-51-106- 96-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक के विकास के लिए योजना (पीएमजेवीके)	मूल	6,000.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-6,000.00				
2515-51-106- 97-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस पी एम आर एम)	मूल	5,000.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-5,000.00				
2515-51-106- 98-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी एम् ए जी वाई)	मूल	1,000.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2515-51-106- 99-विधायक आदर्श ग्राम योजना	मूल	20.00	4.03	4.03	..	मुख्यतः अन्य शुल्कों के अंतर्गत दावों की प्राप्ति न होने और संविदात्मक सेवाओं के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-15.97				
2515-51-190- 99-प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान निलोखेड़ी	मूल	400.00	मुख्यतः सहायता अनुदान दावों और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-400.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-196-99-पीआरआई के निर्वाचित सदस्यों और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए मानदेय के भुगतान की योजना नाम बदलकर जिला परिषद में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन की योजना	मूल	3,061.00	2,518.70	2,518.70	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, पेशेवर और विशेष सेवाओं के अंतर्गत पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-542.30				
2515-51-198-96-राज्य वित्त आयोग के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास (एसएफसी)	मूल	69,900.00	2,435.00	2,435.00	..	कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-67,465.00				
2515-51-789-88-महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	मूल	3,000.00	985.80	985.80	..	योजना के अंतर्गत कुछ पूंजीगत परिव्यय को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,014.20				
2515-51-789-91-हरियाणा ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकरण को सहायता	मूल	1,000.00	कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2515-51-789-98-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छता की योजना	मूल	4,500.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,500.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-789-99-अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीआई) के लिए योजना	मूल	1,000.00	कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
2553-51-101-98-सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	मूल	50.00	योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-50.00				

- (4) वित्त आयोग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी बजट पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक बचत से कम राशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया था जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-98-अधीक्षक इंजीनियर तथा उसकी स्थापना	मूल	2,396.00	1,920.05	1,918.30	(-)1.75	मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम कार्यक्रम, पेशेवर और विशेष सेवाओं के तहत पेशेवर कर्मचारियों की कम व्यस्तता, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति और कंप्यूटरों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की अधिक व्यस्तता और महंगाई भत्तों की किश्तों/बकाया के भुगतान द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹1.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-475.95				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-003- 99-सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां	मूल	158.00	68.78	62.43	(-) 6.35	मार्च 2024 के अंत में अन्य शुल्क बिलों को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹6.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-89.22				
2215-01-789- 98-शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजना पीने इंदिरा गांधी के तहत बनाई प्रतिष्ठानों का रखरखाव	मूल	625.00	274.20	216.21	(-) 57.99	₹350.80 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व. वि. लेख/1-4/23-24/अनु. सं. 20/ 472-73 दिनांक 11.07.2024)। ₹57.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-350.80				
2215-01-789- 99-ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजना पीने इंदिरा गांधी के तहत बनाई प्रतिष्ठानों का रखरखाव	मूल	1,350.00	647.04	646.89	(-) 0.15	₹702.96 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. व. वि. लेख/1-4/23-24/अनु. सं. 20/472-73 दिनांक 11.07.2024)। ₹0.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-702.96				
2515-51-101- 89-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	मूल	1,71,200.00	1,15,867.10	1,15,798.73	(-) 68.37	निधियों के अभ्यर्पण के कारणों की सूचना नहीं दी गई है। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व. वि. लेख/1-4/23-24/अनु. सं. 20/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹68.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-55,332.90				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-789-87-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	मूल	73,400.00	50,583.54	50,582.80	(-) 0.74	मुख्यतः पंचायती राज संस्थानों द्वारा व्यय न किये जाने तथा सहायता अनुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.74 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-22,816.46				

- (5) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें सम्पूर्ण मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था और पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001-96-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी. एल. ओ.) ग्रामीण विकास (डीईवी-पीएलओ-आरईवी)	मूल	15,000.00	..	71.00	(+) 71.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-15,000.00				

- (6) निम्नलिखित तीन मामलों में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-99-मुख्यालय अमला-मुख्य इंजीनियर तथा उसकी स्थापना	मूल	2,898.10	2,428.32	2,428.32	..	मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों को न भरने, पेशेवर कर्मचारियों की कम व्यस्तता और कोषागारों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत बिलों को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की अधिक भागीदारी, कंप्यूटरों की अधिक आवश्यकता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया था।
	पूरक	25.00				
	पुनर्वि.	-494.78				
2217-80-001-98-नगर सम्पदा स्थापना भूमि- अभिग्रहण तथा विकास स्कीम (मुख्यालय अमला)	मूल	376.50	188.24	188.24	..	₹193.34 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ 1-4/23-24/अनु. सं. 20/472-73 दिनांक 06.06.2024)।
	पूरक	5.08				
	पुनर्वि.	-193.34				
2217-80-001-99-नगर तथा ग्राम आयोजन (मुख्यालय अमला)	मूल	2,187.10	1,789.77	1,789.77	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, पेशेवर और विशेष सेवाओं के अंतर्गत पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति न करने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	17.00				
	पुनर्वि.	-414.33				

अनुदान संख्या 20-जारी

- (7) निम्नलिखित मामलों में जहां अत्याधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा कम किया गया, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-792-51-एन.ए.	मूल	1.00	3.91	3.91	..	ऋण माफ करने के कम मामलों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पूरक	100.00				
	पुनर्वि.	- 97.09				
2217-80-192-92-स्टांप शुल्क की आय से पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए स्थानीय निकायों के लिए योगदान	मूल	1,000.00	5,968.25	5,968.25	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ 1-4/23-24/अनु. सं. 20/472-73 दिनांक 06.06.2024) ।
	पूरक	18,922.00				
	पुनर्वि.	-13,953.75				
2217-03-191-99-मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना	मूल	14,000.00	16,148.05	16,148.07	(+)0.02	योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पूरक	50,000.00				
	पुनर्वि.	-47,851.95				

- (8) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया । अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया था । मूल बजट और अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रह गया जो दर्शाता है कि अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-89-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) सार्वजनिक स्वास्थ्य (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी)	मूल	45,000.00	45,000.00	..	(-)45,000.00	₹11,000 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ 1-4/23-24/अनु. सं. 20/472-73 दिनांक 06.06.2024) । ₹45,000 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
	पूरक	11,000.00				
	पुनर्वि.	-11,000.00				

- (9) निम्नलिखित मामलों में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इन मामलों में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मामलों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-97-कार्यकारी इंजीनियर तथा उनकी स्थापना	मूल	17,581.50	15,842.36	15,825.58	(-)16.78	मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों का न भरने, कोषागारों द्वारा किराया, दरों और करों से संबंधित बिलों की गैर-मंजूरी, अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिए गये थे। ₹16.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	1,500.00				
	पुनर्वि.	-3,239.14				
2217-80-001-94-नगर सम्पदा स्थापना भूमि-अभिग्रहण तथा विकास स्कीम (जिला अमला)	मूल	1,673.00	902.61	902.59	(-)0.02	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	21.92				
	पुनर्वि.	-792.31				

- (10) निम्नलिखित मामलों में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इन मामलों में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने को कोई आवश्यकता थी क्योंकि इन मामलों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-95-नगर तथा ग्राम आयोजन (जिला अमला)	मूल	8,230.00	5,991.07	5,991.20	(+)0.13	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अन्य शुल्कों के अंतर्गत मांग की कम प्राप्ति, अनुग्रह दावों की गैर-प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न करने और कार्यालय में कम व्यय के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कि पेशेवर और विशेष सेवाओं के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की अधिक नियुक्ति के कारण अधिकता द्वारा समायोजित कर लिया गया था। ₹0.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	111.00				
	पुनर्वि.	-2,349.93				

- (11) आधिक्य निम्नलिखित के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-90-किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति की योजना	मूल	500.00	2,288.74	2,288.74	..	प्रावधान में आवर्धन प्राकृतिक आपदाओं के मुआवजे के अंतर्गत दावों की अधिक प्राप्ति के कारण किया गया था।
	पूरक	100.00				
	पुनर्वि.	1,688.74				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-190- 99-फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	मूल	10,000.00	19,600.00	19,600.00	..	प्रावधान में आवर्धन राज्य व्यय में वृद्धि के अनुरूप भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	9,600.00				
2515-51-198- 97-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतो को सयुक्त अनुदान	मूल	39,160.00	57,010.62	57,010.62	..	प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से अधिक धनराशि प्राप्त होने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	17,850.62				

- (12) 31 मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन के निम्नलिखित चार मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से बढ़ाई गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001- 96-कार्यकारी इंजीनियर तथा उनकी स्थापना नियमित/स्थाई किया गया मकैनिकल अमला	मूल	67,354.00	90,996.41	91,006.91	(+)10.50	प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति, महंगाई भत्ते की किस्तों/बकाया के भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण किया गया था, जो अनुग्रह दावों, कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और रिक्त पदों को न भरने व कोषागारों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत बिलों की मंजूरी न देने के द्वारा समायोजित किया गया। ₹10.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	23,642.41				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101-96-शहरी तूफान जल निकासी काय का संचालन एवं रखरखाव	मूल	700.00	964.37	981.47	(+)17.10	₹264.37 लाख के प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹17.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	264.37				
2215-01-101-99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव (98-रखरखाव प्रभार)	मूल	10,000.00	12,499.99	13,089.40	(+ 589.41	₹2,499.99 लाख के प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹589.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	2,499.99				
2215-01-799-उचन्त	मूल	(-)458.67	(-)458.67	₹458.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।

- (13) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन आदेश द्वारा वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101-99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव (97-नहरी जल प्रभार)	मूल	300.00	250.49	922.10	(+671.61	₹49.51 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹671.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-49.51				

अनुदान संख्या 20-जारी

- (14) एक मामला जिसमें अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और बाद में द्वारा 31मार्च 2024 को वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से आवर्धित की गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ: जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101- 99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव (99-ऊर्जा प्रभार)	मूल	15,000.00	32,423.38	32,605.62	(+) 182.34	प्रावधान में आवर्धन योजना के अंतर्गत विवादित बिलों के समाधान और लंबित बिलों की मंजूरी के कारण किया गया था। ₹182.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	2,500.00				
	पुनर्वि.	14,923.38				

प्रभारित विनियोग

- (15) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001- 98-सामुदायिक विकास (96-जिला तथा खण्ड अमला)	मूल	40.00	अदालती मामलों के बिलों की प्राप्ति न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण कर दिया गया था।
	पुनर्वि.	-40.00				

पूँजीगत

दत्तमत अनुदान

- (16) ₹3,63,850.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹32,650.06 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।
- (17) ₹3,63,850.32 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, सितम्बर 2023 में प्राप्त ₹2,44,479 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया।
- (18) बचत मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102- 98-तवरित ग्रामीण जल पूर्ति (91-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता आर्सेनिक व फ्लोराइड पर उप मिशन)	मूल	100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-800-96-कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिषद (पी एल ओ) स्वास्थ्य (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी)	मूल	35,000.00	35,000.00	..	(-)35,000.00	₹35,000 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024) ।
4215-02-101-89-सीवरेज का कार्यान्वयन अमृत के लिए	मूल	20,000.00	5,382.00	5,382.00	..	निधियों का अभ्यर्पण चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खजाने से पूरी धनराशि निकालने और अमृत 2.0 से एसएनए में जमा करने के कारण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-14,618.00				
4217-60-001-98-कार्यप्रगति से जुड़ा परिषद (पी एल ओ) डीएलबी- (सीएपी)	मूल	80,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024) ।
	पुनर्वि.	- 80,000.00				
4515-51-101-98-कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिषद (पी एल ओ) पंचायत और विकास विभाग (डीईवी-पीएलओ-सीएपी)	मूल	9,400.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-9,400.00				
4515-51-102-99-विकास एवं पंचायतों/ग्रामीण विकास विभाग के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन/खरीद की योजना	मूल	735.00	227.85	227.85	..	मुख्यतः कार्य योजना और भूमि को अंतिम रूप न देने, उपकरणों की खरीद न होने और फर्नीचर दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-507.15				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6217-60-191-97-कर्मचारियों के वेतन/वेतन के बकाया की अदायगी हेतु नगर निगम को कर्जे	मूल	1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/ 2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)।
	पुनर्वि.	-1,500.00				

- (19) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले में, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं था, इसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-800-98-पीएचई विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि की वार्षिकी	मूल	500.00	299.09	295.95	(-) 3.14	₹200.91 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/ 2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹3.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-200.91				

- (20) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक राशि का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-86-ग्रामीण के लिए अधिग्रहित भूमि और शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज कार्यों के लिए मुआवजा	मूल	4,500.00	2,996.16	3,079.01	(+) 82.85	निधियों का अभ्यर्पण इस योजना के तहत माननीय न्यायालय द्वारा पारित कम निर्णयों के कारण किया गया था हुआ। ₹82.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 1,503.84				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.) (90-गाँव में पेयजल आपूर्ति के नवीनीकरण के लिए महा ग्राम योजना)	मूल	2,500.00	1,653.43	2,614.20	(+) 960.77	₹846.57 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹960.77 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-846.57				
4215-01-102-93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.) (93-नाबाडी)	मूल	20,000.00	18,054.62	18,796.96	(+) 742.34	₹1,945.38 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹742.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 1,945.38				
4215-02-102-98-ग्रामीण सफाई (97-गाँव में सीवरेज सिस्टम प्रदान करने के लिए महा ग्राम योजना)	मूल	5,000.00	4,213.62	4,382.95	(+)169.33	₹786.38 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹169.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 786.38				
4215-01-789-96-ग्रामीण जलापूर्ति में वृद्धि के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	3,600.00	2,986.55	3,144.38	(+)157.83	योजना के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण काम की गति धीमी होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹157.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 613.45				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-789-97-नाबार्ड के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	5,000.00	4,384.51	4,741.29	(+) 356.78	₹615.49 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹356.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-615.49				
4215-01-789-98-ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति का प्रभुत्व बस्ती को पानी की आपूर्ति	मूल	500.00	85.03	87.24	(+) 2.21	मुख्यतः उद्देश्य की प्राप्ति के कारण तथा योजना का वित्त पोषण एक अलग स्रोत के माध्यम से खोला गया था और संपाश्रिक बचत अनुसूचित जाति उप योजना के तहत होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	-414.97				
4515-51-101-99-दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना	मूल	20,000.00	1,069.99	1,071.91	(+) 1.92	प्रमुख कार्यों के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.92 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	- 18,930.01				

- (21) निम्नलिखित मामलों में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण ढंग से प्राप्त किया गया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 की जारी पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान अभ्यर्पित कर दिया गया जो यह दर्शाता है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन मामलों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद, वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया जिसमें संपूर्ण अनुपूरक और मूल बजट प्रावधान का एक हिस्सा वास्तविक बचम से कम अभ्यर्पित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-98-त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना (93-एनआरडीडब्ल्यूपी (जल गुणवत्ता निगरानी) नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम)-डब्ल्यूक्यूएमएस)	मूल	1500.00	856.63	854.77	(-)1.86	₹1,108.37 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹1.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	465.00				
	पुनर्वि.	-1,108.37				
4215-01-102-98-त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना (94-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना-अधिकृति (केन्द्रीय) सहायक गतिविधियां) नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) सहायता गतिविधियां)	मूल	4,000.00	2,141.57	2,139.75	(-)1.82	₹2,797.43 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹1.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	939.00				
	पुनर्वि.	-2,797.43				
4215-01-102-98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (99-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना (केन्द्रीय) नाम बदलकर जल जीवन मिशन) (जेजेएम) कवरेज)	मूल	86,000.00	59,749.71	59,124.14	(-)625.57	₹2,18,225.29 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹625.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	1,91,975.00				
	पुनर्वि.	-2,18,225.29				

(22) निम्नलिखित मामले में, अत्यधिक अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 पुनर्विनियोजन के माध्यम अनुपूरक अनुदान को अभ्यर्पित कर दिया गया था। इसके बाद, वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया जिसमें अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4515-51-101- 97-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना(एचजीवी वाई)	मूल	70,000.00	97,418.27	97,416.35	(-)1.92	योजना के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	50,000.00				
	पुनर्वि.	-22,581.73				

- (23) ऐसे मामले जिनमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया था और बाद में अनुपूरक अनुदान को वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था। इसके बाद, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश जिसमें वास्तविक बचत से अधिक बजट प्रावधान का समर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ जो इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे। इसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101- 94-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	मूल	1,500.00	1,394.87	1,481.27	(+) 86.40	₹1,105.13 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹86.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	-1,105.13				
4215-01-800- 99-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सांस्थानिक सुदृढीकरण	मूल	1,030.00	750.81	785.01	(+) 34.20	मुख्यतः कार्यालय/ आवासीय भवनों के कम निर्माण, मोटर वाहनों की कम खरीद और नए फर्नीचर, यंत्रावली व उपकरण की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹34.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पूरक	100.00				
	पुनर्वि.	-379.19				

(24) आधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4217-60-051- 89-मंगल नगर विकास योजना	मूल	1.00	10,200.00	10,200.00	..	₹10,199 लाख के प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)।
	पुनर्वि.	10,199.00				
4515-51-103- 99-नाबार्ड के तहत विकास कार्यों के लिए सिंचाई दक्षता योजना का नाम बदलकर विधायक आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई) कर दिया गया है	मूल	18,000.00	24,500.00	24,500.00	..	प्रावधान में आवर्धन प्रमुख कार्यों के अंतर्गत लंबित बिलों की मंजूरी के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	6,500.00				

(25) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के प्रकरण, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से आवर्धित राशि वास्तविक व्यय से अधिक होने के कारण राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था इसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101- 99-शहरी जल आपूर्ति	मूल	11,000.00	15,869.00	15,548.91	(-) 320.09	प्रावधान में आवर्धन कस्बों की जल आपूर्ति स्थिति को बढ़ाने के लिए कार्यों की गति में वृद्धि के कारण किया गया था। ₹320.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	4,869.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-02-101-94-मल व्यवस्था तथा सफाई	मूल	15,000.00	27,846.01	26,832.11	(-) 1,013.90	₹12,846.01 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारण मांगे गए हैं (वि. वि.ले./ अनु. सं. 20/2023-24/472-73 दिनांक 06.06.2024)। ₹1,013.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	12,846.01				

(26) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 की जारी पुनर्विनियोजन आदेश के प्रकरण, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से आवर्धित की गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था इसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101-93-जल आपूर्ति के लिए अमृत-द्वितीय का कार्यान्वयन	मूल	20,000.00	27,218.00	27,401.87	(+) 183.87	प्रावधान में आवर्धन राजकोष से पूर्ण निधियों का निकालने और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अमृत 2.0 को एसएनए में जमा करने के कारण किया गया था। ₹183.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	7,218.00				
4215-01-789-99-शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का प्रभुत्व बस्ती को पानी की आपूर्ति	मूल	300.00	429.19	461.41	(+) 32.22	प्रावधान में आवर्धन कस्बों की जल आपूर्ति स्थिति को बढ़ाने के लिए कार्यों की गति में वृद्धि के कारण किया गया था। ₹32.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	129.19				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-02-789-99-शहरी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों से बहुतायत आबादी में मल व्यवस्था	मूल	1,500.00	1,889.58	2,472.64	(+) 583.06	शहरी सीवरेज के अंतर्गत नए अनुमानों की मंजूरी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन के लिए काम के कारण प्रावधान का आवर्धन किया गया था। ₹583.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	389.58				
4711-01-201-98-शहरी बरसाती पानी निकासी नालों के कार्य	मूल	4,000.00	8,834.32	9,338.39	(+) 504.07	कुछ जरूरी योजनाओं में निधियों के उपयोग के कारण प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹504.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2024)।
	पुनर्वि.	4,834.32				

(पृष्ठ ix पर सन्दर्भित)

अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है।

अनुदानों की संख्या और नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिकता (+)/बचत(-)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7
			(₹हजार में)			
03-सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन	1,00,00	0	0	0	(-)1,00,00	0
04-राजस्व/ आबकारी एवं कराधान	5,42,00,00	0	3,77,56,03	0	(-)1,64,43,97	0
05-गृह/ कारागार/ गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ अभियोजन/ एजीओटी/ कानूनी सेवा प्राधिकरण)	1,00,00	0	0	0	(-)1,00,00	0
10- खान एवं भू-विज्ञान/ कृषि/ बागवानी/ पशुपालन तथा डेयरी विकास/ मछली पालन/ वन तथा वन्य प्राणी/ परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	3,22,67,00	0	67,86,52	0	(-)2,54,80,48	0
11- खाद्य एवं पूर्ति/ सहकारिता	5,00,00,00	1,55,00,00,00	1,34,76,00	99,51,31,04	(-)3,65,24,00	(-)55,48,68,96
17-भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन	2,25,00	2,48,00,00	25,30	1,91,47,42	(-)1,99,70	(-)56,52,58
20-शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/ अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/ विकास और पंचायत)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	22,00,00	0	56	0	(-)21,99,44	0
जोड़	13,90,92,00	1,57,48,00,00	5,80,44,41	1,01,42,78,46	(-)8,10,47,59	(-)56,05,21,54

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/haryana/en>

